रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2003/आषाढ़ 31, 1925
No. 334] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2003/ASADHA 31, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं० 58/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै० टै०)

सा०का०नि० 560(अ).—वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 133 के खंड (i) और (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 अगस्त, 2003 को वह तारीख नियत करती है जब उक्त खंडों में क्रमश: विनिर्दिष्ट अंत: स्थापन एवं विलोपन प्रभावी होंगे।

[फा० सं० 314/24/2001-एफ०टी०टी०]

डी० एस० गर्बयाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 58/2003-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i) and (ii) of Section 133 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government hereby appoints the 15th day of August, 2003, as the date on which the insertion and omission as respectively specified in the said clauses shall take effect.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 43/2003 सी.शु. (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 561(अ).—वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 15 अगस्त, 2003 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जब उक्त धारा 126 के द्वारा यथा-प्रस्तावित अध्याय Xए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में जोड़ा जायेगा।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ्टीटी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 43/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government hereby appoints the 15th day of August, 2003, as the date on which Chapter XA as proposed by the said Section 126 shall be inserted in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 44/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 562(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मद्रास विशेष आर्थिक जोन को "विशेष आर्थिक जोन " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त ,2003 को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ " मद्रास विशेष आर्थिक जोन " से तमिलनाडु राज्य के मीनाबक्कम विमान पत्तन के निकट का वह मद्रास विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है, जिसमें चेन्नई पत्तन से 24 कि.मी. चेन्नई राष्ट्रीय विमान पत्तन से 6 किलोमीटर तथा चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तमिलनाडु में चेंगाईअन्ना जिले में सेदा पेट तालुक के काडापेरी ग्राम के सर्वेक्षण सं. 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 और 92 (भाग),132/1ए2, 1बी2,134/1,2,3बी, 135/2, 143/2ए,114/1,145/1,147/1 और

164/1(भाग) के स्थान समाविष्ट हैं और जो ईंट की चिनी हुई दीवार से और कांटेदार तार से घिरा हुआ है जो कि उस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर 25 मीटर तक जाती है, आगे 1045.2 मीटर तक दक्षिण की ओर घूमती है और 18 मीटर तक पूर्व की ओर घूमती है तथा उत्तर पूर्व की ओर 262 मीटर की दूरी तक जाती है,उत्तर की ओर 70.8 मीटर तक जाती है और 157.7 मीटर पर पूर्व की ओंर तक घूमती है, दक्षिण की ओर 154 मीटर तक जाती है और 227 मीटर पर पूर्व की ओर घूमती है, दक्षिण की ओर 96 मीटर तक जाती है, 72 मीटर तक पूर्व की ओर घूमती है और इसके आगे मुख्य जी.एस.टी.रोड के समानान्तर 86.4 मीटर तक दक्षिण की ओर उत्तर पूर्व तक,बूसटर स्टेशन तक जाती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर तक जाती है, बूस्टर स्टेशन के चारों ओर 30 मीटर तक दक्षिण की ओर घूमती है , 200 मीटर तक पश्चिम की ओर घूमती है, उत्तर की ओर 41 मीटर तक जाती है, पश्चिम को 99.8 मीटर तक, उत्तर की ओर 82.6 मीटर तक, पश्चिम की ओर 304.4 मीटर तक उत्तर की ओर 111 मीटर तक और पश्चिम की ओर 34 मीटर तक जाती है, पूर्व से पश्चिम अस्थायी बाड़ 630 मीटर, अलेरी टैंक बंद के पश्चिमी किनारे के निकट के दक्षिण से पश्चिम किनारे से पुन: आरंभ होकर चिने हुए अहाते तक जो उत्तर की ओर 320 मीटर तक जाता है, पूर्व की ओर 166.15 मीटर मुड़ता है, उत्तर की ओर 380 मीटर का एक मोड़ लेता है, पूर्व की ओर 283.35 मीटर मुड़ता है, दक्षिण की ओर 361.95 मीटर मुड़ता है, पूर्व की ओर 208.55 मीटर मुड़ता है और अहाते के फेज 1 के आरंभिक बिन्दु पर मिलता है, जो ईटों के अहाते की दीवार के 5888.10 मीटर के घेरे को समाविष्ट करता है और जिस पर 630 मीटर कांटेदार तार लगे हैं, अत: कुल मिलाकर 6,518.01 मीटर का घेरा बनाता है;

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 44/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 562(E).—In exercise of the power conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the Madras Special Economic Zone as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "Madras Special Economic Zone" means the Madras Special Economic Zone near Meenambakkam Airport in the State of Tamil Nadu comprising of the places bearing survey numbers 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,and 92 (part), 132/1A2, 1B2, 134/1, 2,

3B, 135/2, 143/2A, 144/1, 145/1, 147/1, and 164/1 (part), of Kadapperi village of Saidapet Tuluk, Chengai-Anna district of Tamil Nadu lying at a distance of 24 kilometers from the port of Chennai and 6 kilometers from Chennai National Air port and 8 kilometers from the Chennai International Airport, enclosed by a masonry wall and fencing, starting from the north west corner of the area, which runs upto 25 metres towards north east takes a turn towards south upto 1045.2 metres and takes a turn towards east upto 18 metres and north east upto a distance of 262 metres, towards north upto 70.8 metres, turns towards east upto 157.7 metres, runs towards south upto 154 metres and runs towards east upto 227 metres, runs towards south upto 96 metres, turns towards east upto 72 metres, after which it further runs parallel to the main G.S.T. Road for 86.4 metres towards south upto north east to Booster Station and runs west for 30 metres, turns towards south for 30 metres around the Booster Station and turns towards west upto 200 metres, towards north upto 41 metres, towards west for 99.8 metres, towards north 82.6 metres, towards west for 304.4 metres, towards north upto 111 metres and towards west by 34 metres, temporary fencing east to west 630 metres, masonry wall commencing again from the south west corner of the boundary near western end of Alleri Tank bund, proceeds towards north 320 metres, turns towards east for 166.15 metres, takes a turn towards north for 380 metres, turns towards east for 283.35 metres, turns towards south for 361.95 metres, takes a turn towards east for 208.55 metres and joins with the starting point of the Phase I of compound wall, covering a circumference of 5888.10 metres of brick compound wall and barbed wire

fencing of 630 metres, thus constituting a total circumference of 6,518.01 metres;

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 45/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰563(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन को " विशेष आर्थिक जोन " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 से लागू होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन " का तात्पर्य आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम में विशाखापतत्तनम विशेष आर्थिक जोन से है जिनमें खसरा संख्याओं अथवा सर्वे संख्याओं जैसा भी मामला है वाले स्थान शामिल हैं और जो नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से घिरे हैं:-

	खसरा संख्या अथवा सर्वे संख्या:
दुवादा गांव;	138 भाग,139 भाग,
कुरमन्नापालेम गांव :	1,2,3,4
गजुवाका मंडल का	
जग्गाराजुपेटा गांव :	2 भाग,3,124 भाग ,35,36,37 और 38 भाग

सीमाएं: " विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन "आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है और जो विशाखापट्टनम के पत्तन से 24 कि.मी. और विशाखापट्टनम विमानपत्तन से 15 कि.मी. की दूरी पर है।

उत्तरी तरफ:	आरक्षित वन और पोरिमबोक पहाड़ी;
उत्तर पूर्व:	विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक जोन की फेस-II शेष भूमि ;
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व:	जग्गाराजुपेटा निजी शुष्क भूमि ;
दक्षिण ओर :	हावड़ा - चैनई डबल लेन रेलवे ट्रैक;
दक्षिण पश्चिम और पश्चिम:	फेस - I शेष विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक जोन भूमि, प्रशासनिक भवन और हाउसिंग;
उत्तर दक्षिणी:	रिहायशी क्वार्टरों के लिए फेस-1 शेष विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक जोन भूमि ।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 45/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the Visakhapatnam Special Economic Zone as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "Visakhapatnam Special Economic Zone" means the Visakhapatnam Special Economic Zone at Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh comprising of the places bearing the Khasra numbers or survey numbers, as the case may be, and enclosed by the boundaries, specified below:-

khasra numbers or survey numbers:

Duvvada village:	138 part; 139 part;
Kurmannapalem village:	1, 2, 3, 4;
Jaggarajupeta village of Gajuwaka Mandal:	2 part, 3, 124 part, 34 part, 35, 36, 37 and 38 part;

boundaries: "Visakhapatnam Special Economic Zone" is situated in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh lying at a distance of 24 kms. from the port of Visakhapatnam and 15 kms. from the Visakhapatnam Airport;

northern side :	Reserve Forest and Hill Porimboke;
north east :	Phase II balance lands of Visakhapatnam Special Economic zone;
south and south east :	Jaggarajupeta private dry lands;
southern side :	Howrah-Chennai double lane Railway Track;
south west and west :	Phase I balance Visakhapatnam Special Economic Zone lands, Administrative Building and housing;
north west :	Phase I balance Visakhapatnam Special Economic Zone lands for residential quarters.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 46/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 564(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 76 क-द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फाल्टा विशेष आर्थिक जोन को "विशेष आर्थिक जोन" के रुप में विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 को प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "फाल्टा विशेष आर्थिक जोन से पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले में फाल्टा विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है जिसमें वे सर्वेक्षण संख्यांक वाले स्थान आते हैं और वह उन सीमा ओं से घिरा है, जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं :-

सर्वेक्षण संख्यांक :-

मौजा : बिसरा, जे.एल.संख्या 1, थाना : डायमंड हार्बर

(क) प्लॉट संख्यांक जिनसे पाटन क्षेत्र घिरा है :

पूर्व :	60,62,70,71,72,73,94,598,599,107,159,156,167, 179,178,176;
दक्षिण :	440,441,442,444,443,1106,1107,7,6,0,9,5522,561;
पश्चिम :	436,454,460,516,520,303,302,296,295,294,293, 661,662,663;
उत्तर :	659,591,573,580;

(ख) पाटन संख्या 1 के दायरे में स्थित प्लॉट :

1107,443,442,446,447,448,449,452,451,483,481,402,479,478,477, 480,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,470, 471,472,473,474,475,476,497,498,499,500,501,509,502,464,465, 466,467,468,469,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513, 514,522,523,524,525,526,527,528,533,534,535,536,537,538,539, 540,541,542,601,602,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552, 553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,566,567,568,569,593,5 95,597,598,599,600,570,576;

सीमाएं : "फाल्टा विशेष आर्थिक जोन" पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगना जिले में मौजा बिसरा,जे.एल.संख्या 1, थाना डायमंड हार्बर में कोलकाता बंदरगाह से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तर में लगभग 627 मीटर, दक्षिण में 989 मीटर , पूर्व में 400 मीटर और पश्चिम में 610 मीटर, कुल मिलाकर लगभग 2626 मीटर लंबी ईंट की दीवार से घिरा है ।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 46/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 564(E).— In exercise of the power conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the Madras Special Economic Zone as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "FALTA Special Economic Zone" means the FALTA Special Economic Zone in the district of 24-Parganas in the State of West Bengal comprising of the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries specified below:-

survey numbers:

mouza: Bisra, J. L. number. 1, p.s. Diamond Harbour

(a) Plot numbers bordering the Dump Area:

east: 60, 62, 70,71, 72, 73, 94, 598, 599, 107, 159, 156, 167, 179, 178, 176;

south: 440, 441, 442, 444, 443, 1106, 1107, 7, 6, 0, 9, 5522, 561;

west : 436, 454, 460, 516, 520, 303, 302, 296, 295, 294, 293, 661, 662, 663;

north: 659, 591, 573, 580;

(b) plots within the Dump No. 1:

1107, 443, 442, 446, 447, 448, 449, 452, 451, 483, 481, 402, 479, 478, 477, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498, 499, 500, 501, 509, 502, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,

540, 541, 542, 601, 602, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566, 567, 568, 569, 593, 595, 597, 598, 599, 600, 570, 576;

boundries: "FALTA Special Economic Zone" is situated in Mouza Bisra, J. L. number 1, p.s. Diamond Harbour, in the district of 24 Parganas in the State of West Bengal at a distance of 45 Kms. from the port of Kolkata, enclosed by masonry wall, extending over approximately 627 metres on the north, 989 metres on the south, 400 metres on the east and 610 metres on the west, totaling 2626 metres approximately.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 47/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 565(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सीप्ज विशेष आर्थिक जोन, मुम्बई को "विशेष आर्थिक जोन" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 को प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,"सीप्ज विशेष आर्थिक जोन " से मुंबई का सीप्ज विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है, जिसमें महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तत्कालीन मैरेल औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या एफ. 1 वाले वे स्थान आते हैं जो प्रजापुर और व्यारवली ग्राम सीमाओं के भीतर हैं और अब मुंबई एवं मुंबई उपनगरीय पंजीकरण उप-जिले और जिले में आते हैं और जिसके अंतर्गत लगभग 3,75,013 वर्ग मीटर क्षेत्र है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं :

उत्तर की तरफ सड़क और आरे मिल्क कॉलोनी की भूमि;
दक्षिण की तरफ सड़क;
पूर्व की तरफ पाइप लाइन और आरे मिल्क कॉलोनी की भूमि; और
पश्चिम की तरफ सड़क ।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 47/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 565(E).— In exercise of the powers conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the SEEPZ Special Economic Zone, Mumbai in the State of Maharashtra as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "SEEPZ Special Economic Zone" means SEEPZ Special Economic Zone at Mumbai comprising the places bearing plot number F.1 in the erstwhile Marel Industrial Area of Maharashtra Industrial Development Corporation within the village limits of Parjapur and Vyaravli, taluka Andheri, and now in the Registration sub-district and district of Mumbai and Mumbai suburban containing 3,75,013 square meters or thereabout and bounded –

on or towards the North, by road and Aarey Milk Colony Land;

on or towards the South, by road;

on or towards the East, by pipeline and Aarey Milk Colony Land; and

on or towards the West, by road

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 48/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 566(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा केरल राज्य में कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन को " विशेष आर्थिक क्षेत्र " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र" का आशय कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन से है और इसमें नीचे विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्या, क्षेत्र और नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं द्वारा घिरे स्थान शामिल हैं अर्थात :-

अवस्थिति

गाँव त्रिक्काकारा दक्षिण, तालुक कन्यानौर केरल राज्य सिविल लाइन्स (जिला कलेक्ट्रेट और जिला अधिकारियों के भवन) से एक किलोमीटर दक्षिण, कस्बे से 8 कि.मी. और विमानपत्तन एवं बन्दरगाह से 20 कि.मी. ।

क्षेत्र: 42.4504 हेक्टेयर

सर्वेक्षण संख्या

166/1-3,166/1-4,166/2ए1,166/2ए2,166/2ए7, 166/2ए8, 166/2बी-1,166/2बी2, 166/2बी-3,167/1-2,167/1-3,167/1-4,167/1-5,167/1-6,167/1-7,167/1-8,167 /1-9,167/1-11,167/1-12,167/1-17,167/1-18,167/1-19,167/1-20,168/1, 168/1-6,168/1-7,168/2,168/3,168/4,168/5,168/8,168/9,168/10,168/11, 168/12,168/13,168/14,169/1-4,169/2,169/3,169/7,169/8,169/9,169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 169/14, 169/16,169/17, 169/18, 169/19, 169/20, 169/21, 169/22, 169/23, 169/24, 169/25, 170/1-1, 170/1-2, 170/2-1, 170/2-2, 170/2-3, 170/2-4, 170/2-5, 170/3,170/4ए1, 170/4ए2, 170/4बी, 171/1ए-1, 171/1ए-2, 171/1ए-3,171/1ए-4,171/1बी-1 , 171/1बी-2, 171/1बी-3, 171/1बी-4, 171/2,171/3-1, 171/3-2, 171/3-3, 171/3-4, 171/3-5, 171/3-6, 171/3-7,171/4-1, 171/4-2, 171/4-3, 171/4-4, 171/5ए1, 171/5ए2, 171/5बी, 197/1-77-2,197/1-77-3, 197/1-77-4, 197/1-77-5, 197/1-78, 197/1-79, 197/1-81-2, 197/4-1, 197/4-2, 197/4-3, 197/4-16, 197/4-18, 197/4/39, 197/4/41, 197/4/42, 197/4/43, 197/4/44, 197/4/45, 197/4/46, 197/4/47, 197/4/48, 197/5-4, 197/6-1, 197/6-2, 197/6-3, 197/6-4, 197/7-1, 197/7-3-18, 197/7-4-19, 200/7-1, 200/7-2, 200/7-3, 200/7-4, 200/7-5, 200/8ए1, 200/8ए2, 200/8बी, 200/9

दीवार का विवरण (लम्बाई, ऊँचाई सहित)

इस जोन का यह क्षेत्र ईंटों की दीवार से घिरा है, जो क्षेत्र के उत्तर-पूर्व किनारे जो पश्चिमी की तरफ 104.5 मीटर तक जाता है बढ़ते हुए उसके बाद दक्षिण-पश्चिम की तरफ 271.5 मीटर, उसके बाद दक्षिण की तरफ 211.6 मीटर, उ सके बाद पश्चिम की तरफ 156.6 मीटर, उसके बाद दक्षिण की तरफ 277.8 मीटर, उसके बाद पूर्व की तरफ 37.7 मीटर, उसके बाद दक्षिण की तरफ 236.3 मीटर, उसके बाद पूर्व की तरु 47.7 मीटर, उसके बाद उत्तर की तरफ 184.3 मीटर, उसके बाद पूर्व की तरफ 119.7 मीटर उसके बाद उत्तर की तरफ 22.8 मीटर, उसके बाद पूर्व में 42.2 मीटर, उसके बाद उत्तर की तरफ 17.5 मीटर, उसके बाद पूर्व की तरफ 48.4 मीटर, उसके बाद दक्षिण की तरफ 42 मीटर,

उसके बाद पूर्व की तरफ 33.8 मीटर, उसके बाद दक्षिण की तरफ 182.4 मीटर, उसके बाद उत्तर पूर्व की तरफ 273 मीटर और उसके बाद उत्तर की तरफ 661.8 मीटर बढ़ते हुए इरुम्पनाम-कलाम क्षेत्र रोड के समान्तर जाती है, परिसर दीवार की 3022.3 मीटर परिधि इसमें शामिल है।

सीमाएं:-

खत जोन के इस क्षेत्र की सीमाएं पूर्व की तरफ इयम्पनाम कलाम क्षेत्र रोड, उत्तर ओर पश्चिम की तरफ तुतिपुर रोड और दक्षिण पूर्व की तरफ इश्म्पनाम कलाक्षेत्र रोड से तुतियूर तक एक क्रॉस रोड और दक्षिण की तरफ निजी भूमि और धान के खेत तक है।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 48/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R.566(E).— In exercise of the powers conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies Cochin Special Economic Zone at Cochin in the state of Kerala as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "Cochin Special Economic Zone" means the Cochin Special Economic Zone at Cochin located at and comprising of the places bearing the survey numbers, area and enclosed by the boundaries specified below, namely:-

LOCATION

State of Kerala, Ernakulam District. Taluk Kanayannur, Village Thrikkakara South. One kilometer south of Civil Lines (Buildings of the District Collectorate and District Offices), 8 kilometers from the town and 20 kilometers from the airport and harbour.

AREA : **42.4504 hectares**

SURVEY NUMBERS

166/1-3, 166/1-4, 166/2A1, 166/2A2, 166/2A7, 166/2A8, 166/2B-1, 166/2B2, 166/2B-3, 167/1-2, 167/1-3, 167/1-4, 167/1-5, 167/1-6, 167/1-7, 167/1-8, 167/1-9, 167/1 11,

167/1-12, 167/1-17, 167/1-18, 167/1-19, 167/1-20, 168/1, 168/1-6, 168/1-7, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/8,168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 168/14, 169/1-4, 169/2, 169/3, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 169/18, 169/19, 169/20, 169/21, 169/22, 169/23, 169/24, 169/25, 170/1-1, 170/1-2, 170/2-1, 170/2-2, 170/2-3, 170/2-4, 170/2-5, 170/3, 170/4A1, 170/4A2, 170/4B, 171/1A-1, 171/1A-2, 171/1A-3, 171/1A-4, 171/1B-1, 171/1B-2, 171/1B-3, 171/1B-4, 171/2, 171/3-1, 171/3-2, 171/3-3, 171/3-4, 171/3-5, 171/3-6,171/3-7, 171/4-1, 171/4-2, 171/4-3, 171/4-4, 171/5A1, 171/5A2, 171/5B, 197/1-77-2, 197/1-77-3, 197/1-77-4, 197/1-77-5, 197/1-78, 197/1-79, 197/1-81-2, 197/4-1, 197/4-2, 197/4-3, 197/4-16, 197/4-18, 197/4/39, 197/4/41, 197/4/42, 197/4/43, 197/4/44, 197/4/45, 197/4/46, 197/4/47, 197/4/48, 197/5-4, 197/6-1, 197/6-2, 197/6-3, 197/6-4, 197/7-1, 197/7-3-18, 197/7-4-19, 200/7-1, 200/7-2, 200/7-3, 200/7-4, 200/7-5, 200/8A1, 200/8A2, 200/8B, 200/9.

Description of the wall (including length, height):

This area of the zone is enclosed by masonry brick wall, extending from the north-east corner of the area which runs upto 104.5 metres towards west and then 271.5 metres towards south west, then 211.6 metres towards south, then 156.6 metres towards west, then 227.8 metres towards south, then 87.7 metres towards east, then 236.3 metres towards south, then 47.7 metres towards east, then 184.3 metres towards north, then 119.7 metres towards east, then 22.8 metres towards north, then 42.2 metres towards east, then 17.5 metres towards north, then 48.4 metres towards east, then 42 metres towards south, then 33.8 metres towards east, then 50.7 metres towards south, then 182.4 metres towards east, then 273 metres towards north-east and then 661.8 metres towards north running parallel to the Irumpanam- Kalamassrey road, covering a total circumference of 3022.3 metres of compound wall.

Boundaries:

The area of the said Zone has its boundaries Irumpanam-Kalamassrey road on the east, Thuthiyur road on the North and West and a cross road from the Irumpanam-Kalamassery road to Thuthiyur on the South east and private lands and paddy fields on the south.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 49/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 567(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को " विशेष आर्थिक क्षेत्र " के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र" का आशय उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, गौतम बुद्धनगर से है जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट किए गए खसरा सं. अथवा सर्वेक्षण संख्या वाले, जैसा भी मामला हो, दीवारे से घिरे स्थान शामिल हैं:-

खसरा संख्या अथवा सर्वेक्षण संख्या :-

गाँव नागला चरण दास (जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) 87,88,91,92,93,94,95,96,97, 99,100,102,166,167,180, गाँव भगेल बेगम पुर (जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) 31,32, 33,43,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,

सीमाएं: " नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र " अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली से 36 कि.मी. की दूरी पर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है और सीमा दीवार जिसकी कुल 2676.50 मीटर है, से घिरा हुआ है जिसमें 194.00 मीटर सिंचाई के नाले की साइड पर, 997.10 मीटर नदी की साइड पर, 346.60 मीटर साथ लगे विद्युत सब स्टेशन की साइड पर, 720.50 मीटर आगे की साइड पर और 168.00 मीटर डी एस सी रोड से मुख्य द्वार तक और 244.50 मीटर मुख्य द्वार से सिंचाई के नाले तक शामिल है।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 49/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 567(E).—In exercise of the power conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the NOIDA Special Economic Zone as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, " NOIDA Special Economic Zone" means the NOIDA Special Economic Zone at Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh comprising of the places bearing the Khasra numbers or survey numbers, as the case may be, and enclosed by the boundaries, specified below:-

khasra numbers or survey numbers:

village Nagla Charan Das (district Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh):

87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102,166, 167,180;

village Bhagel Begam Pur (district Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh):

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

boundaries: The "NOIDA Special Economic Zone" is situated in Noida, in the district Gautam Budh Nagar, State of Uttar Pradesh at a distance of 30 kilometers from International Airport, New Delhi and is enclosed by boundary wall, totaling 2676.50 metres in length, comprising 194.00 metres on irrigation drain side, 997.10 metres on river side, 346.60 metres on the side adjoining the Electric Sub-station, 720.50 metres on the front side and 168.00 metres on the side front DSC Road to main gate and 244.50 metres from main gate to irrigation drain.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 50/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 568(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य में कान्दला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कान्दला को " विशेष आर्थिक क्षेत्र " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 के दिन से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ " कान्दला विशेष आर्थिक क्षेत्र " से तात्पर्य कान्दला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कान्दला से है जिसमें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्या, स्थिति और सीमाओं द्वारा अनुबंधित स्थान शामिल हैं अर्थात् :-

(i) गुजरात राज्य, कच्छ जिले के अंजार तालुका में कान्दला पोर्ट से 9.6 किलोमीटर की दूर पर और बाड़बन्दी द्वारा घीरे, उत्तर में 1,042.49 मीटर, पश्चिम में 1,529.51 मीटर दक्षिण में 777.85 मीटर और पूर्व में 1,847.88 मीटर बढ़ते हुए सर्वेक्षण संख्या 199, 200,201,202,204,205,206,207,208,209,211,212,216, 217,218,219,220,221,222,223,224,257,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275, 276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294, 295,302,303,304,310,312,313 और 315; और

(ii) गुजरात राज्य में कच्छ जिले के अंजार तालुका में कान्दला पोर्ट से 9.6 किलोमीटर की दूरी पर बाड़बन्दी अथवा ईट की दीवार द्वारा घीरे सर्वेक्षण संख्या 12,13,14,18,19,20,21,22,23,210,213,214,215,227,256, 258,259,264,265,298,299,300,307,308,309,311,314,316,317,318,319,320,321,322, 323,324,325,326,327,328 और331

खण्ड (i) और (i.) में विनिर्दिष्ट स्थान उत्तर में 1552-49 मीटर तक, दक्षिण में 1512.00 मीटर पूर्व में 1849.08 मीटर और पश्चिम में 1560.00 मीटर बढ़ते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 50/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 568(E).-- In exercise of the powers conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies Kandla Special Economic Zone, Kandla in the state of Gujarat as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "Kandla Special Economic Zone" means the Kandla Special Economic Zone, Kandla, comprising of the places bearing the survey numbers, location and enclosed by the boundaries as specified below, namely:-

(i) Survey numbers 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 304, 310, 312, 313, and 315 in the taluka of Anjar district of Kutch, State of Gujarat at a distance of 9.6 kilometers from the port of Kandla, and enclosed by a fencing, extending 1,042.49 meters in the north, 1,529.51 meters in the west, 777.85 meters in the south and 1,847.88 meters in the east; and

(ii) Survey numbers 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 210, 213, 214, 215, 227, 256, 258, 259, 264, 265, 298, 299, 300, 307, 308, 309, 311, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 and 331 in the taluka of Anjar, district of Kutch, in the Sate of Gujarat, at a distance of 9.6 kilometers from the port of Kandla, enclosed by fencing or masonry wall.

The places specified in clauses (i) and (ii) combined together extending upto 1552.49 meters in the north, 1512.00 meters in the south, 1849.08 meters in the east and 1560.00 meters in the west.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 51/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 569(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य में, सूरत में सूरत विशेष आर्थिक जोन को " विशेष आर्थिक जोन " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 से लागू होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ " सूरत विशेष आर्थिक जोन " का तात्पर्य गुजरात के जिला सूरत चोरयासी ताल्लुक,सचिन गांव में स्थित सूरत विशेष आर्थिक जोन से है जिनमें वे ब्लाक संख्याओं वाले स्थान शामिल है और वह उन सीमाओं द्वारा घिरा है, जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात् :-

गांव: सचिन, ताल्लुक: चोरयासी, जिला: सूरत अवस्थित ।

सूरत विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्र 4,98,997 वर्ग मीटर है और जिसमें निम्नलिखित ब्लाक संख्याक समाविष्ट है, अर्थात् :-

271 (भाग),272(भाग),273(भाग),274(भाग),275(भाग),276,277,278,279,280(भाग),281(भाग), 283(भाग),287(भाग),321(भाग),322(भाग),323,324,325,326,327(भाग),328,329,330,331,332, 333,334,335,336,337,338,339,340(भाग),341(भाग),342(भाग),343,344,345(भाग),346,347, 348,385,386(भाग)388(भाग)391(भाग)392,393,394,395,397(भाग),398,399,400,428

गांव सचिन, ताल्लुक चौरयासी, जिला सूरत (गुजरात), जो मागदल्ला पत्तन से लगभग 15 किलोमीटर और सूरत विमानपत्तन से लगभग 12 कि.मी. और सचिन रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 कि.मीटर की दूरी पर है।

सीमाएं :

उत्तर दिशा :	काकरापार कैनाल
दक्षिण दिशा:	डाइमंड इंडस्ट्रियल पार्क
पूर्व दिशा :	सूरत मुम्बई रेल लाइन
पश्चिम दिशा:	काकरापार कैनाल

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 51/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R.569(E).— In exercise of the powers conferred by section 76 A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies the Surat Special Economic Zone at Surat in the state of Gujarat as a "special economic zone".

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, "Surat Special Economic Zone" means the Surat Special Economic Zone located at village Sachin, taluka: Choryasi, district Surat in Gujarat comprising of the places bearing the block numbers and enclosed by boundaries as specifies below, namely:-

Located at village: Sachin, taluka : Choryasi, district: Surat.

The total area of the Surat Special Economic Zone shall be comprising of 4,98,997 square meters of the following block numbers, namely:-

271(Part), 272(Part), 273(Part), 274(Part), 275(Part), 276, 277, 278, 279, 280(Part), 281(Part), 283(Part), 287(Part), 321(Part), 322(Part), 323, 324, 325, 326, 327(Part), 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340(Part), 341(Part), 342(Part), 343, 344, 345(Part), 346, 347, 348, 385, 386(Part), 388(Part), 391(Part), 392, 393, 394, 395, 397(Part), 398, 399, 400, 428.

Village Sachin, taluka Choryasi, district Surat (Gujarat) lying at a distance of about 15 kilometers from the port of Magdalla and about 12 kilometers from the Surat airport, about 1.5 kilometers from Sachin railway station.

Boundaries:

North Side	:	Kakrapar Canal
South Side	:	Diamond Industrial Park
East Side	:	Surat Bombay Railway Line
West Side	:	Kakrapar Canal.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 52/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 570(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) के अध्याय X क सह पठित धारा 156 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2003 कहा जाये ।

(2) ये 15 अगस्त, 2003 से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) " अधिनियम " का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "प्राधिकृत संकार्य" का तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन इकाई स्थापित करना अथवा उसका रख-रखाव करना विशेष आर्थिक जोन का विकास, रख-रखाव अथवा संचालन अथवा ऐसे जोन के विकासक द्वारा विशेष आर्थिक जोन में किसी जन उपयोगी सेवा प्रदान करना अथवा ऐसे जोन में विनिर्माण,उत्पादन, संसाधन, व्यापार, मुरम्मत, पु:निर्माण, रिकंडीशनिंग, रिइंजीनियरिंग, माल को पैक करना आदि जैसा कोई कार्य करना अथवा उससे संबंधित कोई कार्य करना अथवा कोई सेवा प्रदान करने के लिए कोई कार्य करना, अथवा ऐसे जोन से ऐसे माल अथवा सेवा का निर्यात करना;

(ग) " विकासक" से तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन के विकास अथवा संचालन अथवा रख-रखाव अथवा सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथावत् रुप से अनुमति प्राप्त करके विशेष आर्थिक जोन के भीतर जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में लगा कोई व्यक्ति और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे विकासक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) " घरेलू टैरिफ क्षेत्र" का तात्पर्य भारत के भीतर कोई क्षेत्र परंतु जिसमें विशेष आर्थिक जोन शामिल नहीं है;

(ड.) " निर्यात एवं आयात नीति " का तात्पर्य विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात एवं आयात नीति से है;

(च) " गैर प्रसंस्करण क्षेत्र " से तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र से है परंतु जिसमें प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल नहीं है;

(छ) " प्रसंस्करण क्षेत्र " का तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामित किसी क्षेत्र से है जहां केवल एक अथवा अधिक प्राधिकृत संकाय्र करने के लिए केवल विशेष आर्थिक जोन इकाइयों को स्थापित किया जाता है;

(ज) " विशेष आर्थिक जोन " का तात्पर्य अधिनियम की धारा 76 क के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन से है;

(झ) " विशेष आर्थिक जोन इकाई " का तात्पर्य केवल एक अथवा आर्थिक प्राधिकृत संकाय्र करने के लिए विशेष आर्थिक जोन के संसाधन क्षेत्र में स्थापित किए गए कारोबारी संगठन से है;

(ट) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

3. स्थापना एवं नियंत्रण :-

(1) एक विशेष आर्थिक जोन का स्पष्ट रुप से निर्धारित प्रसंस्करण क्षेत्र होगा और ऐसे क्षेत्र को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से स्पष्ट रुप से अलग रखा जाएगा ।

(2) विशेष आर्थिक जोन में प्रसंस्करण क्षेत्र को बाड़ लगाकर पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा जिसमें सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के अध्यधीन विनिर्दिष्ट प्रविष्टि और निकासी स्थल होंगे ।

(3) विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र में केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रविष्टि की अनुमति दी जाएगी ।

4 विशेष आर्थिक जोन और घरेलू टैरिफ क्षेत्र के बीच लेन-देन :- अधिनियम की धारा 76 ख और 76 च के उपबंधों के अध्यधीन:-

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई अथवा विकासक द्वारा विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में लाया गया किसी भी प्रकार के माल को आयातित माल माना जाएगा; और

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन में लाया गया कोई भी माल निर्यातित माल माना जाएगा।

5. माल का प्रवेश - अधिनियम की धारा 76 च के खंड (क) के उपबंधो और उसके अनुसरण में बनाए गए नियमों के अध्यधीन किसी प्राधिकृत संकाय्र को करने के लिए किसी भी माल को शुल्क की अदायगी बिना विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी;

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी होने के बावजूद विशेष आर्थिक जोन के अधिकारियों, मजदूरों, कर्मचारियों अथवा मालिको अथवा विकासक द्वारा वैयक्तिक प्रयोग हेतु अथवा खपत के लिए मोटर वाहन सहित माल को शुल्क की अदायगी किए बिना विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश नही करने दिया जाएगा;

(3) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो,जिन्हें लिखित रुप में रिकार्ड किये जाने वाले कारणों के लिए जैसे कि जोन से माल की प्रविष्टि एवं निकासी के लिए ऐसे माल को जो प्राधिकृत संकार्य के लिए अपेक्षित बिना जोन में प्रवेश करने और जोन से बाहर ले जाने की भी अनमति दे सकता है।

(4) विशेष आर्थिक जोन के विशेष रुप से अधिसूचित क्षेत्रों अथवा स्थापनों में ऐसे रक्षोपायों के अध्यधीन खतरनाक माल के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्तों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) विशेष आर्थिक जोन इकाई अथवा विकासक द्वारा विशेष आर्थिक जोन में माल के प्रवेश हेतु सभी दस्तावेजों को जोन के सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दायर किया जाएगा ।

(6) विकासक के पास विशेष आर्थिक जोन में स्पष्ट रुप से निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए, जहां प्राधिकृत संकार्य करने के लिए विकासक द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित अथवा प्राप्त माल को उन्हें प्रयोग में लाने से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु रखा जाएगा ।

6 विशेष आर्थिक जोन से बाहर माल की ढुलाई- विशेष आर्थिक जोन से माल की निकासी के लिए सभी दस्तावेजों को, घरेलू टैरिफ जोन इकाई या विकासक द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता की ओर से जैसा भी मामला हो जोन के सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा, जैसा भी मामला हो, दायर किया जाएगा ।

7 प्राधिकृत संकार्य

(1) इनकी अनुमति दी जानी चाहिए :-

(क) विशेष आर्थिक जोन की संसाधन क्षेत्र में स्थित विशेष आर्थिक जोन इकाई में करने के लिए ; और

(ख) ऐसा करने के लिए विकास को,

(2) उसी परिसर से दो अथवा अधिक विशेष आर्थिक जोन की यूनिटों को प्रचालित करने की अनुमति नहीं होगी ।

8 माल की उपयोगिता -

(1) किसी विशेष आर्थिक जोन में लायी गयी शुल्क मुक्त वस्तु को प्राधिकृत संकार्य के लिए ही किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट अथवा विकासकर्ता द्वारा उपयोग में लिया जायेगा ।

(2) प्राधिकृत कार्यों के प्रयोजन को छोड़कर विशेष आर्थिक जोन में लायी गयी शुल्क मुक्त वस्तु के उपयोग के मामले में अथवा वस्तु के सही लेखे जोखे के लिए विशेष आर्थिक जोन के संबंध में विकासकर्त्ता के विफल होने के मामले में ऐसे माल पर शुल्क प्रभार्य होगी मानो कि वस्तु गृह उपयोग के लिए हटा दिया गया है।

9. **विशेष मामलों में सीमा शुल्क की शुल्कों में छूट**

(1) पूंजीगत माल को उसके किसी विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र तक उसके विशेष आर्थिक जोन में उपयोग के उपरान्त हटाने के मामले में,-

(क) ऐसे माल पर उसके मूल्यह्रासित मूल्य पर लेनदेन मूल्य पर, जो भी अधिक हो, प्रविष्टि बिल दायर करने की तारीख को प्रवृत दर पर शुल्क उद्ग्रहणीय होगा;

(ख) विशेष आर्थिक जोन के यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख अथवा जहां ऐसा पूंजीगत माल ऐसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के बाद विशेष आर्थिक जोन के यूनिट को प्राप्त हुआ हो, ऐसे माल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग में लाने की तारीख से, घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि बिल प्रस्तुती की तारीख की अवधि के लिए मूल्य में ह्रास की अनुमति होगी ;

(ग) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के बाह्य सामान के संबंध में मूल निर्धारणीय मूल्य के पच्चीस प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके भाग के लिए और सीधी लाइन पद्धति पर अन्य पूंजीगत माल के मामले में दस प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके भाग के लिए दर पर मूल्य ह्रास की अनुमति होगी; और

(घ) ऐसे मूल्यह्रास की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और सौ प्रतिशत तक मूल्यह्रास की अनुमति दी जा सकती है ।

2. किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में कार्डबोर्ड, बाक्स, बार-बार उपयोग हेतु किसी अनुपयुक्त किस्म के पोलीथिलीन थैलों जैसे उपयोग में लाये गये पैकिंग सामान को हटाने के मामले में उसको बिना शुल्क भुगतान के विशेष आर्थिक जोन से निकासी की अनुमति होगी ।

(3) किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट से शुल्क का भुगतान करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल हटाने और निकासी की तारीख से 6 माह की अवधि अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमति ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर मरम्मत के प्रयोजनार्थ उसी यूनिट में वापस लाये माल के मामले में उसकी मरम्मत का मूल्य पर शुल्क भुगतान करके ऐसी मरम्मत के उपरान्त विशेष आर्थिक जोन यूनिट से हटाने की अनुमति प्रदान करेंगे बशर्ते कि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, कि संतुष्टि के लिए माल की पहचान स्थापित की जाती है ।

10. **शुल्क भुगतान के बिना माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थाई रुप से हटाना-**

निम्नलिखित माल को इसके लिए बनाए गए विनियमन के अध्यधीन शुल्क भुगतान के बिना किसी विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थाई रुप से हटाने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्

(i) पूंजीगत माल और मरम्मत के लिए उसके भाग और उसकी वापसी,

(ii) प्रदर्शन, निर्यात संवर्धन, प्रदर्शनी के लिए माल और उसकी वापसी,

(iii) जाब वर्क, परीक्षण, मरम्मत, परिशोधन के लिए माल और उसकी वापसी, और

(iv) किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट अथवा विकासकर्ता का कोई प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा उपयोग हेतु लैपटॉप अथवा कम्प्यूटरों की नोटबुक अथवा विडियो परियोजना प्रणालियां ।

11. **किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट में विनिर्मित अथवा उत्पादित मालों को किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा उसी के अन्य विशेष आर्थिक यूनिट अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में हटाना :**

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति से किसी विशेष आर्थिक ज़ोन यूनिट में उत्पादित अथवा विनिर्मित पूंजीगत मालों अथवा मालों को किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट से किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा उसी विशेष आर्थिक जोन के अन्य विशेष आर्थिक जोन अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा विशेष आर्थिक जोन यूनिट, जैसा भी मामला हो, प्राप्ति की सीमा में प्राधिकृत कार्य करने के प्रयोजनार्थ बिना शुल्क भुगतान के हटाने की अनुमति दे सकते हैं ।

(2) किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा उत्पादित पूंजीगत मालों को उसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर से अन्य विशेष आर्थिक जोन यूनिट को निकासी के मामले में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त की पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं होगी, लेकिन विशेष आर्थिक जोन यूनिटों द्वारा पूर्ति और प्राप्ति के लिए ऐसे लेनदेन का रिकार्ड रखना आवश्यक होगा ।

12. **किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा उत्पादित पूंजीगत मालों अथवा मालों सहित घरेलू टैरिफ जोन में आयातित अथवा खरीदी गई मालों का नष्ट करना :**

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त जैसा भी मामला हो, कि अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कोई व्यक्ति किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट में ऐसे कार्य करने के लिए पात्र हो, विशेष आर्थिक जोन के भीतर शुल्क भुगतान के बिना उपयुक्त अधिकारी की उपस्थिति में वमन, वेस्ट, स्क्रैप अथवा अवशिष्ट सहित ऐसी यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ जोन से खरीदी गई अथवा भारत से बाहर से आयातित मालों (पूंजीगत मालों सहित) अथवा ऐसी यूनिट द्वारा विनिर्मित अथवा उत्पादित मालों को नष्ट कर सकते हैं और ऐसा नष्ट करना, जब ऐसे जोन के भीतर नष्ट करना संभव नहीं हो, तो ऐसे जोन के बाहर नष्ट किया जायेगा बशर्ते कि --

(i) घरेलू टैरिफ क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन यूनिट से खरीदे गए मालों को नष्ट करने के मामले में घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट से दावाकर्ता रहित के आधार पर घरेलू

टैरिफ क्षेत्र की पूर्ति यूनिट द्वारा उठाए गए अथवा विशेष आर्थिक जोन द्वारा उठाए गए निर्यात लाभों को वापस करना अपेक्षित होगा; और

(ii) हीरे और जवाहिरात के माल के मामले में विशेष बहुमूल्य और अर्द्ध-कीमती पत्थरों और बहुमूल्य धातुओं के संबंध में विशेष आर्थिक जोन यूनिट में ऐसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ निर्यात लाभ में किसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात आय के रुप में प्रति-अदायगी, शुल्क पात्रता पास बुक स्कीम, रिबेट, अग्रिम लाइसेंस अथवा लाभ की गणना अथवा निर्यात बाध्यता पूरी करने के रुप में लाभ की गणना शामिल है ।

13. <u>खातों का रख-रखाव :</u>

(1) प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन के यूनिट में कम से कम निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपनी सुविधा के अनुरुप खातों का वर्षवार रख-रखाव करेंगें, अर्थात् :-

(i) निर्यात और अन्य प्राप्तियों के द्वारा सभी विदेशी मुद्राओं की आवक;

(ii) आयात और लाभांश के कारण, रायल्टी फीस, विदेश यात्रा और अन्य भुगतानों के कारण सभी विदेशी मुद्राओं की आवक ;

(iii) शुल्क मुक्त प्रविष्ट अथवा शुल्क प्रतिअदायगी दावों अथवा शुल्क पात्रता पासबुक स्कीम क्रेडिट के अंतर्गत प्राप्त सभी मालों का मूल्य एवं मात्रा;

(v) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसे उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग से उद्भूत वेस्ट, वेस्ट,

(vi)

(vii) स्क्रैप और शेष सहित उत्पादित, विनिर्मित, संसाधित, पैकेज्ड और क्लीयर की गई मालों का मूल्य और मात्रा तथा प्रदान की गई सेवाएं;

(viii) उत्पादन में उपयोग किए गए मालों का मूल्य और मात्रा;

(ix) सभी शुल्क संदत्त मालों की प्राप्ति;

(x) घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर मालों की प्राप्ति;

(xi) अन्य निर्यातोन्मुखी उपक्रमों, साफ्टवेयर प्रोद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा विशेष आर्थिक जोन यूनिटों की निकासियों का मूल्य और मात्रा तथा ऐसी यूनिटों से प्राप्ति; और

(xii) निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालों का मूल्य और मात्रा और विदेश में प्रदान की गई सेवाएं ।

2. व्यापार और विनिर्माण गतिविधियां दोनों जुड़ी प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन यूनिट उपनियम (I) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यापार और विनिर्माण कार्य के लिए अलग से खातों का रिकार्ड रखेगी ।

स्पष्टीकरण :- विदेशी मुद्रा की आवक अथवा जावक की गणना के प्रयोजनार्थ यहां तक रुपये के द्वारा मालों के अंतर यूनिट हस्तान्तरण के संबंध में विशेष आर्थिक जोन यूनिट अथवा निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जैसा भी मामला हो, में हस्तांतरण द्वारा प्राप्त भुगतानों को विदेशी मुद्रा के आवक समझा जाएगा और इसी तरह से प्राप्तकर्ता यूनिट के मामले में ऐसे भुगतान विदेशी मुद्रा की आवक के रुप में समझा जाएगा ।

14. <u>विवरणियों की प्रस्तुति :</u>

प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन यूनिट के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत इसके लिए बनाये गये विनियमन द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट प्रारुप में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, को तिमाही विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

15. **अनुबंधित विदेशी मुद्रा हासिल करने में विफल रहने पर शुल्क की वसूली:-**

(1) फ़िलहाल प्रभावी निर्यात एवं आयात नीति में अनुबंधित शुद्ध विदेशी मुद्रा आय हासिल करने में विफल रहने की स्थिति में विशेष आर्थिक ज़ोन यूनिट को इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 28 क ख के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी और फ़िलहाल प्रभावी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त माल के शुल्क-मुक्त आयात अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्रापण की तारीख से इस शुल्क के भुगतान की तारीख तक की अवधि के ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संदेय शुल्क ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि के बराबर होगा, लेकिन इस अधिनियम की धारा 76ड. में उल्लिखित छूट और उसके अनुसार संदेय शुल्क का अनुपात वही होगा जो अनुबंधित शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के अप्राप्त अंश और प्राप्त किए जाने के लिए अनुबंधित शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के बीच है।

16. **ठहरने की अवधि:** किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में लाए गए माल का, ऐसे माल को लाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर, अथवा सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति से, जिसका कारण लिखित रूप से दर्ज करना होगा, बढ़ाई गई अवधि तक, जैसी भी स्थिति हो, नियम 7 के अनुरूप उपयोग कर लिया जाए अथवा इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निर्यात कर दिया जाए अथवा निस्तारित कर दिया जाए। इस तरह का निस्तारण करने में विफल रहने पर विशेष आर्थिक ज़ोन के यूनिट अथवा विकासकर्त्ता को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा इस अधिनियम की धारा 28 क ख के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर, उक्त माल के शुल्क मुक्त आयात अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्रापण की तारीख से इस शुल्क के भुगतान की तारीख तक के ब्याज सहित शुल्क चुकाना होगा, जिसका आशय यह माना जाएगा कि उस माल को विशेष आर्थिक ज़ोन के यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उक्त पाँच वर्ष की अवधि बीतने की तारीख को हटाया गया है।

17. **स्वामित्व का हस्तांतरण:** (1) किसी विशेष आर्थिक ज़ोन के यूनिट में लाए गए अथवा विनिर्मित अथवा उत्पादित माल को बिना शुल्क चुकाए उसी विशेष आर्थिक ज़ोन में किसी अन्य विशेष आर्थिक ज़ोन यूनिट को प्राप्तकर्त्ता विशेष आर्थिक ज़ोन यूनिट द्वारा प्राधिकृत संक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से हस्तांतरित किया जा सकता है, बशर्ते आपूर्तिकर्त्ता और प्राप्तकर्त्ता विशेष आर्थिक ज़ोन यूनिट ऐसे माल का समुचित लेखा रखे।

(2) किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट में लाए गए पूंजीगत माल, अथवा विनिर्मित अथवा उत्पादित माल का दूसरे विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन एककों को प्राप्तकर्त्ता विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा प्राधिकृत संक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बिना शुल्क चुकाए हस्तांतरण किया जा सकता है, बशर्ते आपूर्तिकर्त्ता और प्राप्तकर्त्ता विशेष आर्थिक जोन यूनिट ऐसे माल का समुचित लेखा रखें।

18. **सुरक्षा:** किसी विशेष आर्थिक जोन के संबंध में फिलहाल प्रभावी कानून के तहत ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अथवा विकासकर्त्ता को शुल्क के रक्षोपाय के लिए इन नियमों के साथ अनुबद्ध प्रपत्र में सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के अनुरुप प्रतिभूति अथवा जमानत के साथ-साथ एक बांड भी भरना होगा और यह बांड उस विशेष आर्थिक जोन से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों में से एक या उससे अधिक के संबंध में होगा, नामतः-

(i) आयात अथवा निर्यात के बंदरगाह और उस विशेष आर्थिक जोन के बीच माल का आवागमन;

(ii) विशेष आर्थिक जोन यूनिट में प्रवेश, विनिर्माण और अन्य अनुमति प्राप्त कार्यकलाप;

(iii) उस विशेष आर्थिक जोन यूनिट में लाए गए माल अथवा उत्पादित अथवा विनिर्मित माल का मरम्मत या परीक्षण या क्षमता निर्धारण या प्रदर्शन या प्रसंस्करण के उद्देश्य से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिना शुल्क चुकाए अस्थाई रुप से हटाया जाना अथवा इसी तरह का कोई अन्य अस्थाई विस्थापन;

(iv) निर्यात किए गए माल का पुनः आयात;

19. **मानीटर किए जाने की प्रक्रिया :**

विशेष आर्थिक जोन यूनिट तथा विकासकर्त्ता के निष्पादन का शुल्क के रक्षोपाय के हित में जोन के सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा मानीटर किया जाएगा ।

20. **विशेष आर्थिक जोन को बंद करने की प्रक्रिया :**

किसी विशेष आर्थिक जोन के बंद होने की स्थिति में --

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट में लाए गए ऐसे माल, जो इस तरह के विशेष आर्थिक जोन के दायरे में शुल्क मुक्त हों और बिना उपयोग के पड़े हों तथा इस तरह के विशेष आर्थिक जोन यूनिट में उत्पादित अथवा विनिर्मित माल का, उसके बंद होने के तीन महीने की अवधि के भीतर या तो निर्यात करना होगा अथवा उसका शुल्क

चुकाना होगा, जिसका आशय यह माना जाएगा कि माल को इस अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) के तहत घरेलू उपभोग के लिए हटाया गया है ;

बशर्ते कि प्रयुक्त पूंजीगत माल की स्थिति में, सीमा शुल्क में कमी नियम 9 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अनुरुप उपलब्ध हो ।

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्त्ता द्वारा जोन के विकास के लिए आयात किए गए अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे गए माल और रख-रखाव, उस विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन तथा विशेष आर्थिक जोन में जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश की अनुमति प्राप्त ऐसे सभी माल का उसके बंद होने के छः महीने की अवधि के भीतर या तो निर्यात करना होगा अथवा उनपर लगने वाले शुल्क का भुगतान करके घरेलू उपयोग के लिए हटाना होगा ;

बशर्ते कि प्रयुक्त मशीनरी की स्थिति में, सीमा शुल्क में कमी नियम 9 के उप-नियम (1) प्रावधानों के अनुरुप उपलब्ध हो।

फार्म-I

विशेष आर्थिक जोन के विकासक द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु सामान्य बांड (प्रतिभूति/जमानत सहित)

हम .....जिनका पंजीकृत कार्यालय..... में है, जिसे इसके बाद आभारी कहा गया है और .....जिनको प्रतिभू कहा गया है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह संदर्भ अथवा अर्थ प्रतिकूल न हो,हमारे वारिस उत्तराधिकारी,निष्पादक,प्रशासक, समापक ,विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल हैं) एतद्द्वारा संयुक्तत: और पृथकत: भारत के राष्ट्रपति, जिनका यहाँ इसके बाद " सरकार " के रुप में उल्लेख किया गया है, के प्रति रु..... (..... रुपये मात्र) धारण करते हैं और आबद्ध करते हैं, जिसके लिए ठीक तरह से और वास्तविक रुप से भुगतान करने हेतु हम आभारी इन प्रस्तुतियों के जरिए अपने को आबद्ध करते हैं।

जबकि हम, आभारियों को दिनांक ..... के अनुमति पत्र सं.....में विहित शर्तों के आधार पर अनुमति पत्र में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत संकार्य को करने और भारत से बाहर माल के निर्यात और सेवाओं के लिए..... ..... विशेष आर्थिक जोन में इकाई स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया है और हम आभारियों ने उक्त शर्तों को विधिवत स्वीकार कर लिया है।

और जबकि विशेष आर्थिक जोन के सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त ने विशेष आर्थिक जोन के रुप में पर परिसर के लिए प्राधिकृत किया हैं, जिसमें माल के विनिर्माण अथवा सेवाओं के लिए समय-समय पर हमारे द्वारा आयातित अथवा स्वदेश में विनिर्मित अथवा अन्य निर्यातोन्मुख उपक्रम, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इसी जोन में विशेष आर्थिक जोन यूनिट अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन से उत्पादित शुल्केय माल को शुल्क का भुगतान किए बिना 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा कराया जा सकता है।

और जबकि उक्त सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को पत्तनो अथवा विमानपत्तनों अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को पत्तनो अथवा विमानपत्तनों अथवा अन्तर्देशीय आधान डिपुओं अथवा विनिर्दिष्ट भू-सीमा शुल्क गृहों अथवा सीमा शुल्क भांडागारों अथवा भारत में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से जैसा भी मामला हो विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश के लिए शुल्क मुक्त आयातित माल की निकासी की अनुमति दी है।

और जबकि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को उक्त माल अथवा उक्त इकाई से विनिर्मित अथवा उत्पादित माल को शुल्क की अदायगी किए बिना हटाने और उसका शुल्क की यदायगी किए बिना विदेशों को विमान, समुद्र, रेल अथवा सड़क, कूरियर अथवा डाक के जरिए भेजने की अनुमति दी है और जब वास्तविक रुप में ऐसा करना आवश्यक हो अथवा अन्य निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क यूनिट अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क यूनिट अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन इकाई को, उक्त निर्यातोन्मुखी उपक्रम,अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क इकाई अथवा विशेष आर्थिक जोन इकाई में उक्त माल के आगमन के लिए निर्धारित शर्तों के अध्यधीन भेजने की अनुमति दी है।

और जबकि सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को आयातित अथवा घरेलू स्रोत के माल अथवा उनसे आंशिक रुप से विनिर्मित अथवा संसाधित माल को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन शुल्क की अदायगी किए वगैर भारत में किसी अन्य स्थान पर हटाने की अनुमति दी है जो कि उसके द्वारा परीक्षण मरम्मत,अंशशोधन, रिइंजीनियरिंग रिकंडीशनिंग अथवा प्रदर्शन और उसके पश्चात् इकाई को लौटाए जाने के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई हो।

और जबकि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने विशेष आर्थिक जोन में लाए गए माल अथवा उक्त आभारी द्वारा विनिर्मित माल की समय-समय पर अनंतिम निर्धारण करने की अनुमति दी है जिसे मूल्य का ब्यौरा अथवा उसकी गुणवत्ता अथवा उसके प्रमाण अथवा उनके संबंध में रासायनिक अथवा अन्य परीक्षणों को पूरा न किए जाने के संबंध में अथवा अन्यथा आभारी के अनुरोध पर पूर्ण सूचना के अभाव में अंतिम रुप नहीं दिया जा सका।

और जबकि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा ऐसे अन्य प्रत्याचित प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, द्वारा आभारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह इस बांड की राशि के लिए जमानत के रुप में रु. (रुपये केवल)
की राशि जमा करें जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पृष्ठांकित हो और आयुक्त,उपायुक्त, सहायक आयुक्त,सीमा शुल्क अधीक्षक अर्थात ..... द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकार किया जाए और जबकि आभारी ने जैसा कि ऊपर कहा गया है, नकद अथवा जमानत जमा करके ऐसी गारंटी प्रस्तुत की हो।

अब ऊपर उल्लिखित बांड की शर्तें ये है कि :

1. हम,आभारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के सभी उपबंधों और उक्त माल के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे,

2. हम, आभारी,मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर अथवा उससे पहले, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत उक्त माल पर दावायोग्य सभी शुल्को, किराया और प्रभार को लागू दर पर ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से उस राशि पर ब्याज सहित अदा करेंगे ।

3. हम, आभारी, उक्त माल के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सभी शुल्क एवं अर्थदण्ड अदा करेंगें जिस माल को उक्त इकाई पर इस माल को जमा करने की अनुमति देने वाले आदेश की तिथि से पांच वर्षो के भीतर नहीं हटाया गया हो और उपर्युक्त अवधि के समाप्ति से लेकर माल की निकासी की तिथि तक लागू दर पर ब्याज भी अदा करेंगें।

4. हम, आभारी, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को पत्तन अथवा विमानपत्तन अथवा अंतर्देशीय आधान डिपो अथवा भू सीमा शुल्क गृह अथवा किसी भांडागार पर उनकी संतुष्टि का एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि किसी भांडागार अथवा इकाई से भेजने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर उक्त माल विशेष आर्थिक जोन में इकाई में विधिवत् रुप से पहुँच गया है।

5. हम, आभारी, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेवार होंगे कि आयात के स्थान, विनिर्माण के कारखाने अथवा भांडागार से विशेष आर्थिक जोन में इकाई को प्रेषित किए जाने पर और प्रतिक्रमात उक्त माल की ढुलाई के दौरान कोई चोरी नहीं होगी और हम, आभारी,चोरी हुए माल पर यदि कोई हो, शुल्क अदा करेंगें ।

6. हम, आभारी, विनिर्माण प्रक्रियाओं और संक्रियाओं ने प्रयुक्त सभी माल का उचित रुप से विस्तृत लेखा जोखा रखेंगें जिसमें स्टॉक में शेष माल और हमारी बचनबद्धता के अंतर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर भेजा जाने वाला माल शामिल है, और हम उचित अधिकारी अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा ऐसी अन्य प्रत्याचित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के निरीक्षण के लिए ऐसा लेखा जोखा पेश करेंगें, जब भी उनके द्वारा निदेश दिया जाएगा ।

7. हम, आभारी, सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा आय प्राप्त करेंगें तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, नियमावली तथा विनियमनों तथा आयात एवं निर्यात नीति में विहित अन्य शर्तो को पूरा करेंगें, तथा समयानुसार लागू आयात-निर्यात नीति में यथा विहित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय प्राप्त न करने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमनों जैसा मामला हो, में किए गए प्रावधान के अनुसार ब्याज सहित शुल्क अदा करेंगें ।

8. हम, आभारी, सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X क के प्रावधानों, नियमावली तथा विनियमन जैसा मामला हो, के अनुसार शुल्क अदा करेंगें यदि माल को जिसमें निर्मित अथवा उत्पादित माल शामिल है, को ऐसी अन्य सीमाओं तथा शर्तो के अधीन भारत में बेचे जाने की अनुमति दी जाती है जैसा कि भारत के सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके वाणिज्य विभाग में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित आयात एवं निर्यात नीति तथा आयात एवं निर्यात मद, 2002-2007 के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

9. हम, आभारी समय-समय पर यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति में अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त जिन्होंने शुल्क का भुगतान किए बिना विशेष आर्थिक जोन की यूनिट में माल की प्रविष्टि अथवा विशेष आर्थिक जोन से बाहर वस्तुओं के निर्माण अथवा पैकेज की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थायी आधार पर ले जाने की अनुमति प्रदान की है, द्वारा विहित शर्तो एवं सीमाओं का परीक्षण , मरम्मत, रिकंडीशनिंग, प्रसंस्करण अथवा प्रदर्शन आदि के प्रयोजनार्थ अनुपालन करेंगें।

10. हम, आभारी, नाम तथा शैली में परिवर्तन नहीं करेंगें जिसके अंतर्गत हम, आभारी, कारोबार कर रहे हैं अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त की विशेष आर्थिक जोन में लिखित अनुमति के बिना विनिर्माण स्थल में परिवर्तन नहीं करेंगें ।

यदि उपर्युक्त प्रत्येक शर्तों का हमारे आभारी द्वारा समुचित रुप से अनुपालन किया जाता है तो उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र अवैध हो जायेगा और कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा वह पूरी तरह प्रवृत्त और प्रभावी तथा मूल्य परक रहेगा ।

हमारे आभारियों और सरकार द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है:-

1. उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र किसी अधिनियम में सार्वजनिक हित है, के कार्य निष्पादन के लिए दिया जाता है।

2. सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) में विहित ढंग से सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क का अन्य किसी अधिकारी के द्वारा बकाया राशि की वसूली करती है।

इस बात का सदैव प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत प्रतिभूति की देयता आभारी (आभारियों) द्वारा निष्पादित अथवा दिए जाने वाली बाध्यता और शर्तों के संबंध में अथवा उससे संबंधित सरकार (चाहे प्रतिभू की जानकारी अथवा सहमति से अथवा बिना इसके) द्वारा मंजूर किए जा रहे किसी समय अथवा परिहार कार्य अथवा मूल के कारण न तो कम होगी न ही उन्मुक्त होगी न ही इसके अंतर्गत धनराशि के लिए प्रतिभू पर वाद चलाने से पहले आभारी (आभारियों) पर वाद चलाना आवश्यक होगा ।

और भारत के राष्ट्रपति अपने विकल्प से प्रतिभूति की जमाराशि से अथवा उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र अथवा दोनों के अंतर्गत अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके सभी हानि अथवा क्षतियों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे,

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि यह बन्धपत्र किसी अधिनियम जिसमें सार्वजनिक हित हो, के कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार के आदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाता है;

इन विलेखो में शब्द अधिरोपण एक वचन मात्र में बहुवचन तथा विलोमत भी शामिल होगा जहां संदर्भ में ऐसी अपेक्षा की गई हो।

जिसके साक्ष्य में आभारी (आभारियों) और प्रति(भूतियों) द्वारा इसमें लिखने से पहले .....

..... 20..... के..... इस दिन, को इन विलेखों पर, हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्थान

दिनांक

आभारी के हस्ताक्षर
नाम और आवासीय पता

गवाह (1) पता (1)व्यवसाय(1)

(2) पता (2)व्यवसाय

प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम और आवासीय पता

गवाह(1) पता(1)व्यवसाय(1)

(2) पता(2)व्यवसाय

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की तरफ ..... 20.....के.....दिन मंजूर किया गया ।

फार्म-II

विशेष आर्थिक जोन के विकासक द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु सामान्य बांड (प्रतिभूति/जमानत सहित)

हम .....जिनका पंजीकृत कार्यालय..... में है, जिसे इसके बाद आभारी कहा गया है और.....जिनको प्रतिभू कहा गया है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह संदर्भ अथवा अर्थ प्रतिकूल न हो, हमारे वरिस उत्तराधिकारी,निष्पादक,प्रशासक, समापक ,विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल हैं) एतद्द्वारा संयुक्तत: और पृथकत: भारत के राष्ट्रपति, जिनका यहाँ इसके बाद " सरकार " के रुप में उल्लेख किया गया है, के प्रति रु..... (..... रुपये मात्र) धारण करते हैं और आबद्ध करते हैं, जिसके लिए ठीक तरह से और वास्तविक रुप से भुगतान करने हेतु हम आभारी इन प्रस्तुतियों के जरिए अपने को आबद्ध करते हैं।

जबकि हम, आभारियों को दिनांक ..... के अनुमति पत्र सं.....में विहित शर्तों के आधार पर .... विशेष आर्थिक जोन में विकास करने, संचालन करने अथवा रख-रखाव करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति पत्र प्रदान किया गया है और हम आभारियों ने उक्त शर्तों को विधिवत स्वीकार कर लिया है।

और जबकि विशेष आर्थिक जोन के सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अंतर्गत भण्डारागार के रुप में पर परिहार का लाइसेंस दिया हैं, जिसमें अनुमति पत्र के अनुसार हमारे प्रधिकृत संकार्यो को करने के प्रयोजनार्थ समय-समय पर हमारे द्वारा आयातित अथवा स्वदेश में विनिर्मित अथवा अन्य निर्यातोन्मुख उपक्रम, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क यूनिट अथवा इसी जोन में विशेष आर्थिक जोन यूनिट अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन से उत्पादित शुल्केय माल को शुल्क का भुगतान किए बिना 6 माह की अवधि अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि जैसा कि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा बढ़ाई जाए के लिए जमा कराया जा सकता है।

और जबकि उक्त सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को पत्तनो अथवा विमानपत्तनों अथवा अन्तर्देशीय आधान डिपुओं अथवा विनिर्दिष्ट भू-सीमा शुल्क गृहों अथवा सीमा शुल्क भांडागारों अथवा भारत में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से जैसा भी मामला हो विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश के लिए शुल्क मुक्त आयातित माल की निकासी की अनुमति दी है।

और जबकि सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने आभारी को आयातित अथवा घरेलू स्रोत के माल अथवा उनसे आंशिक रुप से विनिर्मित अथवा संसाधित माल को ऐसी शर्तो और सीमाओं के अध्यधीन शुल्क की अदायगी किए बिना भारत में किसी अन्य स्थान पर हटाने की अनुमति दी है जो कि उसके द्वारा परीक्षण मरम्मत,अंशशोधन,

रिइंजीनियरिंग, रिकंडीशनिंग अथवा प्रदर्शन और उसके पश्चात् इकाई को लौटाए जाने के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई हो।

और जबकि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ने विशेष आर्थिक जोन में लाए गए माल अथवा उक्त आभारी द्वारा विनिर्मित माल की समय-समय पर अनंतिम निर्धारण करने की अनुमति दी है जिसे मूल्य का ब्यौरा अथवा उसकी गुणवत्ता अथवा उसके प्रमाण अथवा उनके संबंध में रासायनिक अथवा अन्य परीक्षणों को पूरा न किए जाने के संबंध में अथवा अन्यथा आभारी के अनुरोध पर पूर्ण सूचना के अभाव में अंतिम रुप नहीं दिया जा सका।

और जबकि सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा ऐसे अन्य प्रत्यायित प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, द्वारा आभारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह इस बांड की राशि के लिए जमानत के रुप में रु.
(रुपये केवल) की राशि जमा करें जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पृष्ठांकित हो और आयुक्त,उपायुक्त,सहायक आयुक्त,सीमा शुल्क अधीक्षक अर्थात द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकार किया जाए और जबकि आभारी ने जैसा कि ऊपर कहा गया है, नकद अथवा जमानत जमा करके ऐसी गारंटी प्रस्तुत की हो।

अब ऊपर उल्लिखित बांड की शर्तें ये है कि :

1. हम,आभारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के सभी उपबंधों और उक्त माल के संबंध में इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे,
2. हम, आभारी,मांग की नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर अथवा उससे पहले, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमो अथवा विनियमो के अंतर्गत उक्त माल पर दावायोग्य सभी शुल्को, किराया और प्रभार को लागू दर पर ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से उस राशि पर ब्याज सहित अदा करेंगे।
3. हम, आभारी, उक्त माल के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सभी शुल्क एवं अर्थदण्ड अदा करेंगे जिस माल को उक्त इकाई पर इस माल को जमा करने की अनुमति देने वाले आदेश की तारीख से पांच वर्षो के भीतर नहीं हटाया गया हो और उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने से लेकर माल की निकासी की तारीख तक लागू दर पर ब्याज भी अदा करेंगें।
4. हम, आभारी, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को पत्तन अथवा विमानपत्तन अथवा अंतर्देशीय आधान डिपो अथवा भू सीमा शुल्क गृह अथवा किसी भांडागार पर उनकी संतुष्टि का एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि किसी भांडागार अथवा इकाई से भेजने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उक्त माल विशेष आर्थिक जोन में इकाई में विधिवत् रुप से पहुँच गया है।

5. हम, आभारी, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेवार होंगे कि आयात के स्थान, विनिर्माण के कारखाने अथवा भांडागार से विशेष आर्थिक जोन में इकाई को प्रेषित किए जाने पर और प्रतिक्रमात उक्त माल की ढुलाई के दौरान कोई चोरी नहीं होगी और हम, आभारी,चोरी हुए माल पर यदि कोई हो, शुल्क अदा करेंगें ।

6. हम, आभारी, आयातित, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त, उपभुक्त और प्रयुक्त सभी माल का उचित रुप से विस्तृत लेखा जोखा रखेंगें जिसमें स्टॉक में शेष माल और हमारी बचनबद्धता के अंतर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अस्थायी रुप से भेजा जाने वाला माल शामिल है, और हम उचित अधिकारी अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा ऐसी अन्य प्रत्यायित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के निरीक्षण के लिए ऐसा लेखा जोखा पेश करेंगें, जब भी उनके द्वारा निदेश दिया जाएगा ।

7. हम, आभारी, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, नियमों और विनियमों में निर्धारित अन्य शर्ते पूरी करेंगें।

8. हम, आभारी समय-समय पर यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति में अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त जिन्होंने शुल्क का भुगतान किए बिना विशेष आर्थिक जोन की यूनिट में माल की प्रविष्टि अथवा विशेष आर्थिक जोन से बाहर वस्तुओं के निर्माण अथवा पैकेज की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थायी आधार पर ले जाने की अनुमति प्रदान की है, द्वारा विहित शर्तों एवं सीमाओं का परीक्षण , मरम्मत, रिकंडीशनिंग, प्ररुस्करण अथवा प्रदर्शन आदि के प्रयोजनार्थ अनुपालन करेंगें।

9. हम, आभारी, नाम तथा शैली में परिवर्तन नहीं करेंगें जिसके अंतर्गत हम, आभारी, कारोबार कर रहे हैं अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त की विशेष आर्थिक जोन में लिखित अनुमति के बिना विनिर्माण स्थल में परिवर्तन नहीं करेंगें ।

10. हम, आभारी, नाम तथा शैली में परिवर्तन नहीं करेंगें जिसके अंतर्गत हम, आभारी, कारोबार कर रहे हैं अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त की विशेष आर्थिक जोन में लिखित अनुमति के बिना विनिर्माण स्थल में परिवर्तन नहीं करेंगें ।

यदि उपर्युक्त प्रत्येक शर्तों का हमारे आभारी द्वारा समुचित रुप से अनुपालन किया जाता है तो उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र अवैध हो जायेगा और कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा वह पूरी तरह प्रवृत्त और प्रभावी तथा मूल्य परक रहेगा ।

हमारे आभारियों और सरकार द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है:-

1. उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र किसी अधिनियम में सार्वजनिक हित है, के कार्य निष्पादन के लिए दिया जाता है।

2. सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) में विहित ढंग से सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क का अन्य किसी अधिकारी के द्वारा बकाया राशि की वसूली करती है।

इस बात का सदैव प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत प्रतिभूति की देयता आभारी (आभारियों) द्वारा निष्पादित अथवा दिए जाने वाली बाध्यता और शर्तों के संबंध में अथवा उससे संबंधित सरकार (चाहे प्रतिभू की जानकारी अथवा सहमति से अथवा बिना इसके) द्वारा मंजूर

किए जा रहे किसी समय अथवा परिहार कार्य अथवा मूल के कारण न तो कम होगी न ही उन्मुक्त होगी न ही इसके अंतर्गत धनराशि के लिए प्रतिभू पर वाद चलाने से पहले आभारी (आभारियों) पर वाद चलाना आवश्यक होगा ।

और भारत के राष्ट्रपति अपने विकल्प से प्रतिभूति की जमाराशि से अथवा उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र अथवा दोनों के अंतर्गत अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके सभी हानि अथवा क्षतियों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे,

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि यह बन्धपत्र किसी अधिनियम जिसमें सार्वजनिक हित हो, के कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार के आदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाता है;

इन विलेखो में शब्द अधिरोपण एक वचन मात्र में बहुवचन तथा विलोमत भी शामिल होगा जहां संदर्भ में ऐसी अपेक्षा की गई हो।

जिसके साक्ष्य में आभारी (आभारियों) और प्रति(भूतियों) द्वारा इसमें लिखने से पहले ..... 20..... के..... इस दिन, को इन विलेखों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्थान

दिनांक

आभारी के हस्ताक्षर
नाम और आवासीय पता

गवाह (1) पता (1)व्यवसाय(1)

(2) पता (2)व्यवसाय

प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम और आवासीय पता

गवाह(1) पता(1)व्यवसाय(1)

(2) पता(2)व्यवसाय

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की तरफ ..... 20.....के.....दिन मंजूर किया गया ।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 52/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 570(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 read with Chapter X A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Special Economic Zones Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the 15th day of August, 2003.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "authorised operation" means setting up, or maintenance of the special economic zone unit, development, maintenance or operation of the special economic zone or providing any public utility service in the special economic zone by developer of such zone, or any activity of manufacture, production, processing, assembling, trading, repair, re-making, reconditioning, re-engineering, packaging of goods in such zone or any activity in connection therewith or carrying out any activity for rendering of any service, or export of such goods, or service from such zone;

(c) "developer" means a person engaged in development or operation or maintenance of special economic zone or in providing public utility services within the special economic zone, duly permitted by the Commissioner of Customs and includes any other person authorised by any such developer for such purpose;

(d) " domestic tariff area" means an area within India but does not include special economic zones;

(e) " Export and Import Policy" means the Export and Import Policy notified from time to time by the Central Government, in the Ministry of Commerce and Industry under section 5 of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);

(f) "non-processing area" means an area of the special economic zone, but does not include processing area;

(g) "processing area" means an area, designated by the Commissioner of Customs, in the special economic zone where only the special economic zone units are set up to carry out one or more authorised operations only;

(h) "special economic zone" means a special economic zone specified by the Central Government under section 76 A of the Act;

(i) "special economic zone unit" means an unit of business establishment set up in the processing area of special economic zone for carrying out one or more authorised operations only;

(j) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. **Establishment and control.-** (1) A special economic zone shall have clearly demarcated processing area and such area shall be distinctly separated from the non-processing area.

(2) The processing area in the special economic zone shall be fully secured by a fencing with specified entry and exit points, subject to the satisfaction of the Commissioner of Customs.

(3) The authorized persons shall only be allowed to enter the processing area of a special economic zone.

4. **Transaction between special economic zone and domestic tariff area.-** Subject to provision of sections 76 B and 76 F of the Act,-

(a) any goods brought to domestic tariff area from a special economic zone by a special economic zone unit or developer shall be treated as imported goods; and

(b) any goods admitted into special economic zone from domestic tariff area shall be treated as exported goods.

5. Admission of goods.- (1) Subject to the provision of clause (a) of section 76 F of the Act and the rules made in pursuance thereof, any goods required for carrying out any authorised operation shall be allowed to be admitted in the special economic zone without payment of duty;

(2) Notwithstanding any thing in sub-rule (1), goods including motor vehicle for personal use of, or consumption by, officials, workers, staff or owners of the special economic zone unit or developer shall not be admitted into the special economic zone without payment of duty;

(3) The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may, for reasons to be recorded in writing like frequent entry and exit of goods from the zone, also permit goods, which are not required for carrying out authorised operations, to be admitted into the zone and exit out of the zone without payment of customs duty.

(4) Hazardous goods may be admitted into specially designated areas or installations, of special economic zone subject to such safeguards as may be specified by the Commissioners of Customs.

(5) All documents for admission of goods in an special economic zone by the special economic zone unit or developer shall be filed before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, of the zone.

(6) The developer shall have a clear demarcated area in the special economic zone, where goods imported or procured from domestic tariff area by the developer for carrying out authorised operations shall be kept for inspection by customs officers, before such goods are brought into use.

6. Movement of goods out of special economic zone.- All documentation for exit of the goods from the special economic zone may be filed by the domestic tariff area buyer or on behalf of domestic tariff area buyer by the special economic zone unit or developer, as the case may be, before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs of the zone, as the case may be.

7. Authorized operations. (1) There shall be allowed-

(a) to carry out in a special economic zone unit located in the processing area of a special economic zone; and

(b) to a developer to carry out,

only such authorised operations as are allowed under these rules for such purpose.

(2) There shall not be allowed to operate from the same premises two or more special economic zone units.

8. Utilisation of goods.- (1) Goods admitted duty free into a special economic zone shall be used in a special economic zone unit or by the developer for carrying out authorised operations only.

(2) In case of utilization of goods admitted duty free in the special economic zone, for purposes other than authorised operations, or in case of failure in respect of special economic zone unit or by the developer to duly account for the goods, such goods shall be chargeable to duty as if the goods have been removed for home consumption.

9. Abatement of duties of customs in special cases.- (1) In case of removal of capital goods, after using the same in the special economic zone, from a special economic zone to the domestic tariff area,-

(a) the duty shall be levied on such goods on the depreciated value thereof or on the transaction value, whichever is higher, at the rate in force on the date of filing of the bill of entry;

(b) the depreciation in value shall be allowed for the period from the date of commencement of commercial production of the special economic zone unit, or where such capital goods have been received

in the special economic zone unit after such commencement of commercial production, from the date such goods have come into use for commercial production, to the date of presentation of bill of entry for home consumption;

(c) the depreciation shall be allowed at the rate of twenty per cent. per annum or part there of, of the original assessable value in respect of computer and computer peripherals goods and ten per cent. per annum or part thereof, in case of other capital goods on straight line method; and

(d) there shall be no upper limit for such depreciation and depreciation upto hundred per cent. could be allowed.

(2) In case of removal of used packing materials, such as cardboard boxes, polyethylene bags of a kind unsuitable for repeated use, from a special economic zone unit to the domestic tariff area, the same shall be allowed clearance out of the special economic zone without payment of duty.

(3) In case of goods removed from a special economic zone unit on payment of duty to the domestic tariff area and brought back to the same unit for purpose of repair within a period of six month from the date of clearance, or such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may allow, the same shall be allowed to be removed from special economic zone unit after such repair, on payment of duty on the value of repairs, subject to the condition that identity of the goods is established to the satisfaction of Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be.

10. Temporary removal of goods to the domestic tariff area without payment of duty. - The following goods may be allowed to be removed temporarily from a special economic zone to the domestic tariff area without payment of duty subject to the regulation made in this behalf, namely:-

(i) capital goods and parts thereof for repairs and return thereof,

(ii) goods for display, export promotion, exhibition and return thereof,

(iii) goods for jobwork, test, repair, refining and calibration and return thereof, and

(iv) laptop or notebook computers or video projection systems for use by an authorized employee of a special economic zone unit or developer.

11. Removal of goods manufactured or produced from a special economic zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or to other special economic unit in the same or other special economic zone.- With the prior permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, capital goods or goods produced or manufactured in a special economic zone unit may be allowed to be removed from a special economic zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or to another special economic zone unit in the same special economic zone or in other special economic zone without payment of duty for the purpose of carrying out authorised operations within the receiving export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or special economic zone unit, as the case may be.

(2) In case of clearance of capital goods or goods manufactured or produced by a special economic zone unit to another special economic zone unit within the same special economic zone, no prior permission of Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs shall be required, but both supplying and receiving special economic zone units shall be required to maintain records for such transaction.

12. Destruction of goods imported or procured from domestic tariff area including capital goods or goods manufactured or produced by a special economic zone unit.- (1) After obtaining the permission of the Assistant

Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, a person entitled to discharge such function of a special economic zone unit, may destroy the goods (including capital goods) procured from domestic tariff area by such unit or imported from outside India or goods manufactured or produced by such unit including rejects, waste, scrap or remnants, in the presence of proper officer without payment of duty within the special economic zone, and such destruction shall be carried out outside such zone only where it is not possible to destroy within such zone, subject to the condition that -

(i) in case of destruction of goods procured from domestic tariff area, the special economic zone unit shall be required to pay back the export benefits taken by the domestic tariff area supplying unit or taken by the special economic zone unit on the basis of disclaimer from domestic tariff area unit; and

(ii) in case of gems and jewellery item, no such destruction shall be allowed in respect of precious and semi-precious stones and precious metals to the special economic zone unit;

Explanation.- For the purposes of this rule, export benefit includes drawback, duty entitlement passbook scheme, rebate, advance license, or counting of proceeds as export earnings or counting proceeds as fulfillment of export obligation under any scheme.

13. Maintenance of accounts.- (1) There shall be maintained in every special economic zone unit accounts, financial year-wise, in the form convenient to them, at least under the following heads, namely:-

(i) inflow of all foreign exchange by way of exports and other receipts;

(ii) outflow of all foreign exchange on account of imports and on account of dividend, royalty, fees, foreign visits and other payments;

(iii) value and quantity of all goods admitted free of duty or received under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit;

(v) value and quantity of goods produced, manufactured, processed, packaged, and cleared and services rendered, including waste, scrap and remnants

arising out of such production, manufacture, processing or packaging, in the domestic tariff area;

(vi) value and quantity of goods utilised in production;

(vii) receipt of all duty paid goods;

(viii) receipt of goods from the domestic tariff area on payment of central excise duty by the domestic tariff area unit;

(ix) value and quantity of clearances to other export oriented undertakings, software technology park units, electronic hardware technology park units or special economic zone units and receipt from such units; and

(x) value and quantity of goods cleared for export and services rendered abroad.

(2) There shall be maintained in every special economic zone unit engaged in both trading and manufacturing activities, the records of accounts specified under sub-rule(1) separately for trading and manufacturing operations.

Explanation.- For the purposes of calculation of inflow or outflow of foreign exchange, the payments received by the transferring special economic zone unit or export oriented undertaking or any other unit in software technology park or electronic hardware technology park, as the case may be, in respect of inter-unit transfer of goods, even though in rupees, shall be considered as inflow of foreign exchange and similarly, in the case of the recipient unit, such payments shall be considered as outflow of foreign exchange.

14. Submission of Returns.- In respect of every special economic zone unit, there shall be furnished quarterly returns to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, the case may be, in a format as specified by regulation made under the Act in this behalf.

15. Recovery of duty on failure to achieve stipulated foreign exchange earning.- (1) In case of failure to achieve the net foreign exchange earning as stipulated in the Export and Import Policy for the time being in force, there shall be liable to, in respect of the special economic zone unit, pay duty alongwith interest at the rate as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance

(Department of Revenue,) issued under section 28AB of the said Act in this regard and for the time being in force, from the date of duty free import or procurement from domestic tariff area of the said goods till the date of payment of such duty.

(2). The duty payable, as referred to in sub-rule (1), shall be equal in amount to the duty leviable on such goods but for the exemption contained in section 76E of the Act and the duty so payable shall bear the same proportion as the unachieved portion of the stipulated net foreign exchange earning bears to the stipulated net foreign exchange earning to be achieved.

16. Duration of stay.- Goods admitted to a special economic zone shall be utilized in accordance with rule 7 or exported or disposed of in term of the provisions of these rules, within a period of five years from the date of admission of such goods, or such extended period as may be allowed by the Commissioner of Customs, for reasons to be recorded in writing, as the case may be, failing such disposal, it shall be liable in respect of special economic zone unit or on developer to pay duty along with interest at the rate as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue,) issued under section 28AB of the Act on the such duty, from the date of duty free import or procurement from domestic tariff area of the said goods till the date of payment of such duty as if such goods have been removed in domestic tariff area by special economic zone unit on the date of expiry of the said five year period.

17. Transfer of ownership.- (1) Goods admitted into or manufactured or produced in a special economic zone unit may be transferred without payment of duty to any other special economic zone unit in the same special economic zone for the purpose of carrying out authorised operations by the recipient special economic zone unit subject to the condition that both the supplying and receiving special economic zone units maintain proper account of such goods.

(2) Capital goods admitted into, or goods manufactured or produced, in a special economic zone unit may be transferred without payment of duty to special economic zone units in other special economic zone for the purpose of carrying out authorised operations by the recipient special economic zone unit subject to the condition that

both the supplying and receiving special economic zone units maintain proper account of such goods.

18. Security.- A person competent under the law for the time being in force to do so in respect of a special economic zone unit or a developer shall execute a bond alongwith surety or security to the satisfaction of the Commissioner of Customs in the form annexed with these rules for the purpose of safeguarding the duty and such bond shall be in respect of the one or more of the following activities relating to the special economic zone, namely:-

(i) movement of goods between port of import or export and the special economic zone;

(ii) admission, manufacturing and other permitted activities in the special economic zone unit;

(iii) temporary removal of admitted goods or goods produced or manufactured in the special economic zone unit for the purposes of repairs or testing or calibration or display or processing or any other similar temporary removals into domestic tariff area without payment of duty;

(iv) re-import of exported goods.

19. Monitoring.- The performance of special economic zone unit and the developer shall be monitored by the Commissioner of Customs of the zone in the interest of safeguarding the duty.

20. Closure of special economic zone. - In the event of closure of a special economic zone,-

(a) goods admitted into a special economic zone unit duty free within such special economic zone and lying unutilised as well as goods produced or manufactured in such special economic zone unit, shall be either exported or duty shall be paid as if the goods have been removed for home consumption under clause (b) of section 76 F of the Act, within a period of three months from such closure:

Provided that in case of used capital goods, abatement of duties of customs shall be available in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 9.

(b) any goods imported or procured from domestic tariff area by the developer of the special economic zone for development of zone and all such goods allowed admission to the special economic zone for maintenance, operation of the special economic zone and for providing public utility services in the special economic zone, shall be either exported or removed for home consumption on payment of applicable duties within a period of six months from such closure:

Provided that in case of used machinery, abatement of duties of customs shall be available in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 9.

Form-I

General Bond (with Surety/ Security) to be executed by a Special Economic Zone Unit.

WE.....having our registered office at ..... hereinafter referred to as the Obligors and.....called the surety (ies)(which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include our heirs, successors, executors, administrators, liquidators, legal representatives and assignees) hereby hold and firmly bind ourselves jointly and severally unto the President of India, hereinafter referred to as 'the Government' in the sum of Rs..._____Rupees_____only) for which payment to be well and truly made, we, the obligors, bind ourselves by these presents.

WHEREAS we the obligors have been granted by the Government a letter of permission for setting up a unit in special economic zone for purposes of carrying out authorised operation specified in the letter of permission and for export of goods and services out of India on the terms and conditions stipulated in the letter of permission number _____dated_____and we the obligors have duly accepted the said terms and conditions.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs of _____special economic zone has authorised the premises at .....as special economic zone unit wherein the dutiable goods, imported or sourced indigenously or sourced from other export oriented undertaking, software technology park units or electronic hardware technology park unit or special economic zone unit in the same zone or other special economic zone by us from time to time for manufacture of goods or services as aforesaid could be deposited for a period of 5 years without payment of duty.

AND WHEREAS the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted the obligor to clear duty free imported goods from ports or airports or inland container depots or specified land custom stations or customs warehouses or international exhibition held in India, as the case may be, for admission into the special economic zone.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted the obligors to remove the said goods or goods manufactured or produced from the said unit without payment of duty and despatch the same by air, sea, rail or road, courier or post for export to foreign countries without payment of duty and when required bonafide to do so, or to other export oriented undertaking or to electronic hardware technology park unit or to software technology park unit or to other special economic zone unit subject to the prescribed conditions set out for the due arrival of the said goods at the said export oriented undertaking, or a the electronic hardware technology park unit or at the software technology park unit or at the special economic zone unit.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted the obligor to remove the goods imported or sourced domestically or goods partially manufactured or processed therefrom to any other place in India without payment of duty subject to such conditions and limitations as may be specified by him, for the purpose of test, repairs, calibration, re-engineering, re-conditioning or display and to be returned to the unit thereafter.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted provisional assessment of goods brought into the special economic zone or manufactured by the above Obligors from time to time which could not be finalised for want of full information as regard to value description or quality or the proof thereof or for the non-completion of the chemical or other tests in respect thereof or otherwise at the request of the obligor.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or such other delegated authority, as the case may be, has required the obligor to deposit as security for the amount of this bond, the sum of Rs.....(Rupees.....only) endorsed in favour of the President of India and accepted for and on behalf of the President of India by the Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Superintendent of Customs, namely,_____and whereas the obligor has furnished such guarantee by depositing the cash or securities as aforesaid.

NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND ARE THAT:

1. We, the obligors, shall observe all the provisions of the Customs Act, 1962 and the rules and regulations made thereunder in respect of the said goods.

2. We, the obligors, shall pay on or before a date specified in a notice of demand all duties, rent and charges claimable on account of the said goods under the Customs Act, 1962 and rules or regulations made thereunder together with interest on the same from the date so specified at the rate applicable.

3. We, the obligors, shall discharge all duties and penalties imposed for violation of the provisions of the Customs Act, 1962, rules and regulations in respect of the said goods not removed within five years from the date of the order permitting the deposit of the said goods at the said unit, and also pay interest at a rate applicable from the expiry of the above said period till the date of the clearance of the goods.

4. We, the obligors, shall furnish to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, at port or air-port or inland container depot or land customs station or a warehouse evidence to his satisfaction with a period of three months from the date of despatch from any warehouse or unit that the said goods have duly arrived at the unit in the special economic zone.

5. We, the obligors, shall be wholly and solely responsible for ensuring that there shall be no pilferage during transit of the said goods when dispatched from the place of Import, the factory of manufacture or from the warehouse to the unit in the special economic zone and vice versa and we, the obligors, shall pay the duty on pilfered goods, if any.

6. We, the obligors, shall maintain detailed accounts of all goods used in the manufacturing processes and operations in proper from including of those remaining in stock and those sent outside the special economic zone in the domestic tariff area under our obligation, and shall produce such accounts for inspection of the proper officer or Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or such other delegated authority as the case may be, when directed by him.

7. We, the obligor, shall achieve positive net foreign exchange earning and fulfill other conditions stipulated in the Customs Act, Rules and Regulations, and Export and Import Policy as amended from time to time; and in case of failure to achieve the positive net foreign exchange earning as stipulated in the Export and Import Policy in force for the time being, pay duty alongwith interest as provided in the Customs Act, 1962 and rules or regulations made thereunder as the case may be.

8. We, the obligors, shall if the goods including manufactured or produced goods, are allowed to be sold in India subject to such other limitations and conditions as may be specified in this behalf in the Export and Import Policy and in the ITC (HS) classifications of Export and Import Items, 2002-2007 as amended from time to time, issued by the Ministry of Commerce and Industry in the Department of Commerce by publishing a notification in the official Gazette of India, pay duties as per provisions of chapter X A of the Customs Act, Rules and Regulation as the case may be.

9. We, the obligors, shall comply with the conditions and limitations stipulated, in the Export and Import Policy as amended from time to time or by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Custom permitting the goods admitted in the unit in the special economic zone or the articles manufactured or package therefrom to be taken outside the special economic zone unit into domestic tariff area temporarily, without payment of duty, for the purposes of testing repairs reconditioning, processing or display etc.

10. We, the obligors, shall not change the name and style under which we, the obligors, are doing business or change the location of the manufacturing premises except with the written permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs at____ special economic zone.

If each and every one of the above conditions is duly complied with by us, the obligors, the above written bond shall be void and of no effect, otherwise the same shall remain in full force and effect and virtue.

It is hereby declared by us, the obligors and the Government as follows –

1. The above written bond is given for the performance of an act in which the public are interested.
2. The Government through the Commissioner of Customs or any other officer of Customs recover the sums due from the obligors in the manner laid down in sub-section (1) of section 142 of the Customs Act, 1962.

Provided always that the liability of the surety hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any time being granted or any forbearance, act or omission of the Government (whether with or without the knowledge or the consent of the surety) in respect of or in relation to the obligation and condition to be performed or discharged by the obligor(s) nor shall it be necessary to sue the obligor(s) before suing the surety for amounts hereunder.

AND the President of India shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of the security deposit or by endorsing his rights under the above written bond or both;

I/WE further declare that this bond is given under the orders of the Central Government in the performance of an act in which the public are interested;

In these presents the words imposing singular only shall also include the plural and vice versa where the context so requires;

IN WITNESS WHEREOF these presents have been signed this day.....of.....20__ hereinbefore written by the obligor(s) and the surety (ies).

Place

Date

Signature of the Obligor

Name and Residential address

Witness (1) Address (1) Occupation (1)

(2) Address (2) Occupation (2)

Signature of the Surety

Name and Residential address

Witness (1) Address (1) Occupation (1)

(2) Address (2) Occupation (2)

Accepted for and on behalf of the President of India on _____ day of ____ 20_____.

Signature and date

Name_____

Designation_____

ACCEPTED for and on behalf of the President of India on .....day of .....19.....

Form-II

General Bond (With Surety/Security) to be executed by Developer of the Special Economic Zone.

WE.....having our registered office at ..... hereinafter referred to as the Obligors and.....called the surety (ies) (which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include our heirs, successors, executors, administrators, liquidators, legal representatives and assignees) hereby hold and firmly bind ourselves jointly and severally unto the President of India, hereinafter referred to as 'the Government' in the sum of Rs..._____Rupees_____only) for which payment to be well and truly made, we, the obligors, bind ourselves by these presents.

WHEREAS we the obligors have been granted by the Government a letter of permission to develop, operate or maintain _____special economic zone on the terms and conditions stipulated in the letter of permission number _____dated_____and we the obligors have duly accepted the said terms and conditions.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs of _____special economic zone has licensed the premises at .....as warehouse under section 58 of the Customs Act, 1962, wherein the dutiable goods, imported or sourced indigenously or sourced from other export oriented undertaking, software technology park units or electronic hardware technology park unit or special economic zone unit in the same zone or other special economic zone by us from time to time for the purposes of carrying our authorised operations in terms of Letter of Permission, could be deposited for a period of six months or such extended period as may be extended by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, without payment of duty.

AND WHEREAS the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted the obligor to clear duty free imported goods from ports or airports or inland container depots or specified land custom

stations or customs warehouses or international exhibition held in India, as the case may be, for admission into the special economic zone.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted the obligor to remove the goods imported or sourced domestically to the any other place in India without payment of duty subject to such conditions and limitations as may be specified by him for the purpose of test, repairs, calibration, re-engineering, re-conditioning and to be returned to the special economic zone thereafter.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs has permitted provisional assessment of goods brought into the special economic zone or manufactured by the above Obligors from time to time which could not be finalised for want of full information as regard to value description or quality or the proof thereof or for the non-completion of the chemical or other tests in respect thereof or otherwise as per request of the obligor.

AND WHEREAS the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or such other delegated authority as the case may be has required the obligor to deposit as security for the amount of this bond, the sum of Rs.....(Rupees.....only) endorsed in favour of the President of India and accepted for and on behalf of the President of India by the Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Superintendent of Customs, namely_____and whereas the obligor has furnished such guarantee by depositing the cash or securities as aforesaid.

NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND ARE THAT:

1. We, the obligors, shall observe all the provisions of the Customs Act, 1962 and the rules and regulations made thereunder in respect of the said goods.

2. We, the obligors, shall pay on or before a date specified in a notice of demand all duties, rent and charges claimable on account of the said goods under the Customs Act, 1962 and rules or regulations made thereunder together with interest on the same from the date so specified at the rate applicable.

3. We, the obligors, shall discharge all duties and penalties imposed for violation of the provisions of the Customs Act, 1962, rules and regulations in respect of the said goods not removed within five years from the date of the order permitting the deposit of the said goods at the said unit, and also pay interest at a rate applicable from the expiry of the above said period till the date of the clearance of the goods.

4. We, the obligors, shall furnish to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, at port or airport or inland container depot or land customs station or a warehouse evidence to his satisfaction with a period of forty five days from the date of despatch from any warehouse or unit that the said goods have duly arrived at the unit in the special economic zone.

5. We, the obligors, shall be wholly and solely responsible for ensuring that there shall be no pilferage during transit of the said goods when dispatched from the place of import, the factory of manufacture or from the warehouse to the special economic zone and vice versa and we, the obligors, shall pay the duty on pilfered goods, if any.

6. We, the obligors, shall maintain detailed accounts of all goods imported, procured from domestic tariff area, consumed and utilised in proper from including of those remaining in stock and those sent temporarily outside the special economic zone in the domestic tariff area under our obligation, and shall produce such accounts for inspection of the proper officer or Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or such other delegated authority as the case may be, when directed by him.

7. We, the obligor, shall fulfill other conditions stipulated in the Customs Act, Rules and Regulations, and Export and Import Policy as amended from time to time.

8. We, the obligors, shall comply with the conditions and limitations stipulated, in the Export and Import Policy as amended from time to time or by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Custom permitting the goods admitted in the unit in the special economic zone or the articles manufactured or package therefrom to be taken outside the special economic zone unit into domestic tariff area temporarily, without payment of duty, for the purposes of testing, repairs, reconditioning, processing or display etc.

9. We, the obligors, shall not change the name and style under which we, the obligors, are doing business or change the location of the manufacturing premises except with the written permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs at____ special economic zone.

If each and every one of the above conditions is duly complied with by us, the obligors, the above written bond shall be void and of no effect, otherwise the same shall remain in full force and effect and virtue.

It is hereby declared by us, the obligors, and the Government as follows –

1. the above written bond is given for the performance of an act in which the public are interested.
2. the Government through the Commissioner of Customs or any other officer of Customs recover the sums due from the obligors in the manner laid down in sub-section (1) of section 142 of the Customs Act, 1962.

Provided always that the liability of the surety hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any time being granted or any forbearance, act or omission of the Government (whether with or without the knowledge or the consent of the surety) in respect of or in relation, to the obligation and condition to be performed or discharged by the obligor(s) nor shall it be necessary to sue the obligor(s) before suing the surety for amounts hereunder.

AND the President of India shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of the security deposit or by endorsing his rights under the above written bond or both;

I/WE further declare that this bond is given under the orders of the Central Government in the performance of an act in which the public are interested;

In these presents the words imposing singular only shall also include the plural and vice versa where the context so requires;

IN WITNESS WHEREOF these presents have been signed this day.....of.....20__ hereinbefore written by the obligor(s) and the surety (ies).

Place

Date

Signature of the Obligor

Name and Residential address

Witness (1) Address (1) Occupation (1)

(2) Address (2) Occupation (2)

Signature of the Surety

Name and Residential address

Witness (1) Address (1) Occupation (1)

(2) Address (2) Occupation (2)

Accepted for and on behalf of the President of India on _____ day of ____ 20_____.

Signature and date

Name_____

Designation_____

ACCEPTED for and on behalf of the President of India on .....day of .....20.....

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 53/2003-सीमा शुल्क (गै॰ टै॰)

सा॰का॰नि॰ 571(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम,1962(1962 का 52) की धारा 76 ग की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 की उप-धारा(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारम्भ :-

(1) इन विनियमों को विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) विनियम, 2003 कहा जाए ।
(2) ये सम्पूर्ण भारत में लागू है ।
(3) ये पंद्रह अगस्त, 2003 से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क)" अधिनियम" का तात्पर्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962,(1952 का 52) है ;

(ख) " बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित बोर्ड से है ;

(ग) "अनुमोदन का बोर्ड " से तात्पर्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित निर्यातोन्मुखी इकाई और विशेष आर्थिक जोन इकाइयों के लिए संयुक्त अनुमोदन बोर्ड है ;

(घ) " अभिरक्षक" से तात्पर्य सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे गए आयातित माल की अभिरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति से है ;

(ड.) " विकास आयुक्त" का तात्पर्य संबंधित विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त से है ;

(च) " विकासक" से तात्पर्य विशेष आर्थिक जोन के विकास अथवा संचालन अथवा रख रखाव अथवा सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथावत अनुमति प्राप्त करके विशेष आर्थिक जोन के भीतर जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में लगा कोई व्यक्ति और इसमें कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे विकासक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ;

(छ)" निर्यात एवं आयात नीति" से तात्पर्य विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम,1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित निर्यात एवं आयात नीति से है ;

(ज) "निर्यातोन्मुखी उपक्रम" से तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जिसे अनुमोदित बोर्ड द्वारा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम के रुप में अनुमोदित किया गया है ;

(झ)" इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क " से तात्पर्य वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)में भारत सरकार की अधिसूचना के तहत नियुक्त अंतर मंत्रालयीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित " इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क योजना" से है ;

(ञ) " विनिर्माता निर्यातक" का वही अर्थ होगा जैसा कि निर्यात एवं आयात नीति में परिभाषित किया गया है ।

(ट) " अधिसूचित एजेंसियों " से तात्पर्य धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि., हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निर्यात निगम, राज्य व्यापार निगम, भारत परियोजना एवं उपकरण लि. और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी से है ;

(ठ)" स्वत: प्रमाणन" से तात्पर्य जोन इकाई द्वारा निर्यात के अंतर्गत कंटेनर को सील करने अथवा माल को पैक करने के संबंध में दिए गए प्रमाणन से है और इसमें कंटेनर अथवा पैकेज के सामान और सील करने के संबंध में दिया गया प्रमाण-पत्र शामिल है जिसे मालिक, कार्य सहयोगी, उक्त इकाई के प्रबंध निदेशक अथवा कंपनी सचिव अथवा कोई व्यक्ति(जो ऐसी जोन इकाई में उच्च स्थान रखता हो, ऐसे मालिक, वर्किंग पाटनर अथवा ऐसी इकाई के निदेशकों के बोर्ड द्वारा, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत किया गया हो) द्वारा शिपिंग बिल की प्रतियों पर दिया गया हो, जिससे पता चलता है कि निर्यात के अंतर्गत माल के संबंध में ऐसे पैकेज अथवा कंटेनर को उसकी उपस्थिति में सील किया गया है ;

(ड) " सॉफ्टवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क योजना " का तात्पर्य वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त अंतर मंत्रालयीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क योजना से है ;

(ढ) " प्रतिष्ठा धारक" का वही अर्थ होगा जैसा कि निर्यात एवं आयात नीति में परिभाषित किया गया है ;

(ण) "ज़ोन" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 76 क के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन से है ;

(त) " जोन इकाई" से तात्पर्य केवल प्राधिकृत संकार्य करने के लिए जोन के संसाधन क्षेत्र में स्थापित कारोबार संगठन की विशेष आर्थिक जोन इकाई से है ;

(थ) शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इसमें प्रयुक्त किया गया है परंतु परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम और नियमों में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम अथवा नियमों में उनको क्रमश: दिया गया है ।

3. जोन में इकाई को स्थापित करना-(1) एक जोन इकाई को प्राधिकृत संकार्यों को करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किया जा सकता है ।

(2) जोन इकाई को स्थापित करने के लिए अनुमति पत्र विकास आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा ।

(3) दो या उससे अधिक जोन इकाइयां उसी परिसरों से संचालन नहीं करेंगी ।

4. जोन इकाई द्वारा माल का आयात :-

(1)अपने प्राधिकृत संकार्य करने के लिए अपेक्षित अथवा इकाई को स्थपित करने के प्रयोजनार्थ जोन इकाई निम्न के जरिए माल का आयात कर सकती है ।

(क) पत्तन अथवा विमानपत्तन ;
(ख) भू-सीमा शुल्क गृह ;
(ग) अंतर्देशीय आधान डिपो ;
(घ) विदेशी डाक घर ;
(ड) प्राधिकृत कूरियर ;

(2) माल को सार्वजनिक रुप से बांडिड भांडागारों अथवा निजी बांडिड भांडागार अथवा भारत में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

(3) सॉफटवेयर के मामले में, डाटा कम्यूनिकेशन लिंक, इंटरनेट, ई-मेल अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक मोड के जरिए भी आयातों की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(4) सभी पत्तनों, विमानपत्तनों, भू-सीमा शुल्क गृहों, अंतर्देशीय आधान डिपो पर सभी आयातित माल की निकासी के लिए, जोन इकाई अथवा विकासक, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा,अर्थात:-

(i) जोन इकाई अथवा विकासक, जैसा भी मामला हो, को घरेलू खपत हेतु पांच प्रतियों में प्रविष्टि पत्र दायर करना होगा जिसमें, पूर्ण ब्यौरा मॉडल, प्रकार, विनिर्देश, माल के आयात का प्रयोजन जैसे कि व्यापार, विनिर्माण , माल का स्वरुप जैसे कि पूंजीगत माल, कच्चा माल, पुर्जे, उपभोज्य, जिसमें लदान बिल अथवा विमान बिल, बीजक, पैकिंग सूची और खरीद आदेश और जोन में प्रविष्टि पत्र की नोटिंग के लिए ठेका सहित विशेष आर्थिक जोन कार्गो के रुप में विशेष रुप से स्टाम्प लगाया गया पृष्ठांकन हो ;

(ii) आगम पत्र का जोन में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारण किया जाएगा ;

(iii) निर्धारित आगमन- पत्र को आयात के स्थान जैसे कि पत्तन, विमानपत्तन,भू-सीमा शुल्क गृह,अंतर्देशीय आधान डिपो पर सीमा शुल्क के उप आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो,(जिसे इसमें इसके'बाद समुचित अधिकारी कहा गया है) को प्रस्तुत किया जाएगा और इसे जजोन के माल के स्थानातरण के लिए अनुमति के रुप में माना जाएगा ;

(iv) सीलबंद फुल कंटेनर लोड के मामले में सीमा शुल्क सुरक्षा के बगैर, सील के सत्यापन के पश्चात निर्धारित आगमपत्र के आधार पर माल को जोन में स्थानांतरित किया जाएगा ;

(v) अन्य कार्गो के मामले में, माल को जोन इकाई द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर सीमा शुल्क सुरक्षा के अन्तर्गत अथवा वाहनान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित आगम-पत्र के आधार पर जोन में स्थानांतरित करने की अनुमति दीजानी चाहिए और ऐसे वाहनान्तरण के लिए किसी अलग दस्तावेज को दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी और वाहनान्तरण अनुमति की आगम पत्र की पांचवी प्रति पर मुहर लगाई जाएगी ;

(vi) जोन में माल के आगमन पर, फुल कंटेनर लोड कंटेनर के मामले में माल पर लगाई गई सील का सत्यापन किया जाएगा अथवा अन्य मामले में लगाए गए निशानों और पैकेजों की संख्या का सत्यापन किया जाएगा और ऐसे सत्यापन के पश्चात् यदि सब सही पाया गया तो ऐसे प्राप्त माल को जोन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी;

(vii) जोन इकाई, जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के पृष्ठांकित किये हुए आगम पत्र की पांचवी प्रति को विमानपत्तन,पत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपो, भू सीमा शुल्क गृह,डाक-घर, सार्वजनिक अथवा निजी बांडिड भांडागार जैसा भी मामला हो के प्रभारी समुचित अधिकारी को ऐसे विमानपत्तन,पत्तन,अंतर्देशीय आधान डिपो, भू सीमा शुल्क गृह, डाक-घर, सार्वजनिक अथवा निजी बांडिड भांडागार, जैसा भी मामला हो, से माल की निकासी की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी कि जोन में माल प्राप्त हो गया है और जिसके न होने पर,ऐसे विमानपत्तन, पत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपों, भू-सीमा शुल्क गृह, डाक-घर, सार्वजनिक अथवा निजी बांडिड भांडागार, जैसा भी मामला हो, का प्रभारी समुचित अधिकारी जोन इकाई से शुल्क की मांग उठाते हुए जोन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले समुचित अधिकारी को लिखेगा ।

(viii) यदि माल को कार्यकारी घंटों के दौरान लाया जाता है तो उसी दिन और यदि माल ने कार्यकारी घंटों के बाद लाया जाता है तो तुरंत अगले कार्यकारी दिन जोन इकाई को जोन के समुचित अधिकारी से माल का सांकेतिक प्रभार बाहय प्राप्त करना अपेक्षित होगा ;

(ix) जहां माल को जोन इकाई अथवा विकासक द्वारा कूरियर के जरिए आयात किया जाता है, जोन में सीमा शुल्क अधिकारी कूरियर आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 के अनुसार माल का निर्धारण करेंगे।

(5) जोन इकाई अथवा विकासक द्वारा आयातित माल की विस्तृत जांच नहीं की जाएगी, केवल उस मामले को छोड़कर जहां पूर्व आसूचना अथवा सूचना अथवा आकस्मिक निरीक्षण की संभावना हो।

(6) जहां माल को डाक द्वारा आयात किया गया हो, जोन इकाई अथवा विकासक, उप-विनियम(4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित शर्तोंके अध्यधीन जोन में सीमा शुल्क अधिकारियों के पास आगम-पत्र दायर करेगा जिस पर स्पष्ट रुप से " डाक द्वारा आयात " लिखा होगा, अर्थात् :-

(i) आगम पत्र के प्रयोजनार्थ, डाक-घर द्वारा जारी सूचना-पत्र में इंगित डाक-घर पंजीकरण संख्या को आगम-पत्र के आयात सामान्य मालसूची और मद संख्या के रुप में लिया जाएगा ;

(ii) डाक-घर से प्राप्त सूचना पत्र की प्रति को मूल आगम-पत्र के पीछे भी चिपकाया जाएगा ;

(iii) यदि ज़ोन विदेशी डाकघर से दूर हो, तो माल को ऐसे डाकघर से ज़ोन तक सीमा शुल्क मार्गरक्षी अथवा डाक प्राधिकारियों की निगरानी में ले जाया जाए।

5. रत्न एवं आभूषण यूनिट द्वारा निजी वाहन के जरिये माल का आयातः

(1) विनियम 4 में निहित किसी बात के बावजूद रत्न एवं आभूषण के विनिर्माण एवं आयात में संलग्न ज़ोन यूनिट को निजी असबाब के जरिये कीमती माल-- नामतः सोना, चांदी, प्लेटिनम, रत्न एवं आभूषण का आयात करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए, नामत :

(i) कीमती माल को लाने वाले यात्री द्वारा हवाई अड्डे पर आगमन कक्ष में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष संबंधित हवाई अड्डे के प्रभारी सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट घोषणा प्रपत्र में माल का खुलासा किया जाए और उसके साथ ही ज़ोन के सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रज्ञापन (इंटिमेशन) की एक विधिवत पावती प्रति भी जमा कराई जाए;

(ii) यात्री द्वारा माल को यथोचित तरीके से पैक करके उस पर प्राप्त करने वाले ज़ोन यूनिट के नाम और पते का उल्लेख करके और उसके साथ बीजक तथा पैकिंग सूची संलग्न करते हुए संरोध रसीद (डिटेंशन रिसीट) प्राप्त करके सीमा शुल्क अधिकारियों को भांडागार में संरोध (डिटेंशन)के लिए सौंप दिया जाए।

(iii) सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा माल का संरोध किया जाए और वजन, शुद्धता और छड़ों की संख्या, यूनिट का नाम, यात्री का पासपोर्ट नंबर और आपूर्तिकर्ता का नाम, आदि का पूरा ब्यौरा देते हुए संरोध रसीद जारी किया जाए;

(iv) ज़ोन यूनिट द्वारा बीजक की एक प्रति, पैकिंग सूची, ज़ोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष की गई घोषणा सहित पांच प्रतियों में आगम पत्र दायर किया जाए और ऐसे मामलों में यात्री के आगमन के समय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी संरोध रसीद संख्या को आयात सामान्य माल-सूची और मद संख्या मानी जाए;

(v) आगम पत्र के मूल्यांकन के बाद आगम पत्र की मूल प्रति ज़ोन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रख ली जाए और बाकी प्रतियां ज़ोन यूनिट के प्रतिनिधि को हवाई अड्डे के संरोध काउन्टर पर प्रस्तुत करने के लिए सौंप दी जाए, जहां मूल संरोध रसीद और ज़ोन यूनिट से प्राधिकार लेकर तथा भाण्डागार पंजिका और संरोध रसीद पंजिका में आगम दर्ज करके और ज़ोन यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लेने के बाद माल को निकासी की अनुमति दे दी जाए;

(vi) माल निकल जाने के बाद माल को सीमा शुल्क मार्गरक्षी की निगरानी में जोन तक ले जाया जाए और पैकेज के निशान और संख्या का सत्यापन हो जाने तथा जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सांकेतिक "प्रभार-बाह्य" दे दिए जाने के बाद माल को जोन यूनिट में प्रवेश कराने की अनुमति दी जाए;

(vii) हवाई अड्डे पर इस प्रकार संरोध किए गए माल को उस जोन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी अथवा एजेंसी के द्वारा ढुलाई करने की अनुमति भी दे दी जाए ।

6. **डाटा कम्यूनिकेशन अथवा टेलीकम्यूनिकेशन लिंक के जरिए आयातः**

(1) जोन यूनिट द्वारा डाटा कम्प्यूनिकेशन अथवा टेलीकम्यूनिकेशन लिंक के जरिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आयात किए जाने की स्थिति में जोन यूनिट इस तरह के आयात के चौबीस घंटे के भीतर बीजक और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित आगम पत्र दायर करेंगे और जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों से सांकेतिक "प्रभार बाह्य" प्राप्त करेंगे, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, नामतः-

(i) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के इस तरह के आयात से संबंधित बीजक, आदि जैसे दस्तावेज बैंकों के माध्यम से लाए जाएं;

(ii) ऐसे साफ्टवेयर की कीमत का जोन के विकास आयुक्त द्वारा सत्यापन किया जाए;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश, यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाए ।

7. **भाण्डागार से प्रापण :**

(1) यदि माल का प्रापण इस अधिनियम की धारा 57 और धारा 58 के तहत नियत अथवा लाइसेंस प्राप्त भांडागार से किया जाए, तो जोन यूनिट द्वारा माल का पूरा ब्यौरा, जैसे कि मॉडल, बनावट, क्रम संख्या, नमूना का उल्लेख करते हुए जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष आगम पत्र दायर किया जाए ।

(2) जोन यूनिट द्वारा जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किए गए विधिवत मूल्यांकित आगम पत्र को उस भाण्डागार के प्रभारी समुचित अधिकारी के समक्ष जमा किया जाए, जहां से जोन यूनिट माल का प्रापण करना चाहता है।

(3) भांडागार के प्रभारी समुचित अधिकारी द्वारा बिना शुल्क भुगतान के जोन यूनिट को आपूर्ति करने के लिए भाण्डागार से बांड-रहित लदान पत्र के कवर पर जोन के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा मूल्यांकित आगम पत्र के आधार पर माल की निकासी की अनुमति दे दी जाए ।

(4) यदि जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बांड-रहित लदान पत्र की प्रति पर किए गए पृष्ठांकन के द्वारा पुनः भाण्डागारित करने का प्रमाण पत्र भाण्डागार के प्रभारी समुचित अधिकारी को भाण्डागार से माल की निकासी की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो उस भाण्डागार के प्रभारी समुचित अधिकारी द्वारा जोन यूनिट को इस तरह की आपूर्ति किए गए ऐसे माल के स्वामी से शुल्क की मांग की कार्रवाई शुरू की जाए।

(5) यदि माल कार्यावधि के दौरान लाया जाता है तो उसी दिन, अथवा यदि माल कार्य अवधि के बाद लाया जाता है तो अगले कार्यदिवस को तुरंत जोन यूनिट द्वारा उस जोन के समुचित अधिकारी से माल का सांकेतिक "प्रभार-बाह्य" प्राप्त कर लिया जाए ।

8. भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से माल का प्रापणः

विनियम 7 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप जोन यूनिट को भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से माल का प्रापण करने की अनुमति दे दी जाए।

9. माल का पुनः आयात अथवा अदला-बदली अथवा पुनःनिर्यातः

(1) जोन यूनिट को ऐसे माल का पुनः आयात करने की अनुमति दी जाए, जो निर्यात की गई हो और विदेशी खरीदार द्वारा खराब अथवा क्षतिग्रस्त पाई गई हो अथवा खरीदार उस माल की डिलीवरी लेने में विफल रहा हो, बशर्ते वह विनियम 4 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप हो और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, नामतः

(i) पुनः आयात के समय माल की पहचान सुनिश्चित की जाए; और

(ii) माल के निर्यात की तारीख के एक साल की अवधि के भीतर उसका पुनःआयात कर लिया जाए;

(2) यदि जोन यूनिट द्वारा आयात किया गया माल खराब या क्षतिग्रस्त अथवा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाए और आपूर्तिकर्ता ऐसे खराब या क्षतिग्रस्त अथवा प्रयोग के लिए

अनुपयुक्त माल को बदल देने के लिए राजी हो तो ऐसे निःशुल्क बदले गए प्राप्त माल को विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारत में अधिकृत डीलर के जरिये आयात या अदला-बदली के माध्यम से जोन में प्रवेश कराने की अनुमति दे दी जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएँ, नामतः

(i) ऐसे खराब या क्षतिग्रस्त अथवा प्रयोग के अनुपयुक्त पाए गए माल का बाद में पुनःनिर्यात किया जाए; अथवा

(ii) यदि ऐसे माल का विदेशी आपूर्तिकर्ता उस माल के पुनः निर्यात के लिए जोर नहीं देता, तो उसका पुनःनिर्यात करने पर जोर नहीं दिया जाए बशर्ते उस माल को समुचित अधिकारी की अनुमति से या तो नष्ट कर दिया जाए अथवा शुल्क का भुगतान करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उसकी निकासी कर दी जाए, जिसका आशय यह माना जाएगा कि घरेलू उपभोग के लिए उसकी निकासी की गई है।

10. घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा माल का प्रापणः

(1) जोन यूनिट अथवा विकासक, जैसी भी स्थिति हो, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राधिकृत संकार्य के लिए किसी माल का प्रापण कर सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, नामतः

(i) जोन यूनिट को माल की आपूर्ति करने वाले घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा, अथवा उस घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट की ओर से जोन यूनिट या विकासक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, एक निर्यात पत्र दायर किया जाए, जिसमें माल का पूरा ब्यौरा, मॉडल, बनावट, नमूना और प्रकृति जैसे कि पूंजीगत माल, कच्चा माल, अतिरिक्त माल, उपभोग्य माल बताते हुए उस पर "विशेष आर्थिक जोन कार्गो" की मुहर का पृष्ठांकन किया जाए और उसके साथ जोन में निर्यात पत्र की नोटिंग और मूल्यांकन के लिए बीजक, पैकिंग सूची तथा खरीद आदेश भी संलग्न किया जाए;

(ii) निर्यात पत्र का जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाए;

(iii) उस घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट पर क्षेत्राधिकार रखने वाले समुचित अधिकारी के पास मूल्यांकित निर्यात-पत्र जमा किया जाए और उसे ही जोन को माल हस्तांतरित करने के लिए अनुमति मानी जाए;

(iv) जोन इकाई अथवा विकासक, जैसा भी मामला हो, को माल की आपूर्ति कर रही घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई को ए आर इ-I के कवर पर और निर्यात के निर्धारित बिल पर माल को हटाने की अनुमति दी जाए जिसमें उनके द्वारा पूर्ण ब्यौरा, मॉडल, बनावट, क्रम संख्या, नमूना आदि दी गई हों;

(v) जोन में इस प्रकार लाए गए माल को निर्यात के निर्धारित बिल और ए आर इ-I की एक प्रति के आधार पर जोन में प्रवेश की अनुमति दी जाए, इस पृष्ठांकन के साथ कि माल को पूरी तरह से जोन में प्रविष्ट करा दिया गया है और उसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित किया जाए, जिसे न करने पर अधीक्षक घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई के खिलाफ शुल्क की मांग करे;

(vi) जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई अथवा जोन इकाई को ऐसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई की ओर से शुल्क प्रतिअदायगी के दावे अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना के अंतर्गत निर्यात का बिल दायर किया है और घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई शुल्क प्रतिअदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का दावा करने का इरादा नहीं रखती है, इस आशय का एक अस्वीकरण घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई को दिया जाए ओर घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई द्वारा दिए गए अस्वीकरण के आधार पर जोन इकाई द्वारा शुल्क प्रतिअदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का दावा किया जा सकता है ;

(vii) जोन में समुचित अधिकारी उसी तरह से निर्यात बिल का निर्धारण करें जैसा कि शुल्क प्रतिअदायगी के दावे अथवा शुल्क हकदारी पास बुक योजना क्रेडिट अथवा अदावा, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत माल के निर्यात के मामले में इसका निर्धारण किया जाता है और संबंधित निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत जारी निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे माल का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किया जाए;

(viii) जोन में ऐसे माल के प्रवेश की अनुमति से पहले, जोन के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा ए आर इ-I और निर्यात बिल, बीजक और पैकिंग सूची में दिए गए ब्यौरे, मात्रा, निशान, मॉडल आदि के संबंध में और निर्यात माल के संबंध में बनाए गए परीक्षण मानदण्डों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर भी माल की जांच की जाए।

(ix) घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा जोन यूनिट अथवा विकासक को शुल्क प्रति-अदायगी अथवा शुल्क पात्रता पासबुक स्कीम क्रेडिट के विरुद्ध ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति तभी ग्राह्य होगी जब जोन यूनिट को ऐसी माल की आपूर्ति मुक्त रुप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है;

(x) निर्यात बिल और इस संबंध में ए आर ई.-I की जोन सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पृष्ठांकन की एक प्रति कि जोन में माल पूरी तरह प्राप्त हो चका है, को निर्यात का प्रमाण समझा जायेगा ;

(xi) जहाँ माल को जोन यूनिट द्वारा किसी व्यापारी अथवा मर्चेन्ट निर्यातक से खरीदे जाने का इरादा है, यहां ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया निर्यात बिल दायर करने सहित यथा परिवर्तन लागू होगी, इस बात को छोड़कर कि ए आर ई-I कवर के अंतर्गत माल को जोन में लाया जाना अपेक्षित नहीं होगा अथवा मर्चेन्ट निर्यातक के परिसरों से माल को हटाने के लिए निर्यात बिल की निर्धारित प्रति अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

11. निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क यूनिट से वस्तुओं की खरीद-(i) भूल । न कि वैध लिंक जोन यूनिट अथवा विकासक निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर यूनिट से पूंजीगत माल अथवा विनिर्मित माल की खरीद भी कर सकते हैं, अर्थात् :-

(i) विनियमन 7 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जैसा भी मामला हो, जोन यूनिट अथवा विकासक शुल्क मुक्त आयातित अथवा खरीदी गई पूंजीगत माल, जैसा भी मामला हो, का अन्तरण कर सकता है ;

(ii) विनियमन 10 में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क यूनिट, जैसा भी मामला हो, जोन यूनिट अथवा विकासक को विनिर्मित माल का शुल्क मुक्त अंतरण कर सकता हैं ;

(iii) खण्ड (i) और (ii) के अंतर्गत जोन यूनिट अथवा विकासक द्वारा खरीदे गये माल को जोन में ही प्राधिकृत संकार्य के प्रयोजनार्थ इसका उपयोग किया जायेगा ;

(iv) खण्ड (i) और (ii) के अंतर्गत जोन यूनिट में निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में ऐसे हस्तान्तरित पूंजीगत माल अथवा विनिर्मित माल को सभी उद्देश्यों के लिए जोन यूनिट में आयातित माल समझा जायेगा ।

12. उसी जोन अथवा अलग-अलग जोन में एक जोन यूनिट से दूसरी जोन यूनिट में माल का अंतरण:- एक जोन यूनिट निम्नलिखित शर्तो के अधीन उसी जोन अथवा दूसरे जोन में स्थित दूसरे जोन की यूनिट से माल अर्थात् पूंजीगत माल अथवा विनिर्मित माल खरीद सकती हैं, अर्थात् :-

(i) प्राप्तकर्ता जोन यूनिट घरेलू उपयोग के लिए आगम पत्र चार प्रतियों में दायर करेगा जिसमें पूर्ण विवरण, मॉडल, बनावट, विनिर्दिष्टकरण, माल आयात का उद्देश्य, माल की प्रकृति जैसे पूंजीगत माल, कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे, उपयोग हेतु, बीजक सहित, जोन के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों सहित पैकिंग सूची और ऐसी यूनिट पर क्षेत्राधिकार रखते हो।

(ii) ऐसे मूल्यांकित आगम पत्र के आधार पर ढुलाई के परमिट के अंतर्गत प्राप्तकर्ता जोन यूनिट को माल को हटाने अथवा हस्तांतरित करने की अनुमति होगी ;

(iii) माल की ढुलाई के प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त दस्तावेज दायर करना अपेक्षित नहीं होगा और ढुलाई अनुमति पर आगम पत्र के समय मुहर लगाई जायगी ।

(iv) आपूर्तिकर्ता जोन यूनिट उचित अधिकारी जो ऐसे आपूर्तिकर्ता यूनिट पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं, 45 दिन की अवधि के भीतर पुन: भण्डारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसके विफल रहने पर आपूर्तिकर्ता जोन यूनिट के अधिकार क्षेत्र रखने वाले उचित अधिकारी प्राप्तकर्ता जोन यूनिट से शुल्क माँग के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाली प्राप्त कर्ता जोन यूनिट के उचित अधिकारी को लिखेगा ;

(v) खण्ड (i) में निहित किसी वस्तु के होते हुए भी उस मामले में जहाँ आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्त्ता जोन यूनिट उसी जोन में स्थित हैं, प्राप्तकर्त्ता और आपूर्तिकर्त्ता जोन यूनिट दोनों द्वारा खातों के रख रखाव के अधीन कच्चे माल सहित माल की आवाजाही की अनुमति होगी और जोन में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास कोई आगम पत्र दायर करना अपेक्षित नहीं होगा।

13. विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा माल का निर्यात :-

(1) अनुमति पत्र की शर्तो के अनुसार जोन यूनिट द्वारा विनिर्मित खरीदे गये; रीकन्डीशन्ड, री-इन्जीनियरड, आयातित अथवा खरीदे गये, जैसा भी मामला हो, किसी माल को निम्नलिखित शर्तो के अधीन भारत से बाहर विमानपत्तन अथवा पोर्ट अथवा इनलैंड कन्टेनर डिपो अथवा भू-सीमा-शुल्क स्टेशन के माध्यम से अथवा डाक अथवा कोरियर अथवा निजी वाहन, जैसा भी मामला हो, के द्वारा निर्यात कर सकते हैं; अर्थात् :-

(i) जोन यूनिट माल का पूर्ण विवरण जैसे मॉडल, बनावट, क्रमसंख्या,विनिर्दिष्टकरण सु-संगत दस्तावेज अर्थात बीजक, पैकिंग सूची, नोटिंग के लिए जी आर फार्म (दो प्रतियों में) देते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों के पास चार प्रतियों में शिपिंग बिल दायर करेगा ;

(ii) शिपिंग बिल को सामान्य निर्यात के मामले में अनुपालन किये जाने के तरीके और प्रक्रिया जोन के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा ;

(iii) माल की रोजाना जाँच नहीं की जायेगी और निर्यात आदेश को जोन यूनिट द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर दिया जा सकता है ;

(iv) खण्ड (iii) में किसी बात के होते हुए जोन से गेटवे पोर्ट को अथवा गेटवे पोर्ट, विमानपत्तन अथवा भू-सीमा शुल्क स्टेशन पर माल के पारगमन के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किए गए मानदण्डों के अनुसार माल की जाँच कर सकते हैं ;

(2) जोन यूनिट विदेशी डाक कार्यालय के माध्यम से निर्यात के लिए लागू सामान्य प्रक्रिया के अधीन डाक द्वारा माल का निर्यात कर सकती है।

14. साफ्टवेयर यूनिट द्वारा आँकड़े संचार लिंक के माध्यम से अथवा स्थल सेवाओं पर प्रावधान के द्वारा निर्यात :-

(1) साफ्टवेयर सेक्टर में लगी जोन यूनिट को विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमन, 2000 के अनुसार डैटा लिंक के माध्यम से काल सेन्टर सेवाओं सहित वाया इन्टरनेट, ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा और जोन के विकास आयुक्त द्वारा विधिवत प्रमाणित साफ्टक्स फार्म सहित साफ्टवेयर अथवा संसाधित आँकड़े अथवा विश्लेषित आँकड़ों के निर्यात की अनुमति दे सकते हैं, को ऐसे निर्यातों की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जोन के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(2) साफ्टवेयर सहित सेवाओं के निर्यात में लगी जोन यूनिट को संविदा अथवा खरीद आदेश, भेजी गई विदेशी मुद्रा और विदेश में तैनात व्यक्ति के बारे में जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों को ब्यौरा प्रस्तुत करने के अधीन विदेश में " स्थल पर " परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।

(3) जोन यूनिट के द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में स्थल पर परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त परामर्शदात्री शुल्क को निवल विदेशी मुद्रा आय के प्रयोजनार्थ निर्यात समझा जायेगा ।

15. व्यक्तिगत वाहन के माध्यम से रत्न और आभूषण के द्वारा निर्यात,-(1) जहाँ जोन यूनिट रत्न और आभूषण के विनिर्माण और निर्यात में लगी है, वहाँ जोन यूनिट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी से आने वाली यात्री के द्वारा अपने व्यक्तिगत सामान में ले जाने वाले निर्यात माल की अनुमति दे सकते हैं, अर्थात् :-

(i) जोन यूनिट जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के पास बैंक के द्वारा विधिवत प्रमाणित अग्रिम प्रेषण प्रमाणपत्र बीजक जी आर-1 सहित शिपिंग बिल प्रस्तुत करेगी ;

(ii) शिपिंग बिल को सामान्य निर्यात के मामले में किए जाने के ढंग में जोन के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा ;

(iii) माल को सीमा-शुल्क आयुक्त जो जोन के सीमा शुल्क कवच के अंतर्गत जोन पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं, द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा निर्धारित शिपिंग बिल के कवर के अंतर्गत जोन से विमानपत्तन हस्तान्तरित किया जायेगा ;

(iv) विमानपत्तन पर खेप को सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा विमानपत्तन पर जारी " संरोध रसीद " के विरुद्ध विमानपत्तन में भण्डारगृह में जमा करा सकेंगे ;

(v) खेप को प्रस्थान के समय मूल संरोध रसीद की प्रस्तुति पर प्राधिकृत यात्री को सुपुर्द करेंगे ;

(vi) जोन यूनिट जोन में जोन से सीमा शुल्क को माल को हटाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्यात किए जाने वाले विमानपत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्यात साक्ष्य प्रस्तुत करेगी ।

16. अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर रत्न और आभूषण यूनिट के द्वारा शॉरुमों पर प्रदर्शनी और बिक्री के माध्यम से माल का निर्यात - रत्न और आभूषण के विनिर्माण और निर्यात में लगी जोन यूनिट को सीमा शुल्क आयुक्त जो उस जोन पर अधिकार क्षेत्र रखते है, के द्वारा विहित ऐसी शर्तों और प्रक्रिया के अधीन भारत से जाने वाले यात्रियों की बिक्री हेतु भारत में अन्तर राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रस्थान विश्राम कक्ष में स्थापित शॉरुमों में प्रदर्शनी के लिए रत्न और आभूषण लेने की अनुमति होगी ।

17. विदेश में प्रदर्शनी में भागीदारी हेतु निर्यात - (1) जोन यूनिट निर्यात और आयात नीति के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेश में प्रदर्शनियों में प्रदर्शनी अथवा भागीदारी के लिए रत्न और आभूषण सहित माल के निर्यात की अनुमति होगी, अर्थात् :-

(i) जोन यूनिट को जोन के विकास आयुक्त जिसमें विदेशमें प्रदर्शनी में भागीदारी हेतु जोन यूनिट को अनुमति दी गई हो, से अनुमति प्राप्त करेंगे ;

(ii) संगत दस्तावेजों सहित शिपिंग बिल को सामान्य निर्यात में यथा लागू उसी ढंग और अनुपालन की जाने वाली उसी प्रक्रिया में जोन के सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास दायर करेगा ;

(iii) जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा माल की जाँच-पड़ताल के बाद अस्थाई आधार पर निर्यात की अनुमति होगी ;

(iv) प्रदर्शनी में बेचे न गये माल को निर्यात और आयात नीति में दी गई ऐसी अवधि के भीतर आयात किया जायेगा;

(v) जोन यूनिट सामान्य आयात के मामलों में यथा-अपेक्षित बेचे न गये माल का प्रविष्टि बिल दायर करेगी और इसे उसी ढंग में और सामान्य आयातित माल के लिए यथा लागू उसी प्रक्रिया के अधीन निर्धारित किया जायेगा ;

(vi) पुनः आयातित माल को साक्ष्यांकित निर्यात दस्तावेजों के संदर्भ में माल की पहचान स्थापित करने और तद्नुसार अस्थाई निर्धारण को अन्तिमरुप देने के अधीन यूनिट में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति होगी ;

(vii) विदेश में प्रदर्शनी के दौरान बेचे गए माल के संबंध में जोन इकाई को आंतरिक धन प्रेषण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

18: कुरियर के माध्यम से निर्यात :-

उन मामलों में जहां जोन इकाई कुरियरों के माध्यम से माल का निर्यात करती है तो ऐसे निर्यात गेटवे एयरपोर्ट पर अधिकार रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त के यहाँ पंजीकृत प्राधिकृत कुरियर के माध्यम से किए जाने की ही अनुमति होगी और कुरियर निर्यात तथा आयात (निपटान) विनियम, 1998 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का इस उद्देश्य के लिए अनुपालन किया जाएगा ।

19. व्यापारी निर्यात के माध्यम से जोन इकाई द्वारा माल का निर्यात :-

जोन इकाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निर्यात और आयात नीति के अनुसार तीसरे पक्ष के माध्यम से माल का निर्यात कर सकती है अर्थात:-

(i) जोन से माल का सीधे ही निर्यात किया जाएगा ;

(ii) निर्यात दस्तावेज में व्यापारी निर्यातक और जोन इकाई का नाम विहित होगा;

(iii) व्यापारी निर्यातक जोन में शिपिंग बिल के आकलन के समय इस आशय का अस्वीकरण पत्र जमा करेगा कि उसके द्वारा किसी प्रकार का निर्यात लाभ नहीं लिया जा रहा है अथवा लिया जाएगा ।

20. घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाई के साथ प्लेन आभूषणों की अदला-बदली :-

रत्नों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात में लगी हुई जोन इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र की रत्न और आभूषण इकाई से प्लेन सोना, चाँदी अथवा प्लेटिनम आभूषणों को प्राप्त करने की अनुमति होगी और उक्त आभूषणों में प्रयुक्त सोना चांदी अथवा प्लेटिनम की समतुल्य मात्रा को उसके बदले में रखाना होगा और शर्त है कि इस प्रकार के आभूषणों के हस्तान्तरण में किसी प्रकार की छीजन अथवा निर्माण की हानि अनुमत्य नहीं होगी तथा जोन में आभूषण मूल्यांकनकर्ता द्वारा बहुमूल्य धातुओं के साथ ही आभूषण का मूल्यांकन करने के पश्चात ही इस प्रकार के हस्तान्तरण की अनुमति दी जाएगी।

21. जोन इकाई से निर्मित और उत्पादित माल को किसी निर्यातोन्मुख उपक्रम या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में हटाना :-

(1) समुचित अधिकारी किसी जोन इकाई को पूँजीगत माल अथवा जोन इकाई द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित माल की किसी निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, जैसा भी मामला हो, में विर्माण और निर्यात के उद्देश्य के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना अथवा निर्यात के लिए अथवा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर इकाई के अन्दर उपयोग के लिए हस्तान्तरण की अनुमति दे सकता है अर्थात:-

(i) प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी इकाई, जैसा भी मामला हो, के समुचित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए खरीद प्रमाण-पत्र के विरुद्ध जोन इकाई इस प्रकार का हस्तान्तरण करेगी ।

(ii) प्रविष्टि का वेयर हाउसिंग बिल प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क यूनिट, जैसा भी मामला हो की ओर से निर्यातोन्मुख इकाई अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क इकाई अथवा आपूर्तिकर्ता विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा जोन के सीमा शुल्क अधिकारी के पास दायर किया जाएगा ।

(iii) निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई निकासी की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट पर अधिकार रखने वाले समुचित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रि-वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र जोन में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iv) जहां पर निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई माल की निकासी के दिन से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर रि-वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो जोन के सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे निर्यातोन्मुख उपक्रम, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई, जैसा भी मामला हो, प्राप्तकर्ता इकाई के उचित अधिकारिक अधिकारी के साथ मामला उठाएगें ।

22. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में जोन इकाई द्वारा माल की बिक्री :-

(1) जोन इकाई को अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) की शर्तों में सीमा शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्वीकृत छीजन, कतरन, अवशेष तथा इस प्रकार के उत्पादन से निकलने वाले सहायक उत्पादों सहित जोन इकाई में विनिर्मित अथवा उत्पादित माल को बेचने की अनुमति होगी ।

(2) व्यापारिक कार्यकलापों में लगी हुई जोन इकाई को अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) के अंतर्गत शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित अथवा देश में ही खरीदे गए मालों को बेचने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि जोन इकाई ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करते समय संयमी रुप से सार्थक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की हो और माल की ऐसी बिक्री उस सीमा तक अनुमत्य होगी कि यूनिट की अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा यथावत रुप से सार्थक बनी रहेगी।

(3) जोन इकाई से माल खरीदने का आशय रखने वाली घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई को घरेलू खपत के लिए माल के सम्पूर्ण विवरण अर्थात प्रकार, मॉडल नम्बर, क्रम संख्या, विनिर्दिष्ट सहित बीजक और पैंकिग की सूचा वाली प्रविष्टि का बिल जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के पास फाइल करने की आवश्यकता पडेगी ।

(4) खण्ड (4) में कुछ भी विहित होने के बावजूद घरेलू खपत के लिए प्रविष्टि का बिल घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित क्रेता द्वारा अनुमोदन के आधार पर जोन इकाई द्वारा भी फाइल किया जाना चाहिए।

(5) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निपटान किए गए मालों के मूल्यांकन का निर्धारण अधिनियम की धारा 14 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(6) जहां पर जोन इकाई द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे गए माल को उसी रुप में अथवा पर्याप्त प्रक्रिया के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र को वापस आपूरित किया गया हो, ऐसे माल को पुन: आयातित माल के रुप में माना जाएगा और इस प्रकार की खरीद पर वही प्रक्रिया और शर्तें लागू होंगी जोकि भारत के बाहर से सामान्य रुप से पुन: आयात किए जाने वाले माल के मामले में लागू होती हैं ।

(7) जहां पर जोन इकाई के पास अपने कारखानागत उर्जा संयंत्र अथवा डीजल जेनरेटिंग सेट से अधिशेष उर्जा को विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त खपत योग्य और कच्ची सामग्रियों पर शुल्क के भुगतान पर घरलु टैरिफ क्षेत्र को हस्तान्तरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि निम्नलिखित शर्तो के आधार पर अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति के आधार पर प्रयूक्त कच्ची सामग्री और खपतयोग्य पदार्थें की गई गणना को शर्तो के आधार पर बेचा जा सके अर्थात :-

(i) विकास आयुक्त कार्यालय में प्राप्त अधिशेष विद्युत की ब्रिी के प्रस्ताव पर उस राज्य के राज्य विद्युत बोर्डों सहित संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जाँच-पडताल की जाएगी ;

(i) विकास आयुक्त कार्यालय में प्राप्त अधिशेष विद्युत की ब्रिी के प्रस्ताव पर उस राज्य के राज्य विद्युत बोर्डों सहित संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जाँच-पडताल की जाएगी ;

(ii) विद्युत इकाई के उत्पादन के मानदण्डों जिन्हें कि अंतिम रुप दिया जाना है विचार-विमर्श हेतु अनुमोदन बोर्ड के पास जमा कराए जाने चाहिए ।

(iii) उसी जोन की अन्य इकाई अथवा अचजोन अथवा अन्य निर्यातोन्मुख उपक्रम को अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई को अथवा अन्य सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई को बेची जाने वाली विद्युत और अधिशेष विद्युत की बिक्री के मामले में जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त को शुल्क के भुगतान के बिना देने की अनुमति होगी:

बशर्ते कि विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपभोज्य मात्रा और कच्ची सामग्री जिसे कि अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई अथवा निर्यातोन्मुख उपक्रम,इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा सॉफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई, जैसा भी मामला हो, में हस्तान्तरित किया गया हो तथा शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की गणना के लिए आपूर्ति करने के साथ ही प्राप्तकर्ता इकाइयों के प्रति उत्तरदायी अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित और अनुमोदित किया गया हो ।

23. रत्न और आभूषण जोन इकाई द्वारा स्क्रैप और कतरनों को हटाना :-(1) रत्न और आभूषणों के निर्माण और निर्यात में संलग्न जोन इकाई को अपनी इस इकाई में उत्सृजित सोने अथवा चाँदी या प्लेटिनम स्क्रैप, डस्ट अथवा स्वीपिंगों को इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया को अपनाने के बाद जोन में वापस लौटाने हेतु मानक सोने की छड़ों में परिवर्तित करने के लिए सरकार अथवा निजी टकसाल में भेजे जाने की अनुमति होगी ।

(2) अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) के प्रावधान के अनुसार सोने अथवा चाँदी या प्लेटिनम डस्ट, स्क्रैप या स्वीपिंगों को उक्त स्क्रैप डस्ट या स्वीपिगों में सोने अथवा चाँदी या प्लेटिनिम की मात्रा पर शुल्क का भुगतान करने पर घरेलु टैरिफ क्षेत्र में निकासी करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए :-
बशर्ते कि इस प्रकार के सोने अथवा चाँदी अथवा प्लेटिनम स्वीपिगों, स्क्रैप अथवा डस्ट के नमूने निकासी के समय किए जाएगें और आकलन के लिए सरकारी अथवा निजी टकसाल में भेजा जाएगा तथा सरकारी अथवा निजी टकसाल ,जैसा भी मामला हो से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अंतिम आकलन किया जाएगा ।

24. शुल्क का भुगतान किए बिना विशिष्ट उददेश्यों के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी जोन इकाई द्वारा माल को अस्थाई रुप से हटाना:-

(1) अनुमति मंजूरी मिलने और समुचित अधिकारी द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद जोन इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में परीक्षण या मरम्मत या आंशिक शोधन या पुन: इंजीनियरी या पुन- अवस्था में लाने के उद्देश्य के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना अस्थाई रुप से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयात अथवा पूंजीगत माल की खरीद सहित निर्मित अथवा उत्पादित माल को हटाने की अनुमति होगी :-

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि माल को जोन से बाहर ले जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर जोन में वापस लाना होगा ।
यह भी व्यवस्था है कि यदि जोन का उचित अधिकारी यदि यह उचित समझाता है तो पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि को 2 महीने की और आगे की अवधि तक बढ़ा सकता है ।

2. यदि जोन इकाई उप-विनियमन (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर जोन में माल वापस लाने में असफल रहती है तो अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) के प्रावधान की शर्त के अनुसार इस प्रकार के माल पर देय शुल्क को जोन इकाई अदा करेगी ।

3. उप-विनियमन (1) और (2) के प्रावधान की शर्त के अनुसार जोन इकाई को अथवा मरम्मत अथवा आंशिक शोधन अथवा पुन: इंजीनियरी अथवा पुन: अवस्था में लाने के उद्देश्य के लिए उसी जोन में स्थित अन्य इकाई अथवा अन्य जोन में, अथवा निर्यातोन्मुख उपक्रम इकाई अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा सॉफटवेयर प्रोद्योगिकी पार्क इकाई, जैसा भी मामला हो,से पूंजागत माल सहित माल को लेने की अनुमति होगी ।

4. सॉफटवेयर या अन्य के विकास में लगी जोन इकाई को उस इकाई के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा उपयोग करने के लिए लेपटाप कम्प्यूटर और विडियो प्रोजेक्शन प्रणाली को अस्थाई तौर पर जोन से बाहर ले जाने की अनुमति उचित अधिकारी द्वारा दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करती हो, अर्थात:-

I. जोन यूनिट, आयात अथवा स्थानीय प्राप्ति के पश्चात अपनी मांग सूची में लेपटोप अथवा वीडियो प्रक्षेपण का लेखा-जोखा रखेगी ।

II. जोन यूनिट, अस्थायी रुप से बद्ध क्षेत्र के बाहर ले जाए जाने के लिए अभिप्रेत लेपटॉप कम्प्यूटरों और वीडियो प्रक्षेपण प्रणाली के पूरे विनिर्देशन अर्थात क्रमांक, मॉडल संख्या, निर्माण आदि का विवरण देते हुए किसी कर्मचारी को नाम से प्राधिकृत करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी और प्राप्ति सूचना यूनिट द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

III. ज़ोन यूनिट को अस्थायी रुप से लेपटॉप कम्पयूटरों अथवा वीडियो प्रक्षेपण प्रणाली को ऐसे यूनिट से बाहर ले जाने अथवा लाने के लिए खंड (ii) के अंतर्गत प्राधिकरण के ऐसे प्रमाण-पत्र का रिकार्ड रखना अपेक्षित होगा और यह रिकार्ड उस जोन पर क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) ऐसी शर्त के अध्यधीन जो प्रभारी अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन जिसका उल्लेख समय-समय जोन के सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा किया जा सकता है, क्षेत्र यूनिट को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्मित अथवा उत्पादित माल की सीमित मात्रा को शुल्क का भुगतान किए बिना प्रदर्शन, बाजार प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, प्रदर्शनी के प्रयोजन से ऐसे प्रभारी अधिकारी अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसी भी मामला हो, द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत ले जाने अथवा वापिस लौटाने की अनुमति दी जाएगी ।

बशर्ते प्रभारी अधिकारी द्वारा इस आशय का यथाविनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत क्षेत्र में माल वापिस लाने के लिए ज़ोन यूनिट की चूक के मामले में, ज़ोन यूनिट अधिनियम की धारा 76एफ के खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे माल पर प्रयोज्य शुल्क का भुगतान करेगा ।

25. ज़ोन यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र अथवा विदेश में उत्पादन अथवा उत्पादन प्रक्रिया की उप-संविदा-(1) क्षेत्र यूनिट निवेश, अर्ध-निर्मित अथवा अर्ध-संसाधित माल समेत माल को उजरती कामगारों के परिसरों तक माल के आगे संसाधन अथवा उत्पादन के लिए शुल्क अदा किए बिना माल को ले जाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अर्थात:-

(i) ज़ोन यूनिट उजरती कामगार का नाम और पता, उजरती कामगार का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या, यदि वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से पंजीकृत हैं, उजरती कामगार की क्षमता, उजरती कामगार द्वारा किए जाने वाले संसाधन के विवरण, बद्ध परिसरों के बाहर माल के

संसाधन की औचित्यता और अन्य कोई भी संगत सूचना वाला आवेदन माल को आगे संसाधित करने अथवा उत्पादन करने के लिए प्रभारी अधिकारी को फाइल करेगा ।

(ii) प्रभारी अधिकारी, आवेदन की जांच करने के पश्चात और क्षेत्र यूनिट की वास्तविक अपेक्षा के संबंध में स्वयं तुष्ट होने के पश्चात, उजरती कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है और ऐसी अनुमति आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी । तथापि, उजरती कार्य के लिए भेजी जाने वाली वस्तुओं की संवेदनशील प्रकृति और क्षेत्र यूनिट के पिछले रिकार्ड पर विचार करते हुए एसी अनुमति एक वर्ष की उपर्युक्त अवधि से कम हो सकती है ।

बशर्ते कि रत्न और जवाहरात के विनिर्माण और निर्यात में लगी क्षेत्र यूनिट के मामले में कोई गढ़ाई और पॉलिश किए गए हीरे, कीमती पत्थर और कम मूल्यवान पत्थरों को जोन के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) ज़ोन यूनिट के आवेदन पर विचार करते समय, उपर्युक्त यूनिटों द्वारा निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के संबंध में सम्पूर्ण संसाधित कार्यकलापों का अध्ययन किया जा सकता है और प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि बद्ध परिसरों के बाहर विनिर्माण प्रक्रिया का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

(iv) जोन यूनिट के परिसरों से बाहर उजरती कार्य के आधार पर किए जाने के लिए अनुमत कार्यकलापों के संबंध में उजरती कार्य के पश्चात प्राप्त तैयार माल की साम्यता कच्चे माल अथवा उसके संघटकों से पुष्ट की जाएगी, अथवा आंशिक तौर पर संसाधित माल को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाएगा कि तैयार माल का विनिर्माण यूनिटों द्वारा आयातित अथवा नि:शुल्क प्राप्त किए गए कच्चे माल से किया जाता है अथवा इसे शुल्क पुन: अदायगी के दावे के अंतर्गत अथवा क्षेत्र यूनिट में शुल्क पात्रता पास बुक स्कीम जमा के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसे माल का कोई प्रतिस्थापन अथवा हस्तांतरण नहीं हुआ है ।

बशर्ते कि रत्न और जवाहिरात के विनिर्माण और निर्यात में लगे ज़ोन यूनिट के मामले में नमूनों को बाहर ले जाने अथवा उसे सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसे माल का मूल्यांकन उजरती कार्य के पूरा होने के पश्चात् जवाहिरात के पारखी द्वारा

जोन से ऐसे माल को बाहर ले जाते समय अथवा जोन में माल को वापिस प्राप्त करते समय किया गया हो ।

बशर्ते यह भी कि जहां बारीकी, शुद्धता, निर्माण, क्रमांक से संबंधित चिन्ह वाले सोना-चांदी के रुप में मूल्यवान धातु, उजरती कार्य के लिए जोन से बाहर ले जाई जा रही है, वहां जेवरों के पारखी द्वारा मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा ।

(v) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उजरती कार्य के लिए माल भेजने वाले जोन यूनिट को प्रभारी अधिकारी को सूचना देनी अपेक्षित होगी और उजरती कार्य के लिए भेजे गए माल का नमूना निकाल लिया जाएगा और जोन के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा ।

(vi) उजरती कार्य के पश्चात जोन यूनिट में माल के प्राप्त होने पर, जोन के सीमाशुल्क अधिकारी वापिस माल की साम्यता नमूने को ले जाए जाने के समय उनके द्वारा रखे गए नमूने से पुष्ट करेंगे और जोन को वापिस किए गए संसाधित माल का नमूना 6 माह की अवधि के लिए रिकार्ड के उद्देश्य से रखा जाएगा और दोनों ही नमूने जोन यूनिट से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात जोन यूनिट को लौटा दिए जाएंगे ।

(vii) जैसा कि प्रचलन में है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उजरती कार्य के लिए इकाई बिना संसाधित किए आयातित अथवा घरेलू तौर पर खरीदे गए कच्चे माल, पुर्जों को भेजने वाली जोन इकाई समुचित अधिकारी को भेजे जा रहे ऐसे शुल्क मुक्त माल पर छोड़े गए शुल्क को शामिल करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी ।

बशर्ते कि बेदाग कीर्तिमान स्थापित करने वाली प्रतिष्ठित यूनिट के मामले में ऐसी कोई गारंटी की अपेक्षा नहीं होगी ।

(viii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अर्ध-संसाधित माल को उजरती कार्य के लिए ले जाने के लिए जोन यूनिट उजरती कार्य के लिए ले जाए गए माल पर देय शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा ।

बशर्ते कि कोई नई अथवा अतिरिक्त बैंक गारंटी का आग्रह नहीं किया जाएगा यदि जोन यूनिट ने फार्म-1 में बांड के साथ प्रतिभूति के रुप में बैंक गारंटी प्रस्तुत की है और यह ले जाए गए ऐसे माल पर देय शुल्क को शामिल करने के लिए पर्याप्त है ।

बशर्ते यह भी कि बेदाग कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित यूनिट के मामले में ऐसी कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाएगी ।

(ix) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उजरती कार्य के सभी मामलों में, उजरती कार्य के लिए भेजा गया माल, माल ले जाने की तिथि से 90 दिन की अवधि अथवा वह अवधि जो प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए लिखित रुप में रिकार्ड किए जाने के कारण से बढ़ाई जा सकती है, के भीतर लौटाना अपेक्षित होगा और उपर्युक्त अवधि के भीतर माल प्राप्त न होने की स्थिति में, शुल्क वसूल करने के लिए प्रभारी अधिकारी द्वारा उजरती कार्य के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल ले जाने के समय दी गयी बैंक गारंटी को भुनाने जैसी कार्रवाई की जाएगी ।

(x) प्रभारी अधिकारी, स्वयं उजरती कामगारों के परिसरों का दौरा करके अथवा इस आशय से उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अथवा उजरती कामगारों के परिसरों के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित रेंज अधिकारियों को पत्र अथवा फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा और लिखित रुप में रिपोर्ट प्राप्त करने के द्वारा उजरती कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर उजरती कामगारों के परिसरों में घोषित प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए उजरती कामगारों के परिसरों, उजरती कामगारों की संसाधन क्षमता, सुविधा की मौजूदगी का सत्यापन करने के लिए अविलम्ब जांच करेगा ।

(2) जोन इकाइयां, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उक्त संविदा उत्पादन के लिए अनुमति देगा:-

(i) प्रभारी अधिकारी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन की ऐसी उपसंविदा की वास्तविक आवश्यकता के बारे में अपने को तुष्ट करेगा और जोन इकाई को नैमित्तिक रुप से ऐसी अनुमति हेतु स्वीकृति नहीं देगा ।

(ii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा अन्य निर्यात अभियोन्मुख उद्यम अथवा साफ्टवेयर तकनीकी पार्क इकाई अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क इकाई अथवा जोन इकाई में उत्पादन की उप-संविदा के लिए अनुमति देते समय, प्रभारी अधिकारी उजरती कामगार इकाईयों के साथ-साथ जोन इकाई के पूर्ववृत्त को सत्यापित करेगा और उनके द्वारा पाए गए गम्भीर स्वरुप के किसी दुरुपयोग के मामले में अथवा अन्य किसी कारण से जहां यह पुष्ट हो जाता है कि वहां ऐसी अनुमति के लिए

कोई औचित्य नहीं है अथवा वहां ऐसी सुविधा का दुरुपयोग होने के अधिक अवसर हैं, तब उस जोन के क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी अनुमति को अस्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) उत्पादन को उप संविदा पर देने की सुविधा पूर्व वर्ष में किए गए वास्तविक निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी बशर्ते कि उत्पाद का विनिर्माण जोन में किया जा रहा हो ।

(iv) रत्न एवं जवाहरात के निर्माण एवं निर्यात में लगी जोन इकाईयों के मामले में बिना कटे तथा पॉलिश युक्त हीरों, कीमती पत्थरों तथा अर्ध कीमती पत्थरों को जोन से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी ।

(v) उप-विनियमन (1) में यथा विहित अन्य शर्तें खंड (viii) को छोड़कर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन को उप-संविदा पर देने के मामले में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगी ।

(3) समुचित अधिकारी की अनुमति के अधीन जोन इकाई को शुल्क का भुगतान किए बगैर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उजरती कामगारों के पास सांचों, जिगों, औजारों, फिक्सचरों, टेकल्स, यंत्रों, हैंगरों, पैटर्नों तथा अभिकल्पों को भेजने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी इकाई से निष्कासन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे उप-संविदा के पूरा होने पर ऐसे माल को यूनिट में वापिस लाएगी ।

(4) इस संबंध में आयात तथा निर्यात नीति के उपबंधों का अनुसरण करते हुए जोन यूनिट को विदेश में अथवा भारत के बाहर उत्पादन के एक भाग को उप-संविदा पर देने की अनुमति दी जाएगी तथा विदेश में एसी कार्रवाई के दौरान माल को या तो अगली कार्रवाई के लिए जोन यूनिट को वापिस किया जाएगा अथवा उस देश में अथवा किसी तीसरे देश में क्रेताओं को बेच दिया जाएगा ।

बशर्ते कि विदेश में उप-संविदाकारी के परिसर में जनित स्क्रैप अथवा बाड़ अथवा अवशेष को या तो जोन यूनिट को वापस किया जा सकता है अथवा विदेश में ही निपटाया जा सकता है ।

बशर्ते कि विदेश में प्रसंस्कृत माल की बिक्री अथवा स्क्रैप अवशिष्ट अथवा अवशेष के मामले में विदेश में प्रसंस्करण के दौरान उजरती कामगर के विदेश परिसर में सीधे उत्पन्न हुआ है, की बिक्री के मामले में यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करेगी।

(5) प्रभारी अधिकारी उजरती कामगार के परिसर से जो न इकाई को तैयार माल का सीधे निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर दे सकता है:-

(i) उजरती कामगार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत है।

(ii) तीसरे पक्ष के जरिए उजरती कामगार के परिसर में निर्मित माल को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(iii) उजरती कामगार के परिसर से निर्यात किए गए माल के नमूनों को जोन में प्रभारी अधिकारी के पास निर्यात किए गए माल की पहचान उजरती कामगार से लिए गए माल से करने के लिए भेजा जाएगा।

(iv) ऐसे निर्यात के मामले में शुल्क मुक्त माल के शिपिंग बिलो की निर्यात की बन्दरगाह पर ही प्रसंस्कृत किया जाए जैसा कि सामान्य निर्यात के मामले में है और शिपिंग बिलों को जोन इकाई के नाम से फाइल किया जाए।

(v) ऐसे निर्यात के लिए माल उजरती कामगार के परिसर से बांड के अधीन हटाया जाएगा।

(6) उजरती कामगार के परिसर में ऐसी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्क्रैप अवशिष्ट अथवा अवशेष को या तो जोन इकाई में वापिस कर दिया जाएगा या शुल्क के भुगतान पर उसकी निकासी की जाएगी मानोकि उक्त अवशिंष्ट या स्कैप अथवा अवशेष की निकासी जोन द्वारा की गई है।

(7) व्यापार में लगी जोन इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया की उपसंविदा करने की अनुमति नही दी जाएगी ।

26. निर्यात के लिए जोन इकाई में घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए उत्पादन प्रक्रिया की उप संविदा करना:- जोन ईकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई की ओर से निर्यात के लिए उजरती कार्य करने की अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर दी जाएगी अर्थात् :-

(i) अर्द्ध तैयार माल अथवा कच्चे माल की आपूर्ति घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई द्वारा जोन इकाई को की जाएगी ।

(ii) जोन इकाई को उजरती कार्य के लिए आपूर्ति ऐसे अर्द्ध तैयार माल अथवा कच्चे माल पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र ईकाई द्वारा कोई निर्यात लाभ नहीं लिया जाएगा।

(iii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई की ओर से जोन इकाई से सीधे तैयार माल निर्यात किया जाएगा।

(iv) निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई के नामसे होगा ।

(v) ऐसे माल की कीमत को जोन इकाई की कुल अर्जित विदेशीमुद्रा में नहीं जोड़ा जाएगा।

(vi) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इकाई प्रतिअदायगी की सभी उद्योग दर अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होगी।

27. जोन इकाई से नमूने लेना :- निर्यात और आयात नीति के प्रावधान के अधीन जोन इकाई को विनिर्मित अथवा उत्पादित माल से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अधिनियम के भाग 57 च की धारा (ख) के प्रावधान के अनुसार शुल्क भुगतान करके प्रदर्शन अथवा विपणन संवर्धन हेतु शुल्क भुगतान किए बिना निर्यात करने के लिए लेने की अनुमति होगी।
2. जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र में शुल्क का भुगतान करने के बाद विनिर्मित अथवा उत्पादित माल के नमूने लिए जाने हैं तो विनियमन 21 में दी प्रक्रिया लागू होगी सिवाय इसके की आगम पत्र जोन इकाई द्वारा दायर करना होगा।

28. **पूंजीगत माल अथवा जोन इकाई द्वारा विनिर्मित अथवा उत्पादित माल सहित आयातित माल का नष्ट होना** (1) विनियमन 21 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अध्याधीन, जहां विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2003 के नियम 12 की शर्तो के तहत माल नष्ट होने के कारण सक्रैप अवशिष्ट अथवा अवशेष उत्पन्न होता है तो जोन इकाई को यह अनुमति होगी कि वह अधिनियम के भाग 76 च की धारा (ख) के प्रावधान के अनुसार ऐसे स्क्रैप और अवशिष्ट पर लागू शुल्क का भुगतान करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ले जा सकता है।
(2) यदि प्राप्त कोई माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र से शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पास बुक योजना क्रेडिट अथवा किसी निर्यात संर्वधन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक विपदाओं के कारण नष्ट होता है तो जोन इकाई को ऐसे माल पर ली गई शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का भुगतान करना होगा ।

29. प्रतिभूति (1) अचंल के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमति पत्र के आधार पर जोन एकक प्रभारी अधिकारी के पास विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2003 के साथ लगे फार्म 1 में एक बांड भरेगा और ऐसी जमानत अथवा प्रतिभूति इस विनियमन में विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार होगी ।
2. लिमिटेड कम्पनी के लिए बांड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा निदेशक (निदेशको) जिन्हें इस कार्य के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर ने प्राधिकृत किया है द्वारा भरा जाएगा और कम्पनी की मोहर लगेगी ।
3. जहां इकाई एक साझेदारी संस्था है वहां बांड इकाई के सभी साझेदारों द्वारा भरा जाएगा।
4. बांड की राशि माल पर लगने वाले शुल्क के बराबर होगी । किन्तु जोन इकाई में आए शुल्क मुक्त माल और माल की कीमत वह होगी जो जोन में माल के आगमन के समय आगम पत्र में घोषित कीमत थी ।
5. जोन इकाई बांड राशि के बराबर जमानत प्रस्तुत करेगी अथवा बांड राशि की पांच प्रतिशत की राशि बैंक गांरटी के रुप में देनी होगी अथवा कोई अन्य जमानत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो ओर जमानत के मामले में जामिनियों की शोध क्षमता को किसी चार्टड एकाउटैंट अथवा जमानत के बैंकर जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित किया जाए।
6. लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अथवा सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कम्पनी के लिए जमानत दे सकते है और अन्य लिमिटेड कंपनियों सहित अन्य निगमित निकाय भी इकाई के लिए जमानत दे सकते है।

7. उप-विनियमन (5) में दी गई किसी बात के बावजूद जहां जोन इकाई का कारोबार एक करोड़ अथवा उससे अधिक रुपए का है, ऐसी इकाई को जमानत अथवा प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है ।

8. सीमा शुल्क अधिकारी के पास भरे गए बांड की कीमत आयातित माल की परियोजित कीमत पर निकाली गई है और ऐसे बांड की कीमत इकाई में प्रवेश किए माल पर छोडे गए शुल्क से कम है, तो इकाई को संशोधित बांड प्रस्तुत करना होगा और अतिरिक्त जमानत, जैसा भी मामला हो, देनी होगी और उत्पादन प्रक्रिया उप ठेकेदारी अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन के मामले में यदि बांड के साथ दी गई जमानत यदि लगने वाले शुल्क के बराबर नहीं है तो इकाई को अतिरिक्त जमानत देना अपेक्षित होगा ।

9. बांड एक चालू बांड होगा और इकाई में शुल्क मुक्त माल के प्रवेश होने के समय डेबिट होगा।बांड राशि में से कच्चे माल के लिए डेबिट की गई कीमत को पुनः क्रेडिट किया जाएगा जब कच्चे माल का प्रयोग तैयार उत्पाद विनिर्माण हेतु किया जाएगा और ऐसे विनिर्मित माल को या तो निर्यात किया जाएगा अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अधिनियम अथवा नियमावली और विनियमन के प्रावधानों के अनुसार निकासी होगी, जैसा भी मामला हो।

10. पूंजीगत माल अथवा अवस्थापना सामग्री, जमानत अथवा प्रतिभूति के मामले में पूंजीगत माल अथवा अवस्थापना सामग्री के इकाई में आने पर जमानत मुक्त नहीं होगी जब तक की पूंजीगत माल इकाई में है अथवा इकाई का पूंजीगत माल डिबाण्डेड न हो ।

11. पूंजीगत माल अथवा अवस्थापना सामग्री अथवा कच्चा माल के लिए बांड राशि डेबिटिंग आगम पत्र अन्यथा शिपिंग बिल में शुल्क बिना दिखाई गई राशि होगी ।

12. बांड भरने के पश्चात् , प्रभारी अधिकारी बांड की मूल प्रति रखेगा और प्रमाणित प्रति इकाई को अपने रिकार्ड हेतु देगा ।

13. इसके विपरित किसी चीज के होते हुए यदि जोन इकाई हीरे और जवाहरात के विनिर्माण और निर्यात में लगी है तो शुल्क टैरिफ दरों की बजाए भारत सरकार में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21.10.1997 की अधिसूचना सं.80/97 सीमा शुल्क में दी गई शुल्क दरों को स्वर्ण और चांदी के आयात के मामले में बांड राशि आकलन के लिए लिया जाए ।

30. निष्पादन की निगरानी:- जोन इकाई की निष्पादन की निगरानी उसी सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है।

31. अप्रयुक्त अथवा माल का निपटान - (1) जोन यूनिट को भारत में आयातित माल के मामले में यथा-लागू निर्यात और आयात नीति में उल्लिखित शर्तो और निर्यात और आयात मद पुस्तिका के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के प्रावधान का अनुपालन करते हुए अधिनियम की धारा 76 च के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अप्रयुक्त अथवा अनुपयोगी पूँजीगत माल, अतिरिक्त पुर्जे और अन्य माल बेचने की अनुमति होगी ।

(2) प्रयुक्त पूंजीगत माल के मामले में विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 के नियम 9 के उपनियम (1) के संदर्भ में मूल्यह्रास की अनुमति होगी ।

32. सदृश निर्यात खेप के साथ आयात खेप का सह-संबंध - जोन यूनिट जो सजातीय सामग्री उपयोग में लाती है, को " प्रथम आओ प्रथम जाओ " व्यवस्था अपनाने की अनुमति दी जा सकती है और कोई खेप जो पहले प्राप्त हुई है, को इस प्रयोजन के लिए प्रथम उपयोग में लाया गया समझा जाये और ऐसे मामलों में सदृश निर्यात खेप के साथ प्रत्येक आयात खेप का सह-संबंध अपेक्षित नहीं होगा ।

33. विकासक द्वारा माल का आयात और खरीद - (1) विकासक को निम्नलिखित शर्तो के अधीन जोन के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के प्रयोजनार्थ शुल्क भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल के आयात अथवा खरीद की अनुमति होगी, अर्थात् :-

(i) विकासक प्रस्तावित शुल्क मुक्त आयात और खरीदे जाने वाले माल की सूची के अनुमोदन के लिए संबंधित विकास आयुक्त को आवेदन करेगा ;

(ii) विकासक भूमि के स्वामित्व, ऋण भारों का प्रमाणपत्र के सबूत अथवा उस मामले में जहाँ भूमि अपने पक्ष में कम से कम बीस वर्ष की एक अवधि के लिए पट्टे पर अपेक्षित है तो ऐसे पट्टे के सबूत सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ;

(iii) विकासक किसी सनदी अभियन्ता के द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित जोन के विकास, प्रचालन और रख रखाव के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपकरण और निर्माण सामग्री की एक सूची प्रस्तुत करेगा ;

(iv) माल को अधिनियम की धारा 57 अथवा धारा 58 के अंतर्गत सार्वजनिक भाण्डागार अथवा निजी भाण्डागार के रुप नियुक्त अथवा लाइसेंसशुदा परिसरों में भण्डार कियां जायेगा ;

(v) विकासक माल के आयात अथवा खरीद, उपयोग और उपयोग का सही हिसाब रखेगा और जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त जैसा भी मामला हो, को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

(vi) विकासक जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त के पास छः माल की अवधि अथवा ऐसी अवधि जो उनके द्वारा बढ़ाई गई हो, के भीतर माल उपयोग के लिए स्वयं को बंधित करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 में यथा-उपबंधित फार्म ।। में एक बन्धपत्र का निष्पादन करेगा, और यदि विकासक ऐसा करने में विफल रहता है तो विकासक माँगने पर उक्त माल पर यथा-उदगणीय शुल्क के बराबर धनराशि के साथ-साथ उक्त माल के आयात अथवा खरीद की तारीख से उक्त शुल्क पर पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर ब्याज देना होगा ;

(vii) विकासक उक्त जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उचित अधिकारी की अनुमति और ऐसे माल पर लागू शुल्क के भुगतान को छोड़कर, माल को जान से हटाने की अनुमति नहीं होगी ;

(viii) जोन के निर्माण, विकास, प्रचालन,रखरखाव अथवा जोन में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित को छोड़कर शुल्क के भुगतान के बिना किसी माल के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगा ;

(2) विकासक द्वारा जोन के संबंधित विकास आयुक्त को उपविनियमन (I) के खंड में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा और विकास आयुक्त आयुक्त आवेदन पर कार्यवाही करने के उपरान्त ऐसे आवेदन को विचार हेतु संगत दस्तावेजों के साथ अनुमोदन समिति भेजेगा ।

(3) ऐसे माल जो जोन के निर्माण, रख रखाव और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, के संबंध में ही विकासक को शुल्क मुक्त आयात अथवा खरीद का अनुमोदन दिया जायेगा ।

(4) जब अतिरिक्त मद के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अनुमोदन समिति विकासक द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता का निर्धारण करेगा ।

(5) अनुमोदन समिति जोन को प्रारम्भ करने तथा पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी तथा परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के मामले में जोन का विकासक अनुमोदन समिति को इस प्रकार के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करेगा ।

(6) अनुमोदन समिति विकासक को इस संबंध में अनुमोदन समिति द्वारा यथा नामित लागत लेखाकार द्वारा खाते की लेखा परीक्षा कराने का निदेश दे सकता है।

(7) जोन इकाई पर यथा लागू माल के आयात अथवा अधि प्राप्ति की प्रक्रिया जोन के विकासक के मामले में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी सिवाए इसके कि विकासक के मामले में, घरेलू टैरिफ से आयातित अथवा अधि प्राप्त माल को जोन के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राधिकृत संकार्यों के निमित जाने अथवा प्रयुक्त किए जाने की अनुमति दी जाएगी ।

व्याख्या:- विनियमन के निमित, अनुमोदन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे,नामश:'

(i) जोन पर अधिकार क्षेत्र वाले सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो - अध्यक्ष

(ii) जोन का विकास आयुक्त- सदस्य

(iii) विदेश व्यापार का संयुक्त महानिदेशक- सदस्य

(iv) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियन्ता- सदस्य

(v) जोन पर अधिकार क्षेत्र वाले अधिकार क्षेत्र सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त- सदस्य

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 53/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 571(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157 read with sub-section (2) of section 76 C of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title, extent and commencement.- (1) These regulations may be called the Special Economic Zones (Customs Procedures) Regulations, 2003.

(2) It extends to the whole of India.

(3) They shall come into force on the 15th day of August, 2003.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Board" means the Board defined under clause (6) of section 2 of the Act;

(c) "Board of Approvals" means the combined Board of Approvals for export oriented unit and special economic zone units, as notified in the Official Gazette, from time to time, by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry;

(d) "custodian" means any person approved by the Commissioner of Customs under section 45 of the Act for the custody of imported goods unloaded in the customs area;

(e) "Development Commissioner" means the Development Commissioner of the concerned special economic zone;

(f) " developer" means a person engaged in development, or operation, or maintenance of zone or in providing public utility services within the special

economic zone, duly permitted by the Commissioner of Customs and includes any other person authorised by the developer for such purpose;

(g) "Export and Import Policy " means the Export and Import Policy, notified from time to time, in the Official Gazette by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 (22 of 1992);

(h) "export oriented undertaking" means an undertaking which has been approved as a hundred per cent. export oriented undertaking by the Board of Approvals;

(i) "Electronic Hardware Technology Park" means the "Electronic Hardware Technology Park Scheme notified by the Government of India in the Ministry of Commerce, and approved by the Inter-Ministerial Standing Committee appointed by notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development);

(j) "Manufacturer Exporter" shall have the same meaning as defined in the Export and Import Policy.

(k) "Nominated Agencies" means the Metals and Minerals Trading Corporation Limited, the Handicraft and Handloom Export Corporation, the State Trading Corporation, the Projects and Equipment of India Limited and any other agency authorized by the Reserve Bank of India;

(l) "self certification" means the certification regarding sealing of container or package of goods under export given by the zone unit and includes the certificate regarding contents and sealing of the container or package, given by the owner, the working partner, the Managing Director or Company Secretary of the said unit or any person, (holding a high position in such zone unit, authorised by such owner, working partner or the Board of Directors of such unit (m), as the case may be, on the copies of shipping bill, which indicates that such package or container in respect of goods under export have been sealed in his presence;

(m) "Software Technology Park Scheme" means Software Technology Park Scheme notified by the Government of India in the Ministry of Commerce, and approved by the Inter-Ministerial Standing Committee appointed by notification of

Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development);

(n) "status holder" shall have the same meaning as defined in the Export and Import Policy;

(o) "zone" means a special economic zone specified by the Central Government under section 76 A of the Act;

(p) "zone unit" means a special economic zone unit of business establishment set up in the processing area of the zone for carrying out authorised operations only;

(q) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or Rules made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules.

3. Setting up of unit in the zone.- (1) A zone unit may be set up for the purposes of carrying out authorised operations.

(2) The Letter of Permission for setting up of zone unit shall be issued by the Development Commissioner.

(3) Two or more zone units shall not operate from the same premises.

4. Import of goods by the zone unit.- (1) The zone unit may import goods required for carrying its authorised operations or for the purposes of setting up the unit, through-

(a) ports or airports;

(b) land customs stations;

(c) inland container depots;

(d) foreign post offices;

(e) authorised courier;

(2) The goods may also be procured from public bonded warehouse or private bonded warehouse or international exhibition held in India.

(3) In case of software, imports shall also be allowed through data communication link, internet, e-mail or any other electronic mode.

(4) For clearance of imported goods at all ports, airports, land customs stations, inland container depots, the zone unit or developer, as the case may be, shall be required to follow the procedures, namely:-

(i) the zone unit or developer, as the case may be, shall file a bill of entry for home consumption in quintuplicate giving therein, complete description, model, make, specifications, purpose of import of goods such as trading, manufacturing, nature of goods such as capital goods, raw materials, spares, consumables, with specially stamped endorsement as " special economic zone cargo" alongwith bill of lading or airway bill, a invoice, packing list and purchase order or contract for noting of the bill of Entry in the zone;

(ii) the bill of entry shall be assessed by the Custom officers in the zone;

(iii) the assessed bill of entry shall be submitted to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, (hereinafter referred to as proper officer) at the place of import such as port, airport, land customs station, inland container depot, and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the zone;

(iv) in case of sealed full container load (FCL) container, the goods shall be transferred to the zone on the basis of assessed bill of entry after verification of the seal, without customs escorts;

(v) in case of other cargo, the goods shall be allowed to be transferred to the zone on the basis of assessed bill of entry either under customs escort or under transshipment procedure, depending on the option made by the zone unit; and for such transshipment, no separate documents shall be required to be filed and the transshipment permission shall be stamped on the fifth copy of the bill of entry;

(vi) on arrival of the goods in the zone, the goods shall be subjected to verification of seal in case of full container load container or verification of marks and numbers of packages in other case and after such verification, if in order, such goods received shall be allowed admission in the zone;

(vii) the zone unit shall submit fifth copy of bill of entry bearing endorsement of the Customs officers in the zone that the goods have been received in the zone, to the proper officer in charge of the airport, port, inland container deport, land customs station, post office, public or private bonded warehouse, as the case may be, within a period of forty-five days from the date of clearance of goods from such airport, port, inland container deport, land customs station, post office, public or private bonded warehouse, as the case may be, failing which the proper officer in charge of such airport, port, inland container deport, land customs station, post office, public or private bonded warehouse, as the case may be, shall write to the proper officer having jurisdiction over the zone for raising demand of duty from the zone unit;

(viii) the zone unit shall be required to obtain notional out of charge of goods from the proper officer of the zone on the same day if the goods are brought during the working hours or immediately on the next working day in case goods are brought beyond working hours;

(ix) where goods are imported by the zone unit or developer through courier, customs officer in the zone shall assess the goods as per the Courier Import and Export(Clearance) Regulations, 1998.

(5) The goods imported by the zone unit or developer shall not be subject to detailed examination except in case of prior intelligence or information or to maintain an element of surprise.

(6) Where the goods have been imported by post, the zone unit or the developer, following the procedure specified in sub-regulation (4), shall file the bill of entry with customs officers in the zone marking clearly "Postal Imports" subject to following namely:-

(i) for the purpose of bill of entry, the post-office registration number as indicated in the intimation letter issued by the post office shall be taken as the import general manifest and item number, of the bill of entry;

(ii) copy of intimation letter received from the post office shall also be pasted on the reverse of the original bill of entry;

(iii) where the zone is away from the foreign post office, the goods shall be moved to the zone under customs escort from such post office or under control of the postal authorities.

5. Import of goods through personal carriage by gems and jewellery unit.- (1) Notwithstanding anything contained in regulation 4, the zone unit engaged in manufacture and export of gems and jewellery, shall be allowed to import precious goods, namely gold, silver, platinum, gem and jewellery through personal baggage subject to the following procedure, namely:-

(i) the passenger bringing the precious goods shall declare the goods with the customs authorities at the airport in the arrival hall in the declaration form as specified by Commissioner of Customs in charge of concerned airport alongwith a duly acknowledged copy of intimation submitted to the Customs officers in the zone ;

(ii) the passenger shall hand over the goods duly packed indicating name and address of the consignee zone unit and accompanied by invoice and packing list to the customs authorities for detention in the warehouse under the detention receipt;

(iii) the Customs officers shall detain the goods and issue detention receipt indicating full details such as weight, purity and number of bars, name of unit, passport number of the passenger and name of the supplier, etc.;

(iv) the zone unit shall file the bill of entry in quintuplicate alongwith a copy of invoice, packing list, declaration with the Customs officers in the zone and in such cases, the detention receipt number issued by the Customs at Airport at the time of arrival of the passenger shall be treated as Import General Manifest and item number;

(v) after assessments of bill of entry, original copy of the bill of entry shall be retained by the Custom officers in the zone and the remaining copies shall be handed over to the representative of the zone unit for presenting at the airport detention counter where goods shall be allowed clearance after receiving the

original detention receipt, authorization from the zone unit and making entries in the warehouse register, detention receipt register and obtaining signatures from the authorised representative of the zone unit;

(vi) after release of the goods, the goods shall be moved to the zone under customs escort and shall be allowed admission into the zone unit after verification of marks and numbers of packages and notional "out of charge" by the Customs officers in the zone;

(vii) the goods so detained at the airport may also be allowed to be transported by an authority or agency approved by the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone.

6. Import through data communication or telecommunication link.- (1). Where the zone unit import computer software through data communication or telecommunication links, the zone unit shall file bill of entry within a period of twenty four hours of such import alongwith invoice and other relevant documents and shall obtain notional 'out of charge' from the Customs officers in the zone, subject to the following conditions, namely:-

(i) the documents such as invoice, etc. in respect of such import of computer software shall be routed through banks;

(ii) the value of such software shall be verified by the Development Commissioner of the zone;

(iii) instruction issued by the Reserve Bank of India, from time to time, if any, in this behalf shall be followed.

7. Procurement from warehouse.- (1) Where goods are procured from the warehouse appointed or licensed under section 57 or section 58 of the Act, the zone unit shall file bill of entry giving therein complete description of the goods such as model, make, serial number, specification, with the Customs officers in the zone.

(2) The zone unit shall submit the duly assessed bill of entry assessed by the Customs officers in the zone to the proper officer in charge of the warehouse from where the zone unit intends to procure the goods.

(3) The proper officer in charge of the warehouse shall allow clearance of the goods from the warehouse for supply to the zone unit without payment of duty on the cover of ex-bond shipping bill and on the basis of bill of entry duly assessed by the customs officers in the zone.

(4) Where the re-warehousing certificate by way of endorsement by the Customs officers in the zone on the copy of ex-bond shipping bill is not received by the proper officer incharge of warehouse within the period of forty-five days from the date of clearance of the goods from the warehouse, the proper officer incharge of the warehouse shall proceed to demand of duty from the owner of such goods so supplied to the zone unit.

(5). The zone unit shall obtain notional "out of charge" of goods from the proper officer of the zone on the same day if the goods are brought during the working hours, or immediately on the next working day in case goods are brought beyond working hours.

8. Procurement of goods from international exhibition held in India.- Subject to the procedure as specified in the regulation 7, the zone unit shall be allowed to procure goods from international exhibitions held in India.

9. Re-import or replacement or re-export of goods.- (1) The zone unit shall be allowed to re-import the goods exported and found to be defective or damaged by the overseas buyer or in the case of failure of the buyer to take delivery of the goods, subject to the procedure as mentioned in regulation 4 and subject to the following conditions, namely:-

(i) identity of goods is established at the time of re-import ; and

(ii) goods are re-imported within a period of one year from the date of export.

(2). Where the goods imported by the zone unit are found to be defective or damaged or found to be otherwise unfit for use and suppliers agree to replace such defective or damaged or unfit for use goods, then such goods received as free replacement shall be allowed admission in the zone by way of import or replacement through the authorized dealer of the overseas supplier in India, subject to the following conditions, namely:-

(i) the goods so found to be defective or damaged or otherwise unfit for use may be re-exported later on; or

(ii) where the overseas supplier of such goods does not insist for re-export of such goods, the re-export of the same shall not be insisted provided such goods are either destroyed with the permission of proper officer, or shall be cleared into domestic tariff area on payment of duty as if cleared for home consumption.

10. Procurement of goods by zone unit or developer from domestic tariff area.- (1) The zone unit or developer, as the case may be, may procure any goods from domestic tariff area for carrying out authorised operation subject to the following conditions, namely:-

(i) the domestic tariff unit supplying the goods to the zone unit or developer, or the zone unit or developer on behalf of the domestic tariff area unit, as the case may be, shall file a bill of export giving therein complete description, model, make, specifications, nature of goods such as capital goods, raw materials, spares, consumables, with specially stamped endorsement as "special economic zone cargo" alongwith invoice, packing list and purchase order for noting and assessment of the bill of export in the zone;

(ii) the bill of export shall be assessed by the customs officer in the zone;

(iii) the assessed bill of export shall be submitted to the proper officer having jurisdiction over the domestic tariff area unit and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the zone;

(iv) the domestic tariff area unit supplying goods to the zone unit or the developer, as the case may be, shall be allowed to remove the goods on the cover of ARE-I and the assessed bill of export, giving therein complete description, model, make, serial number, specifications etc.;

(v) the goods so brought to the zone may be allowed admission into the zone on the basis of assessed of bill of export and ARE-I and a copy of bill of export and ARE-I, with an endorsement that goods have been admitted in full into the zone, shall be forwarded to the Central Excise Superintendent having jurisdiction over the domestic tariff area unit within forty-five days, failing which the Superintendent shall raise demand of duty against the domestic tariff area unit;

(vi) where domestic tariff area unit or zone unit, on behalf of such domestic tariff area unit, has filed a bill of export under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme and the domestic tariff area unit does not intend to claim duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit, a disclaimer to this effect may be given to the zone unit, and on the basis of such disclaimer given by the domestic tariff area unit, duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit may be claimed by the zone unit;

(vii) the proper officers in the zone shall assess the bill of export in the same manner as it is assessed in the case of export of goods under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit or no claim, as the case may be, and instruction issued under respective export promotion scheme shall apply *mutatis mutandis* in respect of these goods ; and valuation of such goods shall be done in terms of section 14 of the Act;

(viii) before allowing admission of such goods in to the zone, the goods shall be examined by the customs officer of the zone in respect of description, quantity, marks, model etc. given in the ARE-I and bill of export, invoice and packing list and also as per the examination norms laid down in respect of export goods and instruction issued by the Board in this behalf from time to time;

(ix) the duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit against such supply of goods by domestic tariff area unit to the zone unit or to the developer shall be admissible only when the payment for such supply of goods to the zone unit is received in freely convertible foreign currency;

(x) a copy of the bill of export and ARE-I with endorsement of zone customs authorities on it to the effect that goods have been admitted in full in the zone shall be treated as proof of export;

(xi) where the goods are intended to be procured by the zone unit from a trader or merchant exporter, the procedure as stated hereinabove shall apply *mutatis mutandis*, including filing of bill of export except that the goods shall not be required to be brought to the zone under the cover of ARE-I and assessed copy of bill of export shall not be required to be submitted to the jurisdictional Central Excise authority for removal of goods, from the premises of the trader or merchant exporter.

11. Procurement of goods from export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware park unit .- (1) The zone unit or the developer may also procure capital goods or manufactured goods from export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit subject to following conditions, namely:-

(i) subject to the procedure specified in regulation 7, the export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be, may transfer capital goods imported or procured duty free to the zone unit or the developer, as the case may be;

(ii) subject to the procedure as specified in the regulation 10, the export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be, may also transfer manufactured goods to the zone unit or to the developer duty free;

(iii) the goods procured by the zone unit or developer under clauses (i) and (ii) shall be used by it for the purposes of carrying out authorised operations in the zone only;

(iv) the capital goods or manufactured goods in export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit so transferred under clauses (i) and (ii) to the zone unit shall be considered as imported goods for zone unit for all purposes.

12. Transfer of goods from one zone unit to another zone unit in the same zone or different zone.- A zone unit may procure goods namely, capital goods or manufactured goods from another zone unit located in the same zone or in another zone, subject to following conditions, namely:-

(i) the receiving zone unit shall file bill of entry for home consumption in quintuplicate giving therein, complete description, model, make, specifications, purpose of import of goods, nature of goods such as capital goods, raw materials, spares, consumables, alongwith a invoice, packing list with the customs authorities in the zone, having jurisdiction over such unit;

(ii) on the basis of such assessed bill of entry, the goods shall be allowed to be removed or transferred to the receiving zone unit under transshipment permit;

(iii) there shall be no requirement to file any additional documents for the purpose of transshipment of goods and the transshipment permission shall be stamped on the bill of entry itself;

(iv) the supplying zone unit shall submit the re-warehousing certificate to the proper officer having jurisdiction over the such supplying unit within a period of forty five days, failing which the jurisdictional proper officer of the supplying zone unit shall write to the jurisdictional proper officer of the receiving zone unit for demand of duty from the receiving zone unit;

(v) Notwithstanding anything contained in clause (1), in case where supplying and receiving zone units are located in the same zone, the movement of goods including raw materials shall be allowed subject to maintenance of accounts

by both receiving and supplying zone unit and no bill of entry shall be required to be filed with the customs authorities in the zone.

13. Export of goods by special economic zone unit.- (1) Any goods manufactured, produced, reconditioned, re-engineered, imported or procured by the zone unit, as the case may be, as per the terms and condition of Letter of permission, may be exported out of India through airport or port or inland container depot, or land customs station or by post or courier or personal carriage, as the case may be, subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall file shipping bill in quadruplicate with customs officers in the zone, giving therein complete description of goods such as model, make, serial number, specification, alongwith relevant documents, namely, invoice, packing list, GR Form (in duplicate) for noting;

(ii) the shipping bill shall be assessed by the customs officers in the zone in the manner and procedure as is followed in case of normal exports;

(iii) the goods shall not be examined in routine and Let Export Order may be given on the basis of self certification by the zone unit ;

(iv) notwithstanding anything contained in clause (iii), during the transit of goods from the zone to the gateway port or at the gateway port, airport, or land customs station itself, the goods may be examined by the customs officers as per the norms prescribed by the Board from time to time ;

(2) The zone unit may export goods by post subject to the normal procedure applicable to export through Foreign Post Office.

14. Export by software unit though data communication link or by providing on site services.- (1) The zone unit engaged in software sector may be permitted to export software or processed data or data analysed including call centre services via data link, internet, e-mail or through other electronic mode and Softex Form duly certified by the Development Commissioner of the zone as per Foreign Exchange Management (Export

of Goods and Services) Regulation, 2000, is submitted to the customs authorities in the zone within a period of one month from the date of such exports.

(2) The zone unit engaged in export of services including software may be permitted to provide consultancy services "on site" abroad subject to submission of details regarding the contract or purchase order, foreign exchange remitted and the persons deputed abroad, to the customs officers in the zone.

(3) The consultancy fee received by the zone unit for providing on site consultancy services in convertible foreign exchange shall be deemed to be export for the purposes of Net Foreign Exchange Earning.

15. Export by gems and Jewellery through Personal Carriage.- (1) Where the zone unit is engaged in manufacture and export of gems and jewellery, the zone unit may be allowed to export goods to be carried by the foreign bound passenger in their personal baggage, subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall submit the shipping bill alongwith advance remittance certificate duly certified by the bank, invoice, GR-I with the customs officers in the zone;

(ii) the shipping bill shall be assessed by the customs officers in the zone in the same manner as is done in the case of normal exports;

(iii) the goods shall be transferred from the zone to the airport under the cover of assessed shipping bill by the authorized agency approved by the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone under customs escort of the zone;

(iv) at the airport, the consignment shall be deposited with the warehouse in the airport against a "Detention Receipt" issued by the Customs officers at the airport;

(v) the consignment shall be handed over to the authorised passenger at the time of departure on submission of original Detention Receipt;

(vi) the zone unit shall submit the proof of export issued by the Customs officer at the airport of export within a period of seven days from the date of removal of goods from the zone to the customs in the zone.

16. Export of goods by gems and jewellery unit through display and sale at showrooms at international airports.- The zone unit engaged in manufacture and export of gems and Jewellery, shall be allowed to take gems and jewellery for display in the showrooms set up at Departure Lounge at International Airports in India for sale to passenger leaving India subject to such conditions and procedure as may be laid down by the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone.

17. Export for participation in exhibition abroad.- (1) The zone unit shall be allowed to export goods including gem and jewellery for display or participating in exhibitions abroad in terms of the Export and Import Policy subject to following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall obtain the permission of Development Commissioner of the zone allowing the zone unit to participate in the exhibition abroad;

(ii) shipping bill alongwith relevant documents shall be filed with the customs in the zone in the same manner and following the same procedure as applicable to normal exports;

(iii) exports shall be allowed by the customs officers in the zone on provisional basis after examination of the goods;

(iv) the goods unsold in the exhibition shall be imported within such period as it is stipulated in the Export and Import Policy;

(v) the zone unit shall file bill of entry for unsold goods as required in case of normal imports and it shall be assessed in the same manner and subject to same procedure as applicable to normal imported goods;

(vi) the re-imported goods shall be allowed admission free of duty in the unit subject to establishment of identity of the goods with reference to the attested export documents and finalize the provisional assessment accordingly;

(vii) the zone unit shall submit proof of inward remittance in respect of goods sold during exhibition abroad.

18. Export through courier.- In cases where the zone unit exports goods through couriers, such exports shall be allowed only through authorised courier, registered with the Commissioner of Customs having jurisdiction over the gateway airport and the procedure specified in the Courier Export and Import (Clearance) Regulations, 1998 shall be followed for this purpose.

19. Export of goods by the zone unit through merchant exporter. - The zone unit may export goods through third party in accordance with the Export and Import Policy subject to the following conditions, namely:-

(i) the goods shall be exported directly from the zone;

(ii) export document shall contain the name of the merchant exporter and zone unit;

(iii) merchant exporter at the time of assessment of shipping bill in the zone shall submit a disclaimer that no export benefit is being or shall be availed by him.

20. Exchange of plain Jewellery with unit in domestic tariff Area.- The zone unit engaged in manufacture and export of gems and jewellery shall be permitted to receive plain gold or silver or platinum jewellery from domestic tariff area gems and jewellery unit in exchange of equivalent content of gold or silver or platinum contained in the said jewellery subject to condition that no wastage or manufacturing loss against such exchange of jewellery shall be permissible; and such exchange shall be allowed only after appraisement of the jewellery as well as precious metals by jewellery appraiser in the zone.

21. Removal of goods manufactured or produced from a zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit .- (1) The proper officer may permit a zone unit to transfer capital

goods or goods produced or manufactured by the zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be, without payment of duty for the purpose of manufacture and export, or for export or for use within the unit subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall make such transfer against the procurement certificate issued by the proper officer in charge of receiving export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be;

(ii) a warehousing bill of entry shall be filed by the export oriented unit or software technology park unit or electronic hardware park unit or by the supplying special economic zone unit on behalf of the receiving export oriented unit or software technology park unit or electronic hardware park unit, as the case may be, with the customs officers in the zone;

(iii) export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit shall submit re-warehousing certificate duly signed by the proper officer, having jurisdiction over the receiving export oriented undertaking or software technology park or electronic hardware technology park unit within a period of forty five days from the date of clearance, to the Customs officers in the zone;

(iv) where export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit fails to submit the re-warehousing certificate within a period of forty-five days from the day of clearance of goods, customs officers in the zone shall take up the matter with the jurisdictional proper officer of the receiving unit, to initiate recovery proceeding against such export oriented undertaking, software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be.

22. Sale of goods by a zone unit in domestic tariff area.- (1) The zone unit shall be allowed to sell goods manufactured or produced in the zone unit including reject waste, scrap remnants and by-products arising out of such production, in the domestic tariff area on payment of customs duty in terms of clause (b) of section 76F of the Act.

(2) The zone unit engaged in trading activities shall be allowed to sell imported or indigenously procured goods in domestic tariff area on payment of duty under clause (b) of section 76F of the Act subject to the condition that the zone unit has achieved positive Net Foreign Exchange Earning cumulatively at the time of making sale in domestic tariff area and such sale of goods shall be allowed to the extent that Net Foreign Exchange Earning of the unit remain positive.

(3) Domestic tariff area unit intending to buy goods from the zone unit shall be required to file bill of entry for home-consumption giving therein complete description of the goods such as make, model number, serial number, specification, alongwith invoice and packing list with the customs officers in the zone.

(4) Notwithstanding anything contained in clause (4), the bill of entry for home consumption may also be filed by the zone unit on the basis of authorization by buyer located in domestic tariff area.

(5) The valuation of the goods cleared into domestic tariff area shall be determined in accordance with section 14 of the Act and rules made thereunder.

(6) Where the goods so procured from domestic tariff area by the zone unit are supplied back to the domestic tariff area as it is or without substantial processing, such goods shall be treated as re-imported goods and shall be subject to such procedure and conditions as applicable in the case of normal re-import of goods from outside India.

(7) Where the zone unit has surplus power generated in its captive power plant or diesel generating set, such surplus power may be allowed to be transferred to domestic tariff area on payment of duty on consumables and raw materials used for generation of power so sold on the basis of norms worked out for raw materials and consumables used, as may be approved by the Board of Approvals subject to the following conditions, namely:-

(i) the proposal for sale of surplus power received in the office of the Development Commissioner shall be examined in consultation with the concerned State Government including State Electricity Boards of that State;

(ii) the norms for production of unit of power that may be finalized shall be submitted to the Board of Approval for consideration;

(iii) in case of sale of surplus plus to other unit in the same zone or other zone or to other export oriented undertaking or to electronic hardware technology park unit or to other software technology park unit, as the case may be, the same shall be allowed without payment of duty:

Provided that the quantity of consumables and raw materials used for generation of power so transferred to another special economic zone unit or export oriented undertaking, electronic hardware technology park unit or software technology park unit, as the case may be, as quantified and approved by the Board of Approvals is accounted for by the supplying as well as receiving units for the calculation of Net Foreign Exchange Earning.

23. Removal of scrap or dust by gems and jewellery zone unit.- (1) The zone unit engaged in the manufacture and export of gem and jewellery shall be allowed to send gold or silver or platinum scrap, dust or sweepings generated in such unit to the Government Mint or Private Mint for conversion into standard gold bars and return thereof to the zone following the procedure laid down by the Customs officers in this regard.

(2) The gold or silver or platinum dust, scrap or sweepings may also be allowed to be cleared into domestic tariff area on payment of duty on the gold or silver or platinum content in the said scrap, dust or sweepings, in accordance with the provision of clause (b) of section 76F of the Act:

Provided that the samples of such gold or silver or platinum sweepings, scarp or dust shall be taken at the time of clearance and sent to Government Mint or Private Mint for assaying and assessment shall be finalised on the basis of reports received from the Government Mint or Private Mint, as the case may be.

24 Temporary removal of goods by a zone unit into the domestic tariff area for specified purposes without payment of duty.- (1) Subject to the grant of permission and fulfillment of such condition as may be imposed by the proper officer, the zone unit shall be allowed to remove goods manufactured or produced including imported or procured capital goods to domestic tariff area temporarily without payment of duty for the purpose of test or repairs or calibration or re-engineering or re-conditioning in the domestic tariff area:

Provided that the identification marks such as make, model, seal number, specification of the goods received back after such test, repair, calibration or re-engineering or re-conditioning matches with those mentioned in the repair challan prepared and countersigned by the customs officers in the zone at the time of taking capital goods into domestic tariff area:

Provided further that goods shall be brought back to the zone within a period of forty-five days from the date of taking the goods out of the zone:

Provided also that the proper officer of the zone may, if he thinks proper, extend the said period of forty-five days upto further period of two months.

(2) In case of failure of the zone unit to bring back the goods in the zone within the period specified in sub-regulation (1), the zone unit shall pay the duty applicable on such goods in term of provision of clause (b) of section 76F of the Act.

(3) Subject to the provisions in sub-regulations (1) and (2), the zone unit shall be allowed to take goods including capital goods to another unit in the same zone or in another zone, or export oriented undertaking unit or electronic hardware technology park unit or software technology park unit, as the case may be, for the purpose of test or repairs or calibration or re-engineering or re-conditioning.

(4) The zone unit, engaged in development of software or otherwise, shall be allowed by the proper officer to take lap top computers and video projection system out of the zone temporarily for use by the authorised employees of such unit subject to the following procedure, namely:-

(i) the zone unit shall account for the laptop computers or video projection system in their inventory after import or local procurement;

(ii) the zone unit shall issue a certificate authorising the employee by name and giving the full specification, such as serial number, model number, make etc., of the laptop computers and video projection system intended to be taken outside the bonded area temporarily and a copy of the certificate shall be endorsed to the proper officer and acknowledgement received by the unit;

(iii) the zone unit shall be required to maintain a record of such certificate of authorization issued under clause (ii) for temporarily taking out or bringing in such unit the laptop computer or video projection system and the same shall be made available at the time of inspection by the customs officers having jurisdiction over the zone.

(5) Subject to such condition as the proper officer may specify and subject to such procedure, as may be laid down by the Commissioner of Customs of the zone from time to time, the zone unit shall be allowed to take limited quantities of goods manufactured or produced into domestic tariff area without payment of duty for the purpose of display, market promotion, export promotion, exhibition and return thereof within the period of time as specified by such proper officer or as the case may be, the Commissioner of Customs:

Provided that in case of failure of the zone unit to bring back the goods in the zone within the period as specified in this behalf by the proper officer, the zone unit shall pay the duty applicable on such goods under the provisions of clause (b) of section 76F of the Act

25. Sub- contracting of production or production process in domestic tariff area or abroad by the zone unit.- (1) The zone unit shall be permitted to take goods including inputs, semi-finished or semi-processed goods to the job-worker's premises into domestic tariff area without payment of duty for further processing of the goods or to carry out a production, subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall file an application containing the name and address of the job-worker, Central Excise registration number of the job-worker, if registered with the Central Excise Department, processing capacity of the job-worker, details of the processes to be carried out by the job-worker, justification for processing of goods outside the bonded premises and any other relevant information before the proper officer for further processing of the goods or to carry out production;

(ii) the proper officer may, after examining the application and after satisfying himself about the bonafide requirement of the zone unit, grant permission for job-work and such permission shall normally be valid for a period of one-year. However considering the sensitive nature of the commodities to be sent out for job-work and past record of the zone unit, such permission may be less than said period of one year;

Provided that in case of zone unit engaged in manufacture and export of gem and jewellery, no cut and polished diamonds, precious stones and semi-precious stones shall be allowed to be taken out of the zone;

(iii) while considering the application of the zone unit, the entire processing activity in relation to the manufacture of the export products by the said units may be studied, and the proper officer may ensure that there is no attempt to parcel out the substantial manufacturing operations outside the bonded premises;

(iv) in respect of activities permitted to be carried out on job-work basis outside the premises of the zone unit, identity of finished products received after job work shall be established with the raw materials or components or partially processed goods sent out to ensure that the finished products are manufactured out of raw materials imported or procured duty free by the units or admitted under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit into the zone unit and there is no substitution or diversion of such goods in the domestic tariff area:

Provided that in case of zone unit engaged in manufacture and export of gem and jewellery, there shall be no requirement of taking out the samples or retaining the same if such goods have been appraised by jewellery appraiser at the time of both taking out of such goods from the zone or receiving back of goods in the zone after completion of job-work:

Provided further that where the precious metal in bullion form, having marking regarding fineness, purity, make, serial number, is being taking out of the zone for the purpose of job-work, appraisement by jewellery appraiser shall not be mandatory;

(v) the zone unit sending out goods for job work in domestic tariff area shall be required to give an intimation to the proper officer and a sample of the goods being sent out for job work shall be drawn and retained in the office of the proper officer in the zone;

(vi) on receipt of the goods in the zone unit after job work, the Customs officers of the zone shall establish the identity of the goods so returned with reference to the sample retained by him at the time of removal and a sample of the processed goods so returned to the zone shall be retained for the purpose of record for a period of six months and both the samples shall be returned to the zone unit after obtaining an acknowledgement from the zone unit;

(vii) the zone unit sending out imported or domestically procured raw materials, components, etc. as it is, i.e without any processing in the unit for job work in the domestic tariff area, shall furnish bank guarantee to cover the duty forgone on such duty free materials being taken out to the proper officer:

Provided that no such bank guarantee shall be required in case of status holder unit having an unblemished track record;

(viii) the zone unit removing semi processed goods for job work in domestic tariff area shall furnish bank guarantee equivalent to fifty per cent. of the duty payable on the goods being taken out for job work:

Provided that no fresh or additional bank guarantee shall be insisted upon if the zone unit has furnished a bank guarantee as security along with

bond in Form-I, and the same is sufficient to cover the duty payable on such goods being taken out:

Provided further that the no bank guarantee shall be furnished by the status holder zone units having unblemished track record;

(ix) in all cases of job work in domestic tariff area, the goods sent out for job work shall be required to be returned to the zone unit within a period of ninety days or such period as may be extended by the proper officer for reasons to be recorded in writing for granting such extension, from the date of removal and in case of failure to receipt of goods within the said period, action shall be taken by the proper officer to recover duty, such as, encashment of the bank guarantee given at the time of removal of goods into domestic tariff area for job work;

(x) the proper officer shall carry out the checks expeditiously to verify the premises of the job worker, processing capacity of the job worker, existence of facility for carrying out the declared process in the job worker's premises within a period of one month from the date of granting permission for job work by either visiting the premises of the job worker by himself or the officer authorised by him in this behalf or by letters or fax or E-Mail to the concerned Range officer having jurisdiction over job worker's premises and getting report in writing;

(2) The zone unit shall be allowed to sub-contract production in domestic tariff area subject to the following conditions, namely:-

(i) the proper officer shall satisfy himself regarding the bonafide necessity of such sub-contracting of production in domestic tariff area and shall not allow such permission in routine manner to the zone unit;

(ii) while giving permission for subcontracting of production in domestic tariff area or in other export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or zone unit, the proper officer may verify the past antecedents of the zone unit as well as job-working units, and in case of any misuse of serious nature noticed by him in the past or due

to any other reasons, where it is satisfied that there is no justification for such permission or there are high chances of abuse of such facility, such permission may be denied with the approval of Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone;

(iii) the facility of sub-contracting of production shall only be limited to the extent of fifty per cent. of the free on board value of physical export made in the previous year subject to the condition that the product is also being manufactured in the zone;

(iv) in case of zone unit engaged in manufacture and export of gem and jewellery, no cut and polished diamonds, precious stones and semi-precious stones shall be allowed to be taken out of the zone;

(v) other conditions as stipulated in sub-regulation (1) except clause (viii), shall apply *mutatis mutandis* in case of sub-contracting of production in domestic tariff area.

(3) Subject to permission of the proper officer, the zone unit shall be allowed to remove moulds, jigs, tool, fixtures, tackles, instruments, hangers, patterns and drawings to the job-workers premises in the domestic tariff area without payment of duty subject to the condition that such unit shall bring back such goods to the unit on completion of such sub-contracting within a period of six month from the date of such removal.

(4) The zone unit shall be allowed to sub-contract part of the production process abroad, that is outside India following the provisions of Export and Import Policy in this regard, and after such processing abroad, the goods shall either be returned to the zone unit for carrying out further processing or may be sold to buyers in that country or any third country:

Provided that the scrap or waste or remnants generated at the sub-contractors premises abroad may either be returned to the zone unit; or may be disposed of abroad itself:

Provided further that in case of sale of goods processed abroad or scarp, waste or remnants arising during the processing of goods abroad, directly from the job-workers premises abroad, the unit shall take permission from the Reserve Bank of India.

(5) The proper officer may permit the zone unit to export the finished goods directly from the job-worker's premises subject to the following conditions, namely:-

(i) the job-worker, who is registered with the Central Excise Department;

(ii) export of finished goods from the job-worker's premises shall not be allowed through third party;

(iii) sample of goods exported from the job-workers premises shall be sent to the proper officer in the zone for establishing the identity of the goods exported with the sample drawn at the time of taking out of the goods to the job-worker;

(iv) in case of such exports, the shipping bill for duty free goods shall be processed at the port of export as in the case of normal export and shipping bill shall be filed in the name of the zone unit;

(v) the goods for such export shall be removed from the job-worker's premises under bond.

(6). The waste or scrap or remnants generated during such processes at the job-worker's premises shall either be returned to the zone unit or shall be cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the zone unit.

(7) The zone unit engaged in trading shall not be allowed the facility of sub-contracting of production or production process in domestic tariff area.

26. Sub-contracting of production process for domestic tariff area unit in the zone unit for export.- The zone unit shall be allowed to undertake job-work for export on behalf of domestic tariff area unit, subject to the following conditions, namely :-

(i) the semi-finished goods or raw materials shall be supplied by domestic tariff area unit to the zone unit;

(ii) no export benefit shall be claimed by the domestic tariff area unit on such semi-finished goods or raw materials supplied to the zone unit for job-working;

(iii) the finished goods shall be exported directly from the zone unit on behalf of domestic tariff area unit;

(iv) the export document shall be in the name of domestic tariff area unit;

(v) the value of such goods shall not be counted towards achievement of Net Foreign Exchange Earning of the zone unit; and

(vi) the unit in domestic tariff area shall not be eligible for all industry rate of drawback or duty entitlement passbook scheme credit.

27. Removals of samples from the zone unit.- (1) Subject to the provisions of Export and Import Policy, the zone unit shall be allowed to take out the samples of the goods manufactured or produced by it into domestic tariff area for the purposes of display or market promotion on payment of duty as per the provision clause (b) of section 76F of the Act or for the purposes of export without payment of duty.

(2) Where samples of the goods manufactured or produced are to be taken into domestic tariff area on payment of duty, the procedure as laid down in regulation 21, shall apply except that the bill of entry shall be filed by the zone unit.

28. Destruction of goods imported including capital goods or goods manufactured or produced by the zone unit.- (1) Subject to the procedure specified in regulation 22, where any scrap, waste or remnants arises out of destruction of goods in terms of rule 12 of the Special Economic Zone Rules, 2003, the zone unit shall be permitted to take the same into domestic tariff area on payment of duty applicable to such scrap and remnants as per the provision of clause (b) of section 76F of the Act.

(2) Where any goods procured from domestic tariff area under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit or under any export promotion scheme are destroyed due of natural calamities, the zone unit shall be required to pay duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit claimed on such goods.

29. Security.- (1) On the basis of the Letter of Permission issued by the Development Commissioner of the zone, the zone unit shall execute a bond with the proper officer, in the Form I as annexed to the Special Economic Zone Rules, 2003 and such surety or security shall be given as per procedure specified hereinafter in this regulation.

(2) The bond, in respect of a limited company, shall be executed by the Managing Director of the company or the Director(s) who have been duly authorised for this purpose by a resolution of the Board of Directors of the Company and shall be affixed with the common seal of the company.

(3) Where the unit is a partnership firm, the Bond shall be executed by the all the partners of the unit.

(4) The bond amount shall be equal to the duty leviable on the goods but for the goods admitted duty free in the zone unit and the value of the goods shall be taken as per declared value on the bill of entry at the time of admission of goods in the zone.

(5) The zone unit shall furnish surety for the bond amount or furnish five per cent. of the bond amount as bank guarantee or any other security as approved by the Central Government and in case of surety, the solvency of sureties shall be certified by any Chartered Accountant or the Banker of the Surety, as the case may be.

(6) The Directors or Members of the limited company may stand as surety in their personal capacity for the company and other corporate bodies included limited companies may also stand as surety for the unit.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (5), where the zone unit have a turnover of rupees one crore or above, such unit shall not be required to furnish surety or security.

(8) Where the value of the bond executed with the custom officers is initially worked out on the projected value of goods imported and the value of such bond falls short of duty forgone on goods admitted duty free in the unit, then the unit shall be required to

submit a revised bond and furnish additional security or surety, as the case may be, and in case of sub-contracting of production process or production in domestic tariff area, if the security given with the bond is not sufficient to cover duty leviable on goods being taken into domestic tariff area, the unit shall be required to give additional security.

(9) The bond shall be a running bond and shall be debited whenever there is fresh admission of duty free goods in the unit. The value debited from the bond amount in respect of raw materials shall be credited again when the raw material is used in the manufacture of finished products and such manufactured goods are either exported or cleared into domestic tariff area on payment of duty as per the provisions of Act or rules and regulations, as the case may be, made thereunder.

(10) In respect of the capital goods or infrastructure materials, surety or security shall not stand discharged on arrival of the capital goods or infrastructure materials within the unit and the surety or security shall not be discharged as long as the capital goods are in the zone unit or the capital goods of the unit are not debonded.

(11) The duty for debiting the bond amount in respect of capital goods or infrastructure materials or raw materials shall be as per the duty foregone amount given in the bill of entry or shipping bill, as the case may be.

(12) After execution of the bond, the proper officer shall retain the original copy of the bond and provide a certified copy to the unit for its record.

(13) Notwithstanding anything to the contrary, in case the zone unit is engaged in manufacture and export of gem and jewellery, the effective rate of duty as specified in notification No 80/97-Customs of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), dated 21st October, 1997, shall be taken instead of tariff rate of duty, for the purpose of calculation of bond amount in case of import of gold or silver.

30. Monitoring of Performance.- Performance of the zone unit shall be monitored by the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone .

31. Disposal of obsolete or surplus goods.- (1) The zone unit shall be allowed to dispose of obsolete or unusable capital goods, spares and other goods in the domestic tariff area on payment of customs duty as per provisions of clause (b) of section 76F of Act following the conditions mentioned in the Export and Import Policy and the provisions of ITC(HS) Classification of Export and Import.Items Book as applicable in case of goods imported into India.

(2) In case of used capital goods, depreciation shall be allowed in terms of sub-rule (1) of rule 9 of the Special Economic Zone Rules, 2003.

32. Co-relation of import consignment with corresponding export consignment.- The zone unit using homogenous material may be allowed to adopt 'First-in-First-Out' arrangement and a consignment which has been received first, may be deemed to have been utilised first for this purpose, and in such cases, co-relation of every import consignment with the corresponding export consignment may not be required.

33. Import and procurement of goods by developer.- (1) The developer shall be allowed to import or procure the goods from domestic tariff area without payment of duty for the purpose of development, operation and maintenance of the zone, subject to following conditions, namely :-

(i) the developer shall make an application to the concerned Development Commissioner for approval of the list of goods proposed to be imported or procured duty free;

(ii) the developer shall submit the application accompanied with the proof of ownership of land, encumbrances certificate, or in case the land is acquired on lease at least for a period of twenty years in his favour, the proof of such lease;

(iii) the developer shall submit a list of machinery, equipments and the construction material required for development, operation and maintenance of the zone, duly certified by a Chartered Engineer;

(iv) the goods shall be stored in the premises appointed or licensed as public warehouse or private warehouse under section 57 or section 58 of the Act;

(v) the developer shall maintain proper account of import or procurement, consumption and utilisation of the goods and submit quarterly return to the Deputy Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the zone in such form, as may be specified by him;

(vi) the developer shall execute a bond in Form II as annexed in the Special Economic Zone Rules, 2003 with the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone , binding himself to utilise the goods within a period of six months or such period, as may be extended by him, and if the developer fails to do so, then the developer shall pay on demand an amount equal to the duty as leviable on the said goods alongwith interest at the rate of fifteen per cent. per annum on the said duty from the date of import or procurement of said goods;

(vii) the developer shall not remove the goods from the zone except with the permission of the proper officer having jurisdiction over the said zone and on payment of duty applicable on such goods;

(viii) no goods, other than which are required for the purposes of construction, development, operation, maintenance of the zone or for providing utilities in the zone, shall be allowed admission in the zone without payment of duty.

(2) The application mentioned in clause of sub-regulation (1) shall be submitted by the developer to the concerned Development Commissioner of the zone and the Development Commissioner after processing of the application, shall forward such application alongwith relevant documents to the Committee of Approval, for consideration.

(3) The approval for duty free import or procurement shall be given to the developer only in respect of such goods which are required for construction, maintenance and operation of the zone.

(4) When an application is submitted for approval of additional items, the Committee of Approval shall determine such additional requirement taking into account quarterly statement submitted by the developer.

(5) The Committee of Approval shall fix the time schedule for commencement and completion of the construction of the zone and in case of delay in the completion of the project, the developer of the zone shall explain the reasons of such delay to the Committee of Approval.

(6) The Committee of Approval may direct the developer to get the account audited by a Cost Accountant as nominated by Committee of Approval in this behalf.

(7) The procedure for import or procurement of goods as applicable to the zone unit shall apply *mutatis mutandis* in case of developer of the zone except that in case of developer, the goods imported or procured from domestic tariff area shall be allowed to be moved or utilised for the purposes of authorised operations in the non-processing area of the zone.

Explanation.- For the purposes of this regulation, the Committee of Approval shall consist of following persons, namely:-

(i) Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise, as the case may be having jurisdiction over the zone- Chairman.

(ii) Development Commissioner of the Zone- Member.

(iii) Joint Director General of Foreign Trade-Member.

(iv) The Chief Engineer of Central Public Works Department- Member.

(v) Jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone- Member.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 113/2003-सीमा शुल्क

सा॰का॰नि॰ 572(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित सामा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इससे संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के मद 23 06 9017 के तहत आने वाले एरंड तेल केक को, यदि उसे देशी एरंड तेल बीजों से विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई द्वारा ऐसे देशी संयंत्र और मशीनरी में विनिर्मित किया गया हो, जो 1 नवम्बर,2000 से पूर्व अस्तित्व में था और जिसे निर्यात-आयात नीति के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू टैरिफ क्षेत्र में लाया गया हो, उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय पूरे सीमा शुल्क से और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत उनपर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क,यदि कोई हो,से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 को और से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :-

(i) "निर्यात-आयात नीति" का तात्पर्य भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं.1(आर.ई.-2003)/2002-2007,दिनांक 31मार्च, 2003 के द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात-आयात नीति,2002-2007 है;

(ii) " विशेष आर्थिक जोन" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन से है।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 113/2003-CUSTOMS

G.S.R. 572(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (6) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts castor oil cake falling under item 23 06 9017 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when manufactured from indigenous castor oil seeds on indigenous plant and machinery by a unit in special

economic zone, which was in existence prior to the 1st day of November, 2000 and brought to domestic tariff area in accordance with the provisions of Export and Import Policy, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule and the additional duty, if any, leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

2. This notification shall come into force on and from the 15th day of August, 2003.

Explanation. - For the purposes of this notification,-

(i) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy, 2002-2007 published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification number 1 (RE-2003) /2002-2007, dated the 31st March, 2003, as amended from time to time;

(ii) "special economic zone" means the special economic zone as specified in the notification issued under section 76A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 114/2003-सीमा शुल्क

सा॰का॰नि॰ 573(अ)– सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाना है) की धारा 3ए की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत में उनके इसी तरह के माल की बिक्री अथवा खरीद पर उद्ग्रहणीय होने वाले अधिकतम बिक्री कर, स्थानीय कर अथवा अन्य किसी प्रभारों को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट द्वारा उत्पादित और विनिर्मित और बिक्री के प्रयोजनार्थ भारत के अन्य किसी स्थान से लाये गये माल के संबंध में शून्य विशेष अतिरिक्त शुल्क की दर विनिर्दिष्ट करती है:

बशर्ते कि ऐसी छूट तभी लागू होगी यदि ऐसा माल जब घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा गया था, को राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर के भुगतान से छूट नहीं दी गई है।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 के दिन से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण:1- संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत लाभ किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट द्वारा स्टॉक हस्तान्तरण के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपनी यूनिट को हस्तान्तरित माल के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण:2- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ इसकी वैयाकरणिक भिन्नता सहित " विनिर्माण " अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा (2) के खण्ड (एफ) के अंतर्गत दिया गया है।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ्टीटी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 114/2003-CUSTOMS

G.S.R. 573(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, having regard to the maximum sales tax, local tax or any other charges for the time being leviable on the like goods on their sale or purchase in India, hereby specify the rate of special additional duty as nil in respect of goods produced and manufactured by a special economic zone unit and brought to any other place in India for the purpose of sale :

Provided that such exemption shall be applicable if such goods, when sold in domestic tariff area, are not exempted by the State Government from payment of sales tax.

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation 1. - For removal of doubts, it is hereby clarified that the benefit under this notification shall not be available in respect of goods transferred by a special economic zone unit to its unit in domestic tariff area on stock transfer basis.

Explanation 2. - For the purposes of this notification, the expression "manufacture" with its grammatical variation has the same meaning as assigned to it under clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 115/2003-सीमा शुल्क

सा॰का॰नि॰ 574(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इस बात से सन्तुष्ट होने पर पर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार के पूर्व वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निरस्त करती है अर्थात् :-

(i) दिनांक 19 अक्तूबर, 2000 के सा.का.नि.804(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 19 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं.137/2000 सी.शु.;

(ii) दिनांक 13 अगस्त, 2002 के सा.का.नि.563 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं.82/2002-सी.शु.।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 को प्रभावी होगी।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

टिप्पणी : (i) दिनांक 19/10/2000 की मूल अधिसूचना सं.137/2000-सी.शु. भारत के राजपत्र में दिनांक 19 अक्तूबर,2000 के सं.सा.का.नि.804(अ) के तहत् प्रकाशित की गई थी ।
(ii) दिनांक 13.8.2002 की मूल अधिसूचना सं.82/2002 सी.शु.,भारत के राजपत्र में दिनांक 13 अगस्त,2002 के सं.सा.का.नि. 563 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 115/2003-CUSTOMS

G.S.R.574(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), namely:-

(i) No. 137/2000-Customs, dated the 19th October, 2000, published in the Gazette of India vide G.S.R. 804 (E), dated the 19th October, 2000;

(ii) No. 82/2002-Customs, dated the 13th August, 2002, published in the Gazette of India vide G.S.R. 563 (E), dated the 13th August, 2002.

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

Note :

(i) The principal notification No. 137/2000-Customs, dated 19-10-2000 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 804 (E), dated the 19th October, 2000.

(ii) The principal notification No. 82/2002-Customs, dated 13-08-2002 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 563(E), dated the 13th August, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 58/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा॰का॰नि॰ 575(अ).— अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,1944 (1944 का 1) (जिसे यहाँ इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 क की उप-धारा (i)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम,1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी उत्पाद शुल्क माल पर(जिन्हें यहाँ इसके बाद उक्त माल के रुप में कहा गया है), जो किसी इकाई (जिसे यहाँ उस इकाई के रुप में कहा गया है) द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित हों, विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों में आपूर्ति किए जाने पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत उनपर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) धारा 3 की उप-धारा (i) के तहत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान करती है, नामत:-

(i) कि ऐसे माल को फैक्ट्री अथवा गोदाम से, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम ।। में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरुप हटाया जाए;

(ii) कि ऐसे माल की आपूर्ति विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष आर्थिक जोन की इकाई को जारी घरेलू प्रापण प्रमाण पत्र के आधार पर की जाए;

(iii) कि विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित निर्यात का प्रमाण संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज के प्रभारी अधिकारी को विनिर्माण अथवा उत्पादन स्थल से ऐसे माल को हटाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए ।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त 2003 को प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, विशेष आर्थिक जोन से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क के तहत जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत हैं।

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफ॰टी॰टी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 58/2003-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 575(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Central Excise Act), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods (hereinafter referred to as the said goods) specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), produced or manufactured by a unit (hereinafter referred to as the unit) when supplied to units in special economic zone, from whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excise Act, and the additional duty of excise leviable under sub-section (1) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the following conditions, namely:-

(i) that such goods are removed from the factory or warehouse, as the case may be, in accordance with the procedure specified in rule 11 of the Central Excise Rules, 2002;

(ii) that the said goods are supplied against a domestic procurement certificate issued to the special economic zone unit by customs authorities in the special economic zone;

(iii) that the proof of export, duly certified by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs in the special economic zone, is submitted to the officer–in-charge of the Central Excise range concerned, within a period of one month from the date of removal of such goods from the place of manufacture or production.

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

Explanation.- For the purposes of this notification, the special economic zone means the special economic zones as specified in the notification issued under section 76A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

सं॰ 59/2003-के॰ उ॰ शु॰

सा॰का॰नि॰ 576(अ).— अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम,1957(1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्रीय सरकार, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना जन-हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा पूर्व वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को रद्द करती है, अर्थात् :-

(i) सा.का.नि.सं.803 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर 2000 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 19 अक्तूबर,2000 की अधिसूचना सं. 52/2000- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क।

(ii) भारत के राजपत्र में दिनांक 13 अगस्त,2002 की सा.का.नि. सं.561 (अ) के तहत् प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2002 को अधिसूचना सं.39/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ।

(iii) भारत के राजपत्र में दिनांक 31 मार्च,2003 की सा.का.नि.सं.269(अ) के तहत् प्रकाशित दिनांक 31 मार्च,2003 की अधिसूचना सं.26/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ।

(iv) भारत के राजपत्र में दिनांक 31 मार्च,2003 की सा.का.नि.सं.270(अ) के तहत् प्रकाशित दिनांक 31 मार्च,2003 की अधिसूचना सं.27/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क; और

(v) भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2003 की सा.का.नि.319 (अ) के तहत प्रकाशित दिनांक 4 अप्रैल,2003 की अधिसूचना सं.33/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 2003 को लागू होगी

[फा॰ सं॰ 314/24/2001-एफटीटी॰]

डी॰ एस॰ गर्बयाल, अवर सचिव

टिप्पणी:

(i) मूल अधिसूचना सं.52/2000 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 19.10.2000, भारत के राजपत्र में सा.का.नि.803 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2000 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

(ii) मूल अधिसूचना सं. 39/2002 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 13.08.2002 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.561 (अ), दिनांक 13 अगस्त,2002 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

(iii) मूल अधिसूचना सं.26/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.3.2003, भारत के राजपत्र में सा.का.नि.269 (अ), दिनांक 31 मार्च,2003 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

(iv) मूल अधिसूचना सं.27/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.3.2003, भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं.270(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित की गई थी ।

(v) मूल अधिसूचना सं.33/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 4.4.2003,भारत के राजपत्र में सा.का.नि.319 (अ), दिनांक 4 अप्रैल 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

NO. 59/2003-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 576(E).— In exercise of powers conferred by sub-sections (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), namely:-

(i) No. 52/2000-Central Excise, dated the 19th October, 2000 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 803 (E), dated the 19th October, 2000;

(ii) No. 39/2002-Central Excise, dated the 13th August, 2002 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 561(E), dated the 13th August, 2002;

(iii) No. 26/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 269(E), dated the 31st March, 2003;

(iv) No. 27/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 270(E), dated the 31st March, 2003; and

(v) No. 33/2003-Central Excise, dated the 4th April, 2003 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 319(E), dated the 4th April, 2003.

2. This notification shall come into force on the 15th day of August, 2003.

[F. No. 314/24/2001-FTT]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note:

(i) The principal notification No. 52/2000-Central Excise, dated 19-10-2000 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 803 (E), dated the 19th October, 2000.

(ii) The principal notification No. 39/2002-Central Excise, dated 13-08-2002 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 561(E), dated the 13th August, 2002.

(iii) The principal notification No. 26/2003-Central Excise, dated 31-3-2003 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 269 (E), dated the 31st March, 2003.

(iv) The principal notification No. 27/2003-Central Excise, dated 31-3-2003 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 270 (E), dated the 31st March, 2003.

(v) The principal notification No. 33/2003-Central Excise, dated 4-4-2003 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R 319 (E), dated the 4th April, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.